



विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 45001 Certified & ISPS Compliant



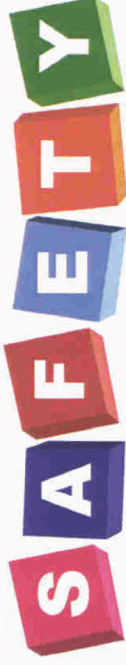
2022-23

प्रशासनिक रिपोर्ट

वार्षिक लेखा एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट



21st Greentech



AWARDS 2023

The Most Admired... Top Honour

Certificate

This is to certify that

VISAKHAPATNAM PORT TRUST

VISAKHAPATNAM

has been declared

Winner

for outstanding Achievements
in Safety Excellence.



Partners in your Pride & Prestige

K. Sharan

K. Sharan
Chairman & CEO

29.05.2023

प्रशासनिक रिपोर्ट

वार्षिक लेखा रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2022-23



विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण

आईएसओ 9001, आईएसओ 14001,
प्रमाणित एवं आईएसपीएस शिकायत



दूरदर्शिता

- विश्व स्तरीय सेवाओं का अर्पण करने वाले सख्त, कायम रखने वाले और भूस्वामी पोर्ट।

हमारा ध्येय

- भारत के पूर्वी तट पर लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रेणी में एक प्रमुख भागीदार बनना।
- पत्तन, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय के मेरीटाईम इंडिया 2047 विज़न के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना।
- व्यवसाय भागीदार के लिए लॉजिस्टिक लागत को अनुकूलित करना।

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण

विषय वस्तु

न्यासी मंडल

पोर्ट के प्रमुख अधिकारी

वर्ष पर एक नज़र (भौतिक संकेतक)

वर्ष पर एक नज़र (वित्तीय संकेतक)

न्यासी रिपोर्ट

पोर्ट की बहुमूल्य सांख्यिकी

परिचालन निष्पादन

पूंजी व्यय

मानव संसाधन विकास

कल्याणकारी उपाय (चिकित्सा, शिक्षा एवं आवास, आदि)

सुरक्षा उपाय

पर्यावरण प्रबंधन

अन्य घटनाएं

अनुलग्नक

वार्षिक लेखा एवं लेखों पर टिप्पणी

2022-23 को विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण के मंडल न्याईसी

01	श्री के.राम मोहन राव, भा.प्र.से.,	अध्यक्ष
02	श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आई आर टी एस	उपाध्यक्ष
03	श्री करिकलवाल्वेन, भा.प्र.से.,	सरकार के विशेष मुख्य सचिव संरचना एवं निवेश, पि.व. कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सचिवालय, वेलगपूडी, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश (आं.प्र.राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व)
04	श्री संजय पंत, आई.आर.एस.	सीमा शुल्क एवं केंद्रीय जीएसटी के प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क विभाग, पोर्ट एरिया, विशाखपट्टणम – 530 035 (सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व)
05	श्री डिब्बनजन रॉय, आई.आर.टी.एस.,	चीफ़ फ़ाईट ट्रान्शपोर्टेशन मैनेजर, पूर्व तट रेल्वे, भवनेश्वर – 751 017
06	कमांडर एम.गोवर्दन राजू एनएम	नौसेना प्रभारी अधिकारी (आं.प्र) नौसेना बाग, फ्लीट मेइल कार्यालय, पूर्व नौसेना बाग, विशाखपट्टणम – 530 014 (सुरक्षा सेवाओं के प्रतिनिधित्व)
07	श्री संदीप गुप्ता	निदेशक (पीएचआरडी) पत्तन, शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय नई दिल्ली – 110 001 (एमओपीएसडब्ल्यू का प्रतिनिधित्व)
08	श्री आर. रमणा बाबू	मु.यां एवं वि.अ. विभाग, वीपीए (वीएच एवं पीडब्ल्यू यूनियन का प्रतिनिधित्व)
09	श्री पी. रवि शंकर श्रीनिवास	यातायात विभाग, वीपीए (वीपीई यूनियन का प्रतिनिधित्व)

31.03.2023 को पोर्ट प्राधिकरण के प्रमुख अधिकारी

01	श्री के.राम मोहन राव, भा.प्र.से.,	अध्यक्ष
02	श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आई आर टी एस.	उपाध्यक्ष
03	श्री जे. प्रदीप कुमार, आई.आर.एस.एम.ई.,	मुख्य सतर्कता अधिकारी (25.08.2022 तक)
	श्री पी.एस. लिंगेश्वर स्वामी, आई.ओ.एफ.एस.	मुख्य सतर्कता अधिकारी (31.10.2022 तक)
04	कप्तान टी. श्रीनिवास	उपसंरक्षक
05	श्रीमति एस. शांति	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
06	श्री आर.एन.हरि कृष्णा	मुख्य यांत्रिक अभियंता
07	श्री ए. वेणु प्रसाद	मुख्य अभियंता
08	श्री बी. रत्न शेखर राव	यातायात प्रबंधक
09	श्री टी. वेणु गोपाल	सचिव एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सांविधिक) (30.03.2023 तक)
10	डॉ एस. उषा देवी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (31.03.2023 से)

वर्ष 2022-23 पर एक नज़र

भौतिक संकेतक

विवरण	यूनिट	2022-23	2021-22
विदेशी यातायात	मिलियन टन	54.60	47.76
तटीय यातायात	मिलियन टन	19.15	21.27
पीपीपी घाट	मिलियन टन	34.05	34.85
वीपीटी घाट	मिलियन टन	39.70	34.18
कुल यातायात	मिलियन टन	73.75	69.03
कंटेनर यातायात	टि यू ज	522,119	511,794
जहाज प्रविष्टि – आंतरिक बंदरगाह	संख्या	1,216	1,161
जहाज प्रविष्टि – बाह्य बंदरगाह	संख्या	848	791
जहाज प्रविष्टि – कुल	संख्या	2,064	1,952
औसत ग्री बर्थिंग अवरोधन	दिन	0.07	0.04
औसतन आवर्तन काल	दिन	3.12	3.11
प्रति शिप घाट दिवस उत्पादन	टन	12,421	11,923
औसतन पार्सल साईज	टन	36,668	35,516
पोर्ट रेल्वे द्वारा संचालित कार्गो	मि.टन	31.47	30.86
प्रति गैंग शिफ्ट उत्पादन	टन	617	480
31 मार्च को नियोजित व्यक्ति (कार्गो संभलाई अनुभाग सहित – पहले वीडिएलबी)	संख्या	2,576	2,758

वर्ष 2022-23 पर एक नज़र

वित्तीय संकेत

(रुपया करोड़ों में)

	विवरण	2022-23	2021-22
1.	तुलन पत्र		
	विवरण		
1. ए.	दायिताएं		
	(i) पूँजी आरक्षण	1019.51	1019.48
	(ii) अन्य आरक्षण	2508.23	2127.33
	(iii) प्राप्त अनुदान	54.07	42.18
	(vi) चालू देयताएं एंड प्रावधान एंड अन्य देयताएं	2717.53	2339.75
	(v) विलंबित कर देयताएं	—	0.00
	कुल (i से v तक)	6299.34	5528.74
1.बी.	परिसंपत्तियाँ		
	(i) स्थिर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध ब्लॉक)	3049.11	2832.85
	(ii) घाटा : मूल्यह्रास	-945.47	-894.14
	(iii) शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	2103.64	1938.71
	(iv) प्रगति पर रहे पूँजी कार्य	327.04	322.67
	(v) निवेश	530.01	528.41
	(vi) चालू ऋण परिसंपत्तियाँ और अग्रिम	3296.08	2717.34
	(vii) विविध व्यय	—	—
	(viii) विलंबित कर परिसंपत्तियाँ	42.57	21.61
	कुल (iii से viii तक)	6299.34	5528.74
सी.	कार्यचलन पूँजी	578.55	291.63
डी.	शुद्ध मूल्य	3527.74	2871.38
ई.	नियोजित पूँजी	2682.19	2156.80
एफ.	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	14.19	11.00
जी.	नियोजित पूँजी (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	3009.23	2394.34
एच.	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	12.65	10.44
आई.	प्रचालन अनुपात	46.21	48.51

वर्ष 2022-23 पर एक नज़र

वित्तीय संकेत

(रुपया करोड़ों में)

	विवरण	2022-23	2021-22
II.	वर्ष के दौरान पूँजी व्यय	269.84	339.45
	लाभ एवं हानि खाता :		
	राजस्व		
ए.	आय		
	प्रचालन आय	1726.86	1525.90
	गैर प्रचालन आय	135.69	83.96
		1862.55	1609.86
बी.	व्यय		
	प्रचालन व्यय	798.03	740.16
	गैर प्रचालन व्यय	533.32	506.84
		1331.35	1247.00
सी.	कर और विनियोजन से पूर्व शुद्ध अधिशेष/कमी या लाभ	531.20	362.86
	घाटा : कर के लिए प्रावधान		
	पिछले वर्ष	---	---
	फ्रिंज लाभ कर	---	---
	चालू वर्ष	171.45	121.01
	अस्थगित कर	-20.96	-33.71
	कर के बाद लाभ	380.71	275.56
डी.	घाटा: स्थिर परिसंपत्तियों को निपटाने पर लाभ और पूँजी आरक्षण में स्थानांतरण	0.03	2.40
ई.	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम	380.68	273.16
एफ.	घाटा: मैनेजटरी विनियोजन/आरक्षण निधि में अंतरण (शुद्ध लाभ)	160.93	138.98
जी.	सामान्य आरक्षण निधि में स्थानांतरित अधिशेष (शुद्ध लाभ)	219.75	134.18
एच.	निम्न के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ का प्रतिशत		
	प्रचालन आय	22.05	18.06
	शुद्ध नियत परिसंपत्तियां	18.10	14.21
	शुद्ध मूल्य	10.79	8.76

अनुपात विश्लेषण के लिए कार्य निम्नानुसार है :

क्र.सं	अनुपात विश्लेषण (तरलता एवं संपन्नता)	2022-23	2021-22
1.	चालू दायिताएं से वर्तमान परिसंपत्तियों का प्रतिशत	121.29	116.14
2.	चालू दायिताओं से त्वरित परिसंपत्तियों का प्रतिशत	73.86	67.45
3.	चालू दायिताओं से तरल परिसंपत्तियों का प्रतिशत	55.67	45.10
4.	परिचालन आय से विविध देनदारों का प्रतिशत	28.63	34.27
5.	ऋण / पूँजी आरक्षण और अन्य आरक्षणों का प्रतिशत	—	—
6.	चालू परिसंपत्तियों से कुल परिसंपत्तियों का प्रतिशत	52.32	49.15
7.	प्रचालन व्यय से प्रचालन आय का प्रतिशत	46.21	48.51

न्यासी रिपोर्ट

विशाखपट्टणम पोर्ट का न्यासी मंडल, विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण की वर्ष 2022-23 से संबंधित 89 वीं प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यंत हर्ष का अनुभव करता है ।

पिछले वित्तीय वर्ष के विरुद्ध 69.03 मि. टन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 73.75 मिलियन टन कार्गो संभलाई किया गया, जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जिससे 4.70 मि.टन अर्थात यातायात की मात्रा में 7% की वृद्धि हुई। यह पोर्ट के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक निष्पादन है, जो वर्ष 2019-20 में 72.72 मि.टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पार किया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान पोर्ट रेल्वे (43% रेल गुणांक) सिस्टम की माध्यम से 31.47 मिलियन टन मात्रा कार्गो की चलन की गई, जबकि पिछले वर्ष में 30.86 मिलियन टन की गई थी।

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण ने सभी महा पत्तन न्यासों में 4 स्थान प्राप्त किया और यातायात संभलाई के मामले में पूर्वी तट पर 2 स्थान प्राप्त किया ।

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख घटनाएं :

- ❖ वीपीटी ने राष्ट्र की गौरव पूर्ण सेवा में 7 अक्टूबर, 2022 को अपना 90वीं स्थापना दिवस मनाया।
- ❖ वीपीए ने मंत्रालय के निर्देशानुसार 03.05.2022 से 04.05.2022 तक आईकॉनिक सप्ताह का आयोजन किया। इस संदर्भ में, पिछले 75 वर्षों में, विशाखापत्तनम पोर्ट की प्रगति और विकास पर प्रदर्शनी में प्रकाश डाला गया।
- ❖ माननीय श्री सर्बानंद सोनेवाल, भारत सरकार, पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग और आयुष मंत्री ने दि. 30.05.2022 को गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लिया है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सिम्हाला में राष्ट्रव्यापी गरीब कल्याण सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम का वीपीए कलावानी ऑडिटोरियम में सीधा प्रसारण दिखाया गया है।
- ❖ विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण ने दि. 05.06.2022 को विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया। वीपीए जमीन के 30 एकड़ में वीपीए ने पिछले तीन वर्षों के दौरान रु.1.20 करोड़ की लागत पर 1.07 लाख पौधे लगाए।
- ❖ वीपीए अध्यक्ष ने दि. 08.06.2022 को लगभग 1,800 यात्रियों के साथ एम.वी. कॉर्डेलिया क्रूज एम्प्रेस जहाज का सहर्ष स्वागत किया। आंध्र प्रदेश की पर्यटन मंत्री श्रीमती आर.के.रोजा ने क्रूज जहाज का दौरा किया और कहा कि वास्तव में उनका अनुभव अद्भुत है।
- ❖ वीपीए ने पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार 17.09.2022 को भारत के

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन आयोजित किया । इस अवसर पर, वीपीए ने जनता के लिए (i) स्वास्थ्य शिविर (ii) कोविड वैक्सीन (बूस्टर डोस) (iii) पोर्ट/सा. क्षेत्र के उपक्रम अस्पतालों के माध्यम से रक्तदान शिविर और (iv) केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान चलाया ।

- ❖ विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण और मेसर्स डीसीआई लिमिटेड ने संयुक्त रूप से दि. 12.2.2023 को समुद्र तट पोषण के लिए रु. 20.00 करोड़ की लागत से सैंड ट्रैप ड्रेजिंग कार्य का उद्घाटन किया ।
- ❖ भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के शुभ अवसर पर, वीपीए दि. 27.02.2023 और 28.02.2023 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है ।
- ❖ भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने रु. 10,742 करोड़ की कई परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करने के लिए दि. 12.11.2022 को विशाखापत्तनम का दौरा किया और वही राष्ट्र को समर्पित किया है । इस संदर्भ में, माननीय प्रधान मंत्री ने वीपीए पोर्ट रोड की कॉन्वेंट जंक्शन से शीला नगर तक रु.565.97 करोड़ की आधारशिला रखी है और साथ ही रु. 151.81 करोड़ की लागत पर विशाखापत्तनम मत्स्य बंदरगाह के आधुनिकीकरण, उन्नयन के लिए भी । आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री वाई.एस.जगन मोहन रेड्डी भी माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के साथ हैं ।
- ❖ श्री सुधांशु पंत, भा.प्र.से. माननीय सचिव (पीएसडब्ल्यू), पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने दि. 24.02.2023 से 26.02.2023 तक वीपीए का दौरा किया और सभी वीपीए परियोजनाओं, दक्षता मापदंडों की समीक्षा की और सुधार के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए ।
- ❖ प्रचालन के लिए कंटेनर स्कैनर परिसंपत्तियों को सीमा शुल्क में स्थानांतरित करने के लिए विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण, सीमा शुल्क विभाग और स्मिथ डिटेक्शन के बीच 20.05.2022 को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

प्रारंभ की गई मुख्य परियोजनाएं :

- ❖ रु.6.75 करोड़ की लागत पर पुराने फायर स्टेशन क्षेत्र में संप और पंप हाउस के निर्माण सहित डॉक क्षेत्र के मुख्य द्वार के पास एमडीएसएस (यांत्रिक धूली दमन सिस्टम) प्रदान करना ।
- ❖ रु.4.97 करोड़ की लागत पर जीजेएच रोड के वर्तमान पूर्वी हिस्से को 4 लेन सड़क (100 फीट) में एनएच-16 तक चौड़ा करना ।

दिये गये प्रमुख परियोजनाएं :

- ❖ डीबीएफओटी के आधार पर वेस्ट क्वे 7 और 8 घाट का यांत्रीकरण के लिए रु. 288.47 करोड़ करोड़ की लागत पर दि. 25.01.2023 को मेसर्स बोत्रा शिपिंग सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, (मेसर्स आर्सेलर मित्तल प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के साथ कंसोर्टियम) को सौंपा गया था ।

- ❖ डीबीएफओटी के आधार पर ईस्ट क्वे-7 घाट का यांत्रीकरण को रु. 200.99 करोड़ की लागत पर दि.31.1.2023 को मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड, (मैसर्स जे.एम. बाक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के साथ संघ) को सौंपा गया था।
- ❖ पांच ढके भंडारण शेडों का निर्माण, अर्थात् (i) 104x30x17 मीटर (8.24 करोड़) (ii) 300x40x17 मीटर (33.80 करोड़) (iii) 400x40x17 मीटर (41.75 करोड़) (iv) 200x30x17 मीटर (17.99 करोड़) और (v) 200x40x17 मीटर (22.50 करोड़) की कुल लागत रु.124.28 करोड़।

प्रगति पर रहे प्रमुख परियोजनाएं :

- ❖ रु. 151.81 करोड़ की अनुमानित लागत पर विशाखपट्टणम पोर्ट के मत्स्य बंदरगाह का आधुनिकीकरण और उन्नयन।
- ❖ आंतरिक बंदरगाह में आंतरिक संसाधनों के साथ ओआर-3 घाट पर रु. 167.66 करोड़ की अनुमानित लागत पर 5.25 एमटीपीए की अतिरिक्त क्षमता के साथ अतिरिक्त तेल संचालन सुविधा का विकास करने।
- ❖ रु.96.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर चौनल बर्थ पर क्रूज पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज बर्थ और टर्मिनल का विकास। प्रारंभ की अपेक्षित तिथि सितंबर, 2023 है।
- ❖ ओआईएसडी 156 दिशानिर्देशों के अनुसार रु. 36.12 करोड़ की लागत पर 1,00,000 डीडब्ल्यूटी जलयानों (केपसाईज़ जहाज) को ठहराने के लिए अग्निशमन सुविधाओं को प्रदान करने।
- ❖ रु.36.06 करोड़ की अनुमानित लागत पर संरचना सुविधाओं सहित एक्विजम पार्क के लिए 20.00 एकड़ में ट्रक पार्किंग टर्मिनल का विकास।
- ❖ रु. 22.01 करोड़ की लागत पर लगभग 38.00 टीकेएम रेलवे लाईनों का विद्युधीकरण।

संकल्पित प्रमुख परियोजनाएं :

- ❖ डीबीएफओटी के आधार पर रु. 261.00 करोड़ की अनुमानित लागत पर वर्तमान पोर्ट अस्पताल को बहु-डिसिप्लिनरी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में उन्नयन करने।
- ❖ आंतरिक बंदरगाह के वेस्ट क्वे घाट 1,2,3 को रु. 250.00 करोड़ की लागत पर विकास एवं यांत्रीकरण करने।
- ❖ डीबीएफओटी के आधार पर आंतरिक बंदरगाह के उत्तरी आर्म में ड्राई बल्क कार्गो के संचालन के लिए रु. 165.70 करोड़ की अनुमानित लागत वर्तमान वेस्ट क्वे-6 टर्मिनल का नवीनीकरण।
- ❖ डीबीएफओटी के आधार पर रु.69.69 करोड़ की अनुमानित लागत पर सभी प्रकार के कार्गो की संभलाई करने के लिए ईक्वू-6 घाट का विकास और यांत्रीकरण।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

- ❖ वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वीपीए ने पोर्ट के इतिहास में 73.75 मिलियन टन की रिकॉर्ड मात्रा की संभलाई की, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 72.72 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पार कर दिया।
- ❖ वीपीए ने पहला बेबी केप जहाज दि. 31.12.2022 को डब्ल्यूक्यू-1 पर खड़ी हुई एलओए 253.50 मीटर, बीम 43.00 मीटर, ड्रैट 13.98 मीटर और डीडब्ल्यूटी 1,06,529 टन की एम.वी. जीसीएल साबरमती से 50,000 टन लाईमस्टोन आयात किया।
- ❖ दि.19.01.2023 से स्वच्छ मौसम की स्थिति में आंतरिक बंदरगाह में अधिकतम अनुमेय बीम को 40 मीटर से बढ़ाकर 45 मीटर लागू कर दिया गया है।
- ❖ 19.01.2023 से स्वच्छ मौसम की स्थिति में आंतरिक बंदरगाह पर जहाजों की अधिकतम अनुमेय एलओए 240 मीटर से बढ़ाकर 260 मीटर लागू कर दी गई है।

निर्बाध सड़क संपर्क :

- ❖ पोर्ट के राष्ट्रीय राजमार्ग-16 (जिसे पहले एनएच-5 कहा जाता था) से 12 कि.मी. की 4 लाईन लिंक सड़क से जोड़ने, एनएचएआई द्वारा वीपीए के साथ जेवी के रूप में गठित एसपीवी द्वारा विकास और अनुरक्षण किया जाता है।
- ❖ वीपीए के एच-7 क्षेत्र से कॉन्वेंट जंक्शन तक पोर्ट कनेक्टिविटी सड़क के टेकऑफ पाइंट प्रचालन किया गया है। यह सुविधा कान्वेंट जंक्शन पर शहर के यातायात से पोर्ट यातायात को अलग करेगी और वाहन परिवहन को अधिक कुशल बनाएगी।

कार्यान्वयन के तहत सड़क परियोजनाएं :

- ❖ रु. 71.43 करोड़ की अनुमानित लागत पर पूर्व ब्रेक वाटर से कान्वेंट जंक्शन (4 कि.मी.) तक 4 लाईन सड़क का विकास।
- ❖ रु. 227.10 करोड़ की अनुमानित लागत पर सीहार्स जंक्शन से डॉक क्षेत्र (3.92 केएम) तक फ्लाई ओवर ब्रिडज का विकास।
- ❖ रु.565.97 करोड़ की अनुमानित लागत पर कान्वेंट जंक्शन से शीलानगर जंक्शन तक 4 लाईन सड़क को 8 लाईन सड़क का उन्नयन।
- ❖ रु. 445.00 करोड़ की अनुमानित लागत पर शीलानगर जंक्शन से सब्बरम अर्थात एनएच-16 (12.7 कि.मी. - एएचएआई) विशाखपट्टणम पोर्ट से सड़क कनेक्टिविटी।

व्यापार करने के अवसर :

- ❖ 50% छूट और 50,000 जीआरटी से कम कंटेनर जहाजों के लिए पाईलटेज पर पोर्ट देय पर छूट और 50,000 से अधिक जीआरटी वाले जहाजों के लिए पाईलटेज पर पोर्ट देय पर 70% छूट ।
- ❖ 31.03.2024 तक रेलवे वैगनों में प्राप्त लौह अयस्क और मैनुअल और यांत्रिक रूप से अनलोड के लिए रेलवे टर्मिनल शुल्क में 50: की छूट ।
- ❖ पोर्ट देय पर और 50,000 एमएमटी से कम जीआरटी के साथ पाईलटेज में 70% छूट कंटेनर नौवहन के लिए न्यूनतम आवक 250 ट्यूज़ ।
- ❖ पोर्ट देय पर और 50,000 एमएमटी से अधिक जीआरटी के साथ पाईलटेज में 80% छूट कंटेनर नौवहन के लिए न्यूनतम आवक 250 ट्यूज़ ।
- ❖ कंटेनर यातायात के लिए जहाज संबंधी प्रभारों पर 30-09-2023 तक छूट का विस्तार ।
- ❖ बंकरिंग उद्देश्य के लिए पहले 48 घंटों के लिए निःशुल्क एंकरेज़ ।
- ❖ क्षेत्रों में भूमि आबंटन के लिए पट्टा शुल्क कम करते हुए प्रति वर्ग मीटर 7.88 प्रति सप्ताह पर रु. 3.94 ।
- ❖ वीपीए अतिरिक्त तटीय कार्गो को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों जैसे एनटीपीसी, हिंदुजा और एनटीईसीएल आदि के साथ बातचीत कर रहा है ।
- ❖ सीएचडी श्रम की आपूर्ति के लिए श्रम प्रोत्साहन की लेवी और संग्रहण समाप्त करने और वीपीए क्रमशः बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो के लिए रु.50.00 और रु. 56.00 की दर से प्रति टन दर एकत्र करता है ।

प्रशंसा :

- ❖ ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा अपने 21वें ग्रीनटेक सुरक्षा पुरस्कार – 2023 में सुरक्षा उत्कृष्टता का विजेता ।
- ❖ पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, वीपीए को राजभाषा शील्ड द्वितीय पुरस्कार और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राष्ट्रीय इस्पात निगम द्वारा उत्तम अनुपालन के लिए गौरव पुरस्कार प्राप्त किया गया
- ❖ एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (तीन प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएमएस) आईएसओ 9001 – 2015, आईएसओ 14001 – 2015 और आईएसओ 45001 – 2018 का निगरानी ऑडिट आईआरक्यूएस ऑडिट टीम द्वारा दि. 23.05.2022 से 26.05.2022 तक आयोजित किया गया था ।

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वीपीए में एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज यात्री टर्मिनल सितंबर, 2023 में शुरू हुआ। विशाखापत्तनम शहर को वैश्विक क्रूज पर्यटन के मानचित्र पर उजागर किया जाएगा।

अंततः, अमृत काल विजन के तहत प्रस्तावित वृद्धि— औपनिवेशिक नियम के अंत को चिह्नित करने के लिए 2047 शताब्दी तक की अवधि — मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आधुनिक पोर्ट प्रारंभ करने के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का विस्तार करना, लागत को अनुकूलित करने के लिए आंतरिक प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ाना और कार्गो चालन का समय, 110 मीटर से 150 मीटर तक चौनल को चौड़ा और गहरा करके बड़े जहाजों को ठहराना और आंतरिक बंदरगाह में 14.5 मी. से 20.00 मी. टर्निंग सर्कल का सुविधा, 100% हरित ईंधन स्टेशन, कार्गो को लदान / उतारने के लिए रोबोटिक आर्म, बिना किसी स्पिलेज और परिचालन दक्षता की आपूर्ति के लिए लागत को कम करने के कार्गो स्वच्छ संभलाई उपलब्ध करता है, जहाज के टर्नअराउंड समय को कम करना, और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारतीय बंदरगाहों की रणनीतिक प्रासंगिकता को बढ़ाना, पोर्ट प्रारंभिक लीड के तहत दुनिया के सबसे आधुनिक संरचना का निर्माण करके समृद्धि प्राप्त करने के लिए व्यापक मास्टर प्लान दिगंत 2047 के कुछ नई ऊंचाइयों में से कुछ हैं।

हम अपनी आभारी देते हैं और निरंतर संरक्षण के लिए अपने मूल्यवान ग्राहकों और स्टैकहोल्डर्स के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यूनियनों की रचनात्मक भूमिका की सराहना की जाती है। हमें अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए खुशी हो रही है।

वीपीए के मंडल के लिए और उसकी ओर से

अध्यक्ष

पोर्ट की बहुमूल्य सांख्यिकी 2022-23

बर्थों की संख्या	28+1 एसपीएम	भंडारण सुविधाएं (अनुलग्नक-2 में दिखाया गया)	
शिपिंग टर्म्स	06	संभलाये गये ट्यूजों की संख्या	522,119
पोर्ट - 3, प्राइवेट - 3		नौचालित जहाजों की संख्या	2,061
कार्गो संभलाई उपस्कर		नौचालित जहाजों की जीआरटी	69.71
- लोकोमोटिव्स 1350 एचपी	07	(मिलियन टनस् में)	
(पोर्ट 4 + प्राइवेट 3)		पोर्ट रेल्वे सिस्टम	
- लोकोमोटिव्स 3100 एचपी (पोर्ट)	03	- ट्रेक लंबाई (कि.मी.)	175
संभलाई गई यातायात (मिलियन में)		- साइडिंग की संख्या	14
- निर्यात	26.20	- खुले टर्मिनल्स	30
- आयात	46.36	पोर्ट रेल्वे द्वारा संचालित कार्गो	
- यानांतरण	1.19	(मिलियन टनों में)	
- कुल	73.75	- प्राप्ति (लोहा अयस्क)	5.72
प्रति घाट दिवस उत्पादन (टन)		- प्राप्ति (सामान्य)	5.83
- यांत्रिक	20,926	- प्रेषण (सामान्य)	19.92
- गैर यांत्रिक	8,678	- कुल	31.47
- कुल	12,421		

आगे का विवरण अनुलग्नक 1 से 5 में दिया गया है ।

परिचालन निष्पादन :

1.0 यातायात

1.1 विशाखपट्टणम पोर्ट में वर्ष 2022-23 में 73.75 मि. टन की कार्गो की संभलाई की जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान 69.03 मि.टन यातायात की संभलाई की ।

1.2 निर्यात आयात और यानांतरण के विवरण नीचे दिये गये है।

(मिलियन टन)

विवरण	2022-23	2021-22	2020-21
निर्यात	26.20	28.24	30.08
आयात	46.36	39.82	38.73
यानांतरण	1.19	0.97	1.03
कुल	73.75	69.03	69.84

1.3 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विदेशी और तटीय यातायात का अनुपात।

(मिलियन टन)

विवरण	विदेशी	तटीय	कुल
निर्यात	11.40	14.80	26.20
आयात	42.70	3.66	46.36
यानांतरण	0.50	0.69	1.19
कुल	54.60 (74%)	19.15 (26%)	73.75

1.4 वर्गवार यातायात

(मिलियन टन)

विवरण	2022-23	2021-22	2020-21
ड्राई बल्क	45.36	41.51	41.91
तरल बल्क	18.08	16.28	17.94
ब्रेक बल्क	1.85	2.66	1.81
कंटेनर	8.46	8.58	8.18
ट्यूज	(0.52)	(0.51)	(0.48)
कुल	73.75	69.03	69.84

विवरण अनुलग्नक 6 एवं 7 में दिया गया है ।

1.5 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल यातायात 73.75 मिलियन टन में से 46.58 मिलियन टन (63%) यांत्रिक साधनों से संभलाया गया ।

(मिलियन टन)

वस्तु का वर्ग	यांत्रिक	गैर यांत्रिक	कुल
लोहा अयस्क एवं पिल्लेट्स (निर्यात)	11.85	2.56	14.41
अल्युमिना	1.18	0.47	1.65
उर्वरक एफ आर एम (शुष्क)	0.18	2.66	2.84
तरल बल्क	18.08	—	18.08
कोकिंग कोल	1.53	3.38	4.91
स्टीम कोल	5.30	6.41	11.71
कंटेनर कार्गो	8.46	—	8.46
अन्य कार्गो	—	11.69	11.69
कुल	46.58	27.17	73.75

एफ आर एम – उर्वरक कच्ची सामग्री ।

1.6 भारतीय / विदेशी फ्लौग के शिप

कुल यातायात 73.75 मि.टन में से इंडियन बॉटम द्वारा 11.07 मि.टन संभलाया गया जो 15% है ।

1.7 कंटेनर कार्गो

विवरण	निर्यात	आयात	कुल
बाक्सों की संख्या	212629	213510	426139
ट्यूजों की संख्या	260473	261646	522119
टन भार	5094643	3365586	8460229
कार्गो का भार	4507335	2780812	7288147
टेयर का भार	587308	584774	1172082

विवरण अनुलग्नक 8 में दिया गया है ।

1.8 परिचालित कंटेनर सेवाएं :

कंटेनर टर्मिनल में तीन प्रधान लाईन सेवाएं अर्थात एफएमई,आईईएक्स, सीसीजी और पांच एक्जिम फीडर सेवाएं अर्थात एमडीएम, सीएचएक्स सीवीआई, सी 17, सीवीके और सीवीके और दो तटीय सेवाएं ईसीएक्स और टीसीआई प्रचालन कर रहे हैं ।

1.9 कंटेनर जहाज विंडो :

सेवा आईडी	प्रचालक	टाईप	सेक्टर
एफएमई	सीओएससीओ / आरसीएल / सीएमए / केएमटीसी / टीएस लाईन्स / यूनि फीडर	प्रधान लाईन	विशाखपट्टणम- वेस्ट पोर्ट किलांग-सिंगापुर-मनिला-बूसन-क्विंगडो-शांगई-शीको-सिंगापुर-वेस्ट पोर्ट किलांग-चेन्नै- विशाखपट्टणम
आईएफएक्स2	एसआईटीसी / एसएलएस / एसएनएल / टीएसएच	प्रधान लाईन	विशाखपट्टणम - सिंगापुर- वेस्ट पोर्ट किलांग- शीको-क्विंगडो-शांगई-निंगबो-शीको-चेन्नै-विशाखपट्टणम
एमडीएम	बीटीएल / एवरग्रीन वेन हाय	एक्विजम फीडर	एक्विजम फीडर विशाखपट्टणम : सिंगापुर- वेस्ट पोर्ट किलांग- पोर्ट किलांग- सिंगापुर- वेस्ट पोर्ट किलांग- पोर्ट किलांग- चेन्नै- विशाखपट्टणम
सीएचएक्स	एमएसके	एक्विजम फीडर	एक्विजम फीडर विशाखपट्टणमट्ट टानजंग-फिलिपेस-एन्नोर-विशाखपट्टणम
सीवीआई	पीआईएल / आरसीएल / आईएएल / एसजेजे	प्रधान लाईन	वेस्ट पोर्टकिलांग- एचओसीएचआईमिन-निंगबो- शांगै- चेन्नै- विशाखपट्टणम
सी17	वेनहार्ड / आईएएल	प्रधान लाईन	विशाखपट्टणम- हईपोंग- जॉनजैंग- नाशा-केट लाई-पोर्ट किलांग-चेन्नै- विशाखपट्टणम
सीसीजी	ग्लोबल फीडर्स	एक्विजम फीडर	विशाखपट्टणम- कृष्णपट्टणम- कट्टुपल्लि-कोलंबो- कोच्चिन- मुंद्रा-मंगलूर-मुंद्रा-मंगलूर-कोच्चिन-कोलंबो-कट्टुपल्लि-विशाखपट्टणम
पीआईसी2	यूनिफीडर	प्रधान लाईन	विशाखपट्टणम-कृष्णपट्टणम-चेन्नै-ट्यूटिकोरिन- जीबेल आली-कांड्ला-चेन्नै- कृष्णपट्टणम -विशाखपट्टणम
आईईएक्स	हापेग / लोर्ड / कास्को / ओओसीएल / ओएनई / वाईएमएल	प्रधान लाईन	विशाखपट्टणम - कृष्णपट्टणम-चेन्नै-कोलंबो- कोच्चिन- डामिटा-पेरुस-रोटरडेम-लंदन गेट वे -हंबर्ग- एंटवरर्प-लीहारवे- डामिटा-जेड्डा- कोलंबो - विशाखपट्टणम
सीवीके	एमएसजी	एक्विजम फीडर	विशाखपट्टणम - कोलंबो - विशाखपट्टणम
एसबीएस	टीएलपी	एक्विजम फीडर	विशाखपट्टणम - कोलकत्ता-विशाखपट्टणम - कोलंबो
एससीसी	ग्लोबल फीडर्स	एक्विजम फीडर	विशाखपट्टणम -सिंगापुर-वेस्ट पोर्ट किलांग-वेस्ट पोर्ट किलांग- चेन्नै- विशाखपट्टणम
टीसीआई	टीसीआई	तटीय सेवा	विशाखपट्टणम-पोर्ट ब्लेयर - मायाबाऊंडर-विशाखपट्टणम

1.10 प्रधान वस्तुवार यातायात

(लाख टनों में)

वस्तु	वास्तविक 2022-23	वास्तविक 2021-22	वास्तविक 2020-21
पी ओ एल	160.97	142.49	160.19
लोहा अयस्क एवं पिल्लेट्स	144.08	145.63	188.61
कोकिंग कोल	49.07	44.28	54.23
स्टीम कोल	117.07	70.79	50.75
थर्मल कोल	11.29	25.94	6.95
उर्वरक – फिनिशड	14.34	11.85	19.57
उर्वरक कच्ची सामग्री (शुष्क)	14.05	14.92	10.76
कंटेनर कार्गो	84.60	85.83	81.78
अन्य	142.03	148.57	125.59
कुल	737.50	690.30	698.43

1.11 मुख्य विदेशी भागीदार – निर्यात वित्त वर्ष 2022-23

(लाख टनों में)

देश	वालयूम (लाख टनों में)	हिस्सा (%)
इंडोनेशिया	54.85	12.84
आस्ट्रेलिया	50.46	11.82
सौत आफ्रिका	50.34	11.79
रूस	35.23	8.25
यू ए ई	31.11	7.28
ईराक	21.61	5.06
मुजाबिक	16.67	3.90
यूएसए	12.71	2.98
सौदी अरेबिया	12.61	2.95
नैजीरिया	11.81	2.77
खतार	7.92	1.85
टुर्की	7.54	1.77
चीना	7.48	1.75
गबन	6.61	1.55
कुवाईट	6.12	1.43
अल्जीरिया	6.05	1.42
कोलंबो	5.65	1.32
कोलंबिया	5.28	1.24
जापान	5.15	1.21
टोगो	5.11	1.20
कोरिया	5.02	1.18
मलेशिया	4.50	1.05
सिंगापुर	54.85	12.84

1.12 मुख्य विदेशी भागीदार – निर्यात

देश	वालयूम (लाख टनों में)	हिस्सा (%)
चौना	18.32	16.07
कोलंबो	17.09	14.99
सिंगापुर	12.79	11.22
पोर्ट कलांग	9.79	8.59
टेनजांग फिलिप्स	8.51	7.47
यू ए ई	6.05	5.31
ओमन	5.52	4.84
मलेशिया	3.94	3.45
वियत्नाम	3.41	2.99
जीबेल आली	2.93	2.57
यूके	2.46	2.16
बांग्लादेश	2.17	1.90
रूस	1.89	1.66
इटली	1.67	1.47
सौत आफ्रिका	1.55	1.36
इंडोनेशिया	1.40	1.23
बूसन	1.26	1.11

1.13 मुख्य विशेषताएं

- वर्ष 2022-23 के दौरान 73.75 मि.ट. की कार्गो संभलाई की गई जबकि पिछले वर्ष 69.03 मि.ट. किया गया था ।
- यातायात के मामले में महा पत्तनों में विशाखपट्टणम पोर्ट ने चौथा और पूर्व तटीय में दूसरा स्थान पर है ।

रिकार्ड स्तर पर कार्गो संभलाई का निष्पादन :

क्र.सं.	वस्तु	2022-23 (एमएमटीपीए)	पिछले श्रेष्ठ (एमएमटीपीए)	वर्ष
01	स्टीम कोल	11.71	9.37	2014-15
02	अल्युमिना	1.62	1.31	2013-14
03	रॉक फासफेट	1.29	1.25	2020-21
04	लाईम स्टोन	1.21	1.14	2020-21
05	कंटेनर (ट्यूज़)	0.52	0.51	2020-21

आगे का विवरण अनुलग्नक - 9 में दिया गया है ।

1.14 सेवा क्षेत्र से प्राप्त / सेवा क्षेत्र को प्रेषित । परिवहन की विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्राप्त / प्रेषित कार्गो का वस्तुवार विवरण अनुलग्नक 10 एवं 11 में दिया गया है।

2.0 शिपिंग

- 2.1 आंतरिक बंदरगाह में 14.50 मीटर्स तक ड्राफ्ट वाले बेबी केप जलयानों के लिए खोला गया। बाह्य बंदरगाह में 18.10 मीटर्स तक ड्राफ्ट वाले केप साईज़ जलयानों के लिए खोला गया। वर्ष के दौरान पोर्ट में 2,064 जहाजों ने प्रवेश किया और 2,061 जहाजों का नौचालन हुआ। पोर्ट में आये जहाजों (नौचालन) का विवरण एन आर टी, जी आर टी तथा डी डब्ल्यू टी निम्नानुसार है :

(मिलियन)

वर्ष	जहाज	डीडब्ल्यूटी	जीआरटी	एनआरटी
2022-23	2,061	113.45	69.71	38.24
2021-22	1,953	106.33	65.32	35.26
2020-21	2,071	109.16	67.80	36.64

आगे का विवरण अनुलग्नक 12 में दिया गया है ।

2.2 प्रवेश और नौचालित जहाज (विदेशी / तटीय)

वर्ग	प्रविष्ट जहाज		नौचालित जहाज	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
विदेशी	1,567	1,402	1,564	1,404
तटीय	497	550	497	549
कुल	2,064	1,952	2,061	1,953

2.3 घाट अधिग्राहिता :

वर्ष 2022-23 के दौरान घाट की अधिग्राहिता 62: थी जबकि पिछले वर्ष 2021-22 में 64% रही। अन्य विवरण अनुलग्नक 3 में दिया गया है।

2.4 अधिकतम जहाज संचालन

विवरण	2022-23	2021-22
एक दिन में	50 (07.03.2023)	42 (24.04.2021)
महीने में	1283 (मार्च, 2023)	887 (अप्रैल, 2021)

2.5 कार्गो प्रकार के अनुसार नौचालित जहाज

जहाजों का वर्ग	2022-23	2021-22
लोहा अयस्क एवं पिल्लेट्स		
बाह्य बंदरगाह	156	191
आंतरिक बंदरगाह	47	36
पी ओ एल टैंकर्स	421	424
कोकिंग कोल	117	94
स्टीम कोल	177	79
थर्मल कोल	21	46
उर्वरक थौली सहित	56	48
रॉक फास्फेट और गंधक	39	47
अन्य शुष्क बल्क	232	231
अन्य तरल कार्गो	176	191
खाद्यन्नवाले	13	17
अन्य अयस्क (मैंगनीस ओर आदि)	116	135
अन्य कार्गो (ब्रेक बल्क)	95	126
कंटेनर	345	274
पानी, बंकर आदि के लिए जहाज	50	14
कुल	2,061	1,953

2.6 एक दिन में घाट पर जहाजों की अधिकतम संख्या 8.90 लाख जी आर टी के साथ अधिकतम 27 जहाज दि. 27-08-2022 को पोर्ट में थे ।

2.7 शिप संचालन

विवरण	2022-23	2021-22	2020-21
आगमन	2,064	1,952	2,073
प्रस्थान	2,061	1,953	2,071
शिपिंग	107	88	80
कुल	4,232	3,993	4,224

2.8 अत्यधिक लंबाई, बीम और डी डब्ल्यू टी वाले जहाज

विवरण	2022-23	2021-22
आंतरिक बंदरगाह		
लोवा 195-210 मी	134	95
लोवा 210-225 मी	65	41
लोवा 225 मी.	120	66
बीम 32.26 मी.	45	21
बाह्य बंदरगाह		
वीजीसीबी (झडीडब्ल्यूटी 150,000) में केप साईज़ जलयान	31	33
लोवा 270 मी.	17	2
लोवा वी सी टी पर 270 मी.	31	52

2.9 अत्यधिक डी डब्ल्यू टी वाले जलयान (वित्त वर्ष 2022-23)

जलयान / बर्थ	डी डब्ल्यूटी	लोवा (मीटर्स.)	बीम (मीटर्स.)	ड्राफ्ट (मीटर्स.)
बाह्य बंदरगाह एम.वी. नाईटस्कै	2,09,324	299.95	50.00	15.85
आंतरिक बंदरगाह एम.वी. एम प्वाइंट लिसास	1,14,841	255.25	43.00	14.30
एसपीएम पर एम.वी. सीहीरो	3,21,300	333.00	60.00	20.30

अत्यधिक ड्राफ्ट वाले जलयान :

विवरण	2022-23	2021-22
वीजीसीबी पर > 16 मीटर	21	31
आंतरिक बंदरगाह पर > 14 मीटर	106	65

2.10 हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान पोर्ट के हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कार्य करनेवाले दो सर्वेक्षण यूनिटों का कार्य संतोषजनक रहा। पूर्ण रूप से कंप्यूटराईज्ड सर्वेक्षण लांच 'निर्मल' को पोर्ट सीमाओं के अंतर्गत वीओएच सर्वेक्षण, आंतरिक चैनल आर्म्स एवं बर्थ तथा ब्रेक वाटर के बाहर सर्वेक्षण के लिए नियोजित किया गया है। वीओएच यूनिट उत्तर तरंगरोध के उत्तरी ब्रेकवाटर सागरनगर तक और अन्य क्षेत्रों में समुद्र तट के साथ साथ साउंडिंग्स एवं लेवल्स लेने के लिए भूमि सर्वेक्षण यूनिट (बीच प्रोफाईल यूनिट) के साथ काम किया।

आंतरिक बंदरगाह यूनिट ने घाटों के पास और क्षेत्रों के समीप 'मसूला बोट' ईको साऊंडर और जीपीएस के साथ फैलाते हुए साऊंडिंग लेने के लिए और जहां आवश्यकता है (कीचडधार क्षेत्रों) वहां सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है।

नक्शा कार्यालय ने उन्हें प्राप्त डॉटा के साथ साऊंडिंग चार्ट्स तैयार करने और प्लॉट करने के लिए हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के साथ काम किया।

वर्ष के दौरान आयोजित सर्वेक्षण के विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	आंतरिक बंदरगाह	बाह्य बंदरगाह	बीच प्रोफाईल	कुल
2022-23	114	279	101	494
2021-22	209	166	154	529

2.11 मौसम

रिपोर्ट के दौरान बाह्य बंदरगाह पर 11-05-2022 में 2.0 मीटर की अधिकतम ऊंची लहर देखी गई, जब कि पिछले वर्ष के दौरान दिनांक 24-10-2021 को देखी गई अधिकतम ऊंचाई वाली लहर 1.80 मीटर थी।

2.12 पायलटेज संचालन (वित्त वर्ष 2022-23)

विवरण	आगमन	प्रस्थान	शिपिंग	कुल
आंतरिक बंदरगाह	1249 (881)	1202 (854)	2938 (2651)	5389 (4386)
बाह्य बंदरगाह	841 (599)	816 (581)	560 (346)	2217 (1526)
मत्स्य बंदरगाह	4 (5)	4 (5)	109 (29)	117 (39)
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	4 (15)	4 (13)	54 (102)	62 (130)
अन्य	118 (100)	106 (89)	5842 (3692)	6066 (3881)
कुल	2216 (1600)	2132 (1542)	9503 (6820)	13851 (9962)

कोष्टक के अंकडे पिछले वर्ष की सूचना देते हैं :

2.13 नौचालन सुविधाएँ : आंतरिक बंदरगाह – दिन में : (मीटर में)

विवरण	जलयान साईज़	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार भाटा
आगमन / प्रस्थान	बेबी केप / पेनामेक्स	45.00	14.50	0.50

✓ 195 मी. से अधिक लोवा वाले या 32.0 मी. से अधिक बीम वाले जलयानों की संभलाई दो पायलेटों द्वारा की जा सकती है।

आंतरिक बंदरगाह – रात्री नौचालन :

(मीटर में)

विवरण	जलयान साईज़	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार भाटा
आगमन / प्रस्तान	हेन्डीमौक्स / पौनामौक्स	32.50	14.50	0.50

बाह्य बंदरगाह – दिन में :

(मीटर में)

विवरण	लोवा	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार भाटा
ओ बी-1 और 2	300	50.00	17.00	---
कंटेनर टर्मिनल (वी सी टी)	390	48.00	16.00	0.5
वीजीसीबी (200,000 डीडब्ल्यूटी)	300	50.00	18.10	1.0
ओएसटीटी	280	50.00	17.00	---
एल पी जी बर्थ	230	42.00	14.00	---
चौनल बर्थ	चौनल घाट पर क्रूज़ टर्मिनल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।			
मत्स्य बंदरगाह	230	42.00	14.00	---
एसपीएम	बर्थिंग दिन के समय में ही किया जा सकता है ।			

- ✓ 270 मी. से अधिक लोवा वाले या 42 मी. से अधिक बीम वाले जलयानों की संभलाई दो पायलेटों द्वारा की जा सकती है।

बाह्य बंदरगाह – रात्रि नौचालन :

आगमन :

- 1 एल पी जी / ओएसटीटी घाटों पर 220 मी. लोवा के टैंकरों को और इससे अधिक एल पी जी / ओएसटीटी पर दो पायलेटों द्वारा बर्थ किया जाता है ।
- 2 ओ बी -1 / ओ बी -2 और वी जी सी बी के पास 75,000 डीडब्ल्यू टी और उससे अधिक वाले जहाज और 270 मी. और उससे अधिक लोवा वाले जलयान कंटेनर टर्मिनल पर 2 पायलेटों के साथ बर्थ किए जाते हैं ।

नोट :

- ✓ अधिक ड्राफ्ट वाले जलयानों के साथ मामले से मामले के आधार पर उपयुक्त ज्वार पर विचार करते हुए अनुमति दी जाएगी ।
- ✓ सारणी में उल्लिखित ड्राफ्ट डॉक जल घनत्व पर विचार कर रहे हैं ।
- ✓ मॉ जहाजों के साथ बेटी जहाजों की बर्थिंग / अन- बर्थिंग की संभलाई दो पायलेटों द्वारा की जा सकती है ।

3.0 दक्षता पौरामीटर्स

- 3.1 वर्ष 2022-23 में प्रति शिप घाट दिवस उत्पादन 12,421 टन है, जहाजों का आवर्तन समय 3.12 दिन और औसतन प्री बर्थिंग अवरोध 0.07 दिन रहा ।

3.2 भौतिक दक्षता पौरामीटर्स

वस्तुओं का वर्ग	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पीबीडी (दिन)		औसतन टी आर टी (दिन)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
1. ड्राई बल्क (यांत्रिक.)	24698	28,310	0.05	0.03	2.91	2.46
2. ड्राई बल्क (परंपरागत)	8605	8,850	0.10	0.04	4.75	4.21
3. तरल बल्क	17868	16,659	0.06	0.03	1.83	1.71
4. ब्रेक बल्क	2086	1,938	0.10	0.06	7.22	8.79
5. कंटेनर्स	28081	26,578	0.06	0.04	1.01	1.29
6. निवल	12421	11,923	0.07	0.04	3.12	3.11

पी बी डी रु प्री बर्थिंग अवरोध, टी आर टी रु आवर्तन काल, ओ एस बी डी रु प्रति जहाज घाट दिवस उत्पादन

- 3.3 प्रति जहाज घाट दिवस अधिकतम उत्पादन के साथ कार्गो (ओ एस बी डी) :

वर्ष के दौरान पेट कोक (आ) में ओएसबीडी 9,859 टन का रिकॉर्ड दर्ज किया, जो 2021-22 के दौरान पिछले 9,339 टन के सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पार कर गया ।

3.4 प्रति जहाज घाट दिवस (ओएसबीडी) के उत्पादन का वस्तुवार विवरण तथा औसतन पार्सल

वस्तु	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पीबीडी (दिन)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
क. ड्राई बल्क (यांत्रिक)				
1. लोहा अयस्क यांत्रिक दृ विदेशी	27,056	17,605	60,125	54,032
2. लोहा पिल्लेट्स – विदेशी	—	25,831	—	62,580
3. लोहा अयस्क यांत्रिक. – तटीय	30,419	32,985	83,777	65,251
4. लोहा पिल्लेट्स यांत्रिक –तटीय	32,645	40,965	72,020	68,735
5. अल्यूमिना पाऊडर	17,986	21,331	30,309	30,393
6. गंधक दृ एफबी पर	—	—	—	—
7. रॉक फास्फेट एफ बी	5,045	4,539	45,382	33,496
8. एफ बी पर कच्चा माल	—	—	—	—
9. कोकिंग कोल	19,175	21,849	44,997	49,212
10. स्टीम कोल	20,696	26,745	88,801	119,665
कुल ड्राई बल्क (यांत्रिक)	24,698	28,310	68,703	66,444
ख. ड्राई बल्क (परंपरागत)				
11. लोहा अयस्क	11,697	11,279	54,656	53,193
12. लोहा पिल्लेट	14,280	10,909	61,788	46,958
13. अन्य अयस्क	6,644	7,260	26,095	26,222
14. क्यू बी पर गंधक	4,512	4,685	21,280	21,845
15. रॉक फास्फेट – क्यू बी	6,055	5,913	36,368	34,832
16. क्यू बी में कच्चा माल	5,807	6,439	30,740	35,484
17. कोकिंग कोल	13,533	17,872	40,398	46,023
18. थर्मल कोल	19,265	21,200	53,785	56,396
19. लाईम स्टोन	8,641	7,545	32,930	29,318
20. लौम कोक	6,012	5,560	24,380	21,796
21. बी एफ स्लौग	15,250	16,962	61,660	71,737
22. स्टीम कोल	10,216	13,797	56,181	53,781
23. पेट कोक (आयात)	9,859	9,339	36,291	34,369
24. सी पी कोक (निर्यात)	4,284	4,137	14,164	14,550
25. जिप्सम	13,918	9,408	1,08,300	62,368

वस्तु	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पीबीडी (दिन)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
26. मौजी (बल्क)	4,299	3,595	38,168	33,357
27. सी.पी.कोक (आयात)	3,565	2,842	23,390	21,145
28. आंत्रासाईट कोल	7,804	10,423	29,034	33,709
29. लोहा अयस्क (आयात)	10,906	9,482	50,262	43,645
30. अन्य ड्राई बल्क	4,557	5,049	23,792	20,118
कुल ड्राई बल्क (परंपरागत)	8,605	8,850	38,983	36,025
ग. तरल बल्क				
31. निर्यात पी ओ एल उत्पाद्य- आं बं	7,194	7,681	15,097	15,626
32. आयात पी ओ एल उत्पाद्य- आं बं	7,004	6,720	13,252	10,130
33. आयात पी ओ एल उत्पाद्य- बा बं	13,282	12,674	25,921	24,427
34. एल पी गैस	11,292	11,970	22,972	23,950
35. आयात क्रूड ऑयल	70,661	60,218	1,14,372	92,634
36. यानांतरण क्रूड ऑयल	---	---	---	---
37. (नि)(ओएच) क्रूड ऑयल का यानांतरण	---	---	---	---
38. यानांतरण पी ओ एल उत्पाद्य	26,980	30,305	29,687	30,358
39. निर्यात पीओएल का यानांतरण	22,812	25,278	29,687	30,358
40. फास्फारिक एसिड	6,623	7,374	6,030	6,888
41. कार्बिक सोडा	9,799	10,222	16,635	15,172
42. तरल अमोनिया	5,899	5,306	6,763	5,704
43. माल्टेन गंधक	7,195	8,330	9,604	8,157
44. स्टेरीन मोनोमार	---	---	---	---
45. निर्यात पीओएल बा.बं.	13,890	15,964	26,647	42,460
46. एथिलिनी आल्काहॉल	2,989	2,730	1,713	2,536
47. सल्फ्यूरिक एसिड	10,287	10,090	14,634	13,699
48. बयो डीज़ल	3,098	4,951	2,770	4,559
49. एडिबिल ऑयल	---	8,575	---	26,173
50. अन्य रसायन	5,824	5,337	6,769	7,502
कुल तरल बल्क	17,868	16,659	29,988	26,327

वस्तु	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पीबीडी (दिन)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
घ. ब्रेक बल्क				
51. खाद्यान्न (बोरें) दृ (एफ)	1,661	1,508	29,698	35,586
52. इस्पात कार्गो (आयात)	1,838	2,019	11,902	16,500
53. पिग आयरन	---	---	---	---
54. आयात सामान्य कार्गो	797	1,740	1,522	8,201
55. निर्यात सामान्य कार्गो	1,676	3,502	14,199	27,885
56. उर्वरक (बोरें)	1,704	1,493	15,771	10,328
57. ग्रेनाईट ब्लॉक्स (निर्यात)	3,226	3,055	12,977	15,295
कुल ब्रेक बल्क	2,086	1,938	14,597	16,601
च. कंटेनर कार्गो	28,081	26,578	24,523	31,510
कुल योग	12,421	11,923	36,668	35,516

3.5 वस्तुवार औसतन प्री बर्थिंग अवरोध (पोर्ट लेखा) और औसतन आवर्तन काल

वस्तु	ओ एस बी डी (पोर्ट लेखा) (घंटों में)		औसतन पीबीडी (दिनों में)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
क. ड्राई बल्क (यांत्रिक)				
1. लोहा अयस्क (एफ)	---	0.70	2.30	3.17
2. लोहा पिल्लेट्स (एफ)	---	0.52	---	2.52
3. लोहा अयस्क (सी)	0.80	0.98	2.87	2.10
4. लोहा पिल्लेट्स (सी)	0.54	0.66	2.30	1.77
5. अल्यूमिना	1.32	1.23	1.84	1.58
6. एफ बी पर गंधक	---	---	---	---
7. रॉक फास्फेट एफ बी	1.42	0.33	9.22	7.50
8. एफ बी पर कच्चा माल	---	---	---	---
9. कोकिंग कोल	1.87	1.05	2.51	2.36
10. स्टीम कोल	1.70	0.63	4.46	4.59
कुल ड्राई बल्क (यांत्रिक)	1.10	0.83	2.91	2.46
ख. ड्राई बल्क (पर)				
11. लोहा अयस्क	1.22	0.76	4.83	4.86
12. लोहा पिल्लेट्स	0.49	0.94	4.47	4.43
13. अन्य अयस्क	1.97	0.99	4.11	3.76
14. क्यू बी पर गंधक	0.22	0.11	4.83	4.76
15. क्यू बी पर रॉक फास्फेट	1.72	1.05	6.19	6.05
16. क्यू बी पर उर्वरक	4.05	0.74	5.57	5.65
17. कोकिंग कोल	3.74	1.17	3.27	2.75
18. थर्मल कोल	1.18	0.60	2.94	2.77
19. स्टीम कोल	1.40	0.81	5.68	4.05
20. लाईम स्टोन	4.10	0.91	4.09	4.03
21. जिप्सम	2.17	0.25	7.93	6.77
22. मौजी बल्क	0.75	0.44	9.01	9.40
23. लेम कोक	2.59	1.50	4.26	4.09

वस्तु	ओ एस बी डी (पोर्ट लेखा) (घंटों में)		औसतन पीबीडी (दिनों में)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
24. बी.एफ.स्लाग	—	—	4.15	4.32
25. पेट कोक (आयात)	2.70	0.98	3.90	3.83
26. सी.पी. कोक (निर्यात)	9.16	2.07	3.78	3.70
27. सी.पी. कोक (आयात)	2.54	0.50	6.78	7.56
28. आंत्रासाईट कोल	0.85	0.69	3.87	3.37
29. अन्य ड्राई बल्क	2.15	1.06	5.55	4.12
30. आयात लाहा अयस्क	0.43	0.40	4.74	4.73
कुल ड्राई बल्क (परंपरागत)	2.35	0.91	4.75	4.21
ग. तरल बल्क				
31. निर्यात पी ओ एल उत्पाद्य— आं बं	1.51	0.55	2.24	2.15
32. आयात पी ओ एल उत्पाद्य— आं बं	1.79	0.56	2.06	1.62
33. आयात पी ओ एल उत्पाद्य— ब बं	1.41	0.51	2.09	2.04
34. एल पी गौस	1.50	0.48	2.18	2.12
35. आयात क्रूड ऑयल	1.00	0.85	1.76	1.69
36. यानांतरण क्रूड ऑयल	—	—	—	—
37. निर्यात क्रूड ऑयल का यानांतरण आं.बं.	—	—	—	—
38. यातनांतरण पीओ एल उत्पाद्य	1.09	1.12	1.24	1.14
39. निर्यात पीओएल का यानांतरण आं.बं.	1.60	0.35	1.46	1.30
40. फास्फारिक एसिड	1.46	0.17	1.07	1.03
41. कार्बिक सोडा	1.79	1.17	1.88	1.64
42. तरल अमोनिया	2.70	0.87	1.37	1.27
43. माल्टेन गंधक	1.05	4.45	1.46	1.24
44. स्टेरीन मोनोमार	—	—	—	—
45. सल्फ्यूरिक एसिड	0.93	1.14	1.56	1.50
46. अन्य तरल	1.90	1.25	1.33	1.55
47. बयो डीज़ल	3.33	1.26	1.12	1.02
48. निर्यात पीओएल का यानांतरण बां.बं.	0.46	—	2.03	2.77

वस्तु	ओ एस बी डी (पोर्ट लेखा) (घंटों में)		औसतन पीबीडी (दिनों में)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
49. एथिलिनी आल्काहॉल	1.57	1.18	0.73	1.07
50. एडिबिल ऑयल	—	—	—	3.12
कुल तरल बल्क	1.50	0.79	1.83	1.71
घ. ब्रेक बल्क				
51. आयात सामान्य कार्गो	0.52	0.98	2.01	4.85
52. निर्यात सामान्य कार्गो	1.50	1.48	8.62	8.14
53. इस्पात कार्गो (निर्यात)	1.81	1.55	6.72	8.49
54. पिग आयरन	—	—	—	—
55. ग्रानाईट ब्लॉक्स	1.30	0.72	4.17	5.14
56. उर्वरक थैली	6.82	2.64	9.64	7.12
57. अनाज (थैली) – एफ	2.38	1.00	18.07	23.74
कुल ब्रेक बल्क	2.40	1.43	7.22	8.79
च. कंटेनर्स	1.53	0.91	1.01	1.29
कुल योग	1.78	0.90	3.12	3.11

अन्य विवरण अनुलग्नक 13,14 एवं 15 में दिए गये हैं।

3.6 शिफ्ट का प्रति गैंग काम्रिकों का निष्पादन :

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रति शिफ्ट गैंग का उत्पादन 617 टन था।

आगे का विवरण अनुलग्नक 16 में दिये गये हैं।

4.0 अयस्क संभलाई संकुल

4.1 अयस्क संभलाई संकुल के तीन टिप्पलर्स ने अभिग्राही प्रणाली द्वारा 2022-23 में 1,294 रैकों का टिप्पल किया गया, जबकि वर्ष 2021-22 में 1,523 रैकों को टिप्पल किया गया था। 56.69 लाख टन का लोहा अयस्क प्राप्त किया गया और यांत्रिक रूप से टिप्पल किया गया।

4.2 वौगन टिप्पलर्स का निष्पादन :

विवरण	2022-23	2021-22
टिप्पलर्स रैकों की संख्या	1,306	1,523
— यांत्रिक	1,294	1,523
— हस्तगत	12	—
टिप्पलर्स वैगनों की संख्या	74,712	87,475
— यांत्रिक	74,026	87,475
— हस्तगत	686	—
खाली समय में टिप्पल की गई रैकों की संख्या	1029 (79%)	852 (56%)

टिप्पल किये गये रैकों की बारंबारता वितरण

प्रति दिन रैक	वर्ष में दिन	
	2022-23	2021-22
6 तक	316	325
7 से 8	18	38
9	—	02
10	—	03
11	—	—
12 और उससे अधिक	—	—
टिप्पल नहीं किये गये दिन	31	—
कुल	365	365

4.3 बाह्य बंदरगाह में अयस्क संभलाई संकुल के शिपिंग प्रणाली ने 156 लोहा अयस्क जलयानों से 119.28 लाख टनों का लोहा अयस्क तथा पिल्लेटों की संभलाई की गई।

4.4 लदान दर का बारंबार वितरण (प्रचालन घंटों पर आधारित) : (जलयानों की संख्या)

उत्पालदन (टन)	2022-23	2021-22
40,000 टन से कम	21	26
40,000 से 50,000 टन	43	29
50,000 से 60,000 टन	51	57
60,000 से 70,000 टन	37	68
70,000 से 80,000 टन	3	13
80,000 से अधिक	—	—
कुल	155	193

4.5 चालू वित्तीय वर्ष में विशाखपट्टणम पोर्ट द्वारा तेईस निर्यातकों ने लोहा अयस्क और लोहा अयस्क पिल्लेटों का निर्यात किया गया।

5.0 पोर्ट रेल्वे

5.1 वर्ष 2022-23 में पोर्ट रेल्वे द्वारा 31.47 मि.टन यातायात का संचालन किया गया।
(मिलियन टन)

विवरण	2022-23	2021-22	2020-21
प्राप्त लोहा अयस्क	5.72	6.64	8.15
प्राप्त सामान्य	5.83	8.23	7.97
प्रेषित सामान्य	19.92	15.99	16.26
कुल	31.47	30.86	32.38

5.2 संभलाये गये वौगनों की संख्या – सामान्य यातायात :

पोर्ट रेल्वे ने वर्ष 2022-23 में 4 पहियों के मामले में (लोहा अयस्क के अलावा) 18.39 लाख वेगन यूनिट्स की संभलाई की जब कि वर्ष 2021-22 में 16.57 लाख वेगन यूनिट्स की।

वर्ष	वेगन यूनिटों की संख्या		
	प्राप्त	प्रेषित	कुल
2022-23	919,855	919,765	1,839,620
2021-22	828,688	828,007	1,656,695
2020-21	838,905	838,280	1,677,185
2019-20	944,190	944,368	1,888,558

वेगन यूनिटों की औसतन संख्या (चौपहियों के संबंध में) (लोहा अयस्क के अलावा)

विवरण	2022-23	2021-22
प्रति दिन प्राप्त वौगन यूनिटों की औसत संख्या	2,520	2,270
प्रति दिन प्रेषित वौगन यूनिटों की औसत संख्या	2,519	2,269

अन्य विवरण अनुलग्नक 17 एवं 18 में दिये गये हैं।

5.3 संभलाये गए रैक्स की संख्या – लोहा अयस्क (यांत्रिक और हस्तचालित) (वित्त वर्ष 2022–23)

विवरण	ओ एच पी	मैनुअल साईडिंग्स	कुल
प्राप्त रैक	1,784 (1,558)	61 (35)	1,845 (1,593)
टिप्पल / उतराई रैक	1,784 (1,558)	61 (35)	1,845 (1,593)
टिप्पल / उतराई वेगन	1,03,402 (75,421)	3,570 (2,147)	1,06,972 (77,568)
प्राप्त की गई मात्रा (लाख टनों)	78.98 (69.23)	2.57 (3.43)	81.55 (72.66)

(कोष्टकों में आंकड़ें 2021–22 से संबंधित हैं)

अन्य विवरण अनुलग्नक 19 एवं 20 में दिये गये हैं ।

6.0 कार्गो संभलाई उपकरण का उपयोग

वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 के लिए कार्गो संभलाई उपकरण अर्थात् मोबाइल क्रेन और फोर्क लिफ्ट की उपलब्धता और उपयोग अनुलग्नक 21 में दिये गये हैं।

7.0 निकर्षण

7.1 पूँजी निकर्षण

वर्ष 2022–23 के दौरान अन्य कंपनियों द्वारा 0.222 मिलियन क्यू.मी. पूँजी निकर्षण किया गया।

7.2 अनुरक्षण और निक्षेप निकर्षण

पोर्ट ड्रेजर :

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पोर्ट ड्रेजर जीएचडी सागर दुर्गा द्वारा 0.0565 लाख गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान डीसीआई ड्रेजर्स द्वारा 0.1502 मिलियन क्यू. मी. मात्रा का अनुरक्षण निकर्षण किया गया है ।

वर्ष के दौरान 0.4287 मिलियन क्यू.मी. मात्रा पूँजी और अनुरक्षण किया गया है ।

विवरण अनुलग्नक – 22 एवं 23 में दर्शाया गया ।

8.0 सामानसूची प्रबंधन

- ✓ वर्ष 2022-23 में सामान सूची स्टॉक मद 213 था जबकि 2021-22 में 365 थी।
- ✓ वर्ष 2022-23 के लिए गैर न्यूनतम स्टॉक मदें (एनएमएस) 26 हैं जबकि 2021-22 में 76 थी।
- ✓ वर्ष के दौरान प्राप्त कुल माँग/आवश्यकताओं की संख्या 246 है।
- ✓ वर्ष के दौरान कुल क्रय आदेशों की संख्या 294 हैं।
- ✓ वर्ष में उपभोग्य वस्तुओं का अनुपालन प्रतिशत 86.04% है।
- ✓ समान्य स्टोर्स डिपों की मालसूची रु. 4.45 करोड़ है।
- ✓ वर्ष के दौरान कुल रु. 2.06 करोड़ मूल्य की मदों का निपटारा किया गया।

पोर्ट ट्रेजर जीएचडी सागर दुर्गा ड्राई वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मरम्मत के लिए डॉक किया गया।

वर्ष के दौरान डीसीआई ट्रेजर्स द्वारा 2.2984 लाख घनमीटर अनुरक्षण ट्रेजिंग की गई।

वर्ष के दौरान पूंजी और रखरखाव के लिए 2.3084 लाख घन मीटर की मात्रा की गई।

9. पूंजी व्यय :

- 9.1 वर्ष 2022-23 में योजना कार्यों पर पूंजीगत व्यय का विवरण परिशिष्ट-26 पर दर्शाया गया है।
- 9.2 वर्ष 2022-23 में स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये एवं प्रगतिरत कार्य अनुलग्नक 27-32 में हैं।

मानव संसाधन विकास (वित्त वर्ष 2022-23):

1.0 औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध संतोषजनक रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में कोई हड़ताल/रुकावट नहीं है। विवरण अनुलग्नक-38 पर दिया गया है।

2.0 स्टाफ की संख्या और मानव संसाधन विकास

स्टाफ की संख्या का विवरण – अनुलग्नक –33 में दिया गया है।

वर्ष के दौरान चुकाये गये वेतन और मजदूरी का विवरण –अनुलग्नक – 34 में दिया गया है। दि. 31.03.2023 तक अ जा / अ ज जा के आरक्षण का विवरण –अनुलग्नक-35 में दिया गया है।

- 2.1 कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से वर्ष वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मानव संसाधन विकास केन्द्र द्वारा 79 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। 2,151 कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये हैं।

विवरण	प्रशिक्षित कर्मचारियाँ
अधिकारी	102
पर्यवेक्षक	444
लिपिक वर्गीय स्टाफ	681
कर्मकार	519
कें.औ.सु.ब.	99
अन्य	305

3.0 कल्याणकारी गतिविधियां (वित्त वर्ष 2022-23):

3.1 चिकित्सा सुविधाएं :

- ☐ पोर्ट कर्मचारियों के लिए रोग निरूपण तथा इलाज के लिए चिकित्सा के संपूर्ण उपकरणों से सज्जित 80 पलंग सहित पोर्ट अस्पताल कार्य कर रहा है ।
- ☐ मेडिकल, सर्जिकल, गायनिक, आर्थो, इ एन टी, आन्ध्राल्मिक, पीडियाट्रिक्स, आन्कोलजी, कार्डियोलजी, नेफ्रोलजी तथा चर्मरोग के लिए विशेषज्ञों का क्लिनिक चल रहा है। अस्पताल में जांच सेवाएं जैसे कि क्लिनिकल तथा बायो केमिकल लेबोरेटरी, 500 एम ए एक्सरे प्लैंट के साथ रेडियोलॉजी, आल्ट्रा साउंड स्कैनर तथा ईसीजी डेंटल आदि की व्यवस्था है। डाइट अनुभाग तथा फिजियोथेरेपी युनिट है।
- ☐ 10 डॉक्टर्स और सूपर स्पेशाल्टी जैसे कॉर्डियालजि, यूरोलजी, गॉस्ट्रोएंटरॉलजी, नेफ्रोलजी और आन्कोलजी आदि के 16 विविध विशेषज्ञ विजिटिंग परामर्शक डॉक्टर्स उपलब्ध है। इसके अलावा अस्पताल में आयुर्वेद तथा होमियोपेथी क्लिनिक भी शुरू किया गया है ।

- ❑ उपर्युक्त के अलावा बच्चों को पोलियो, डी पी टी, चेचक से बचाने टीकाकरण के लिए हर बुधवार और शनिवार को कार्य कर रहा है। आईडस सेल, इंटेसिव केयर यूनिट, विशेष उपकरणों के साथ छोटे और बड़े सर्जिकल आपरेशन्स करने के लिए टिन एयर कंडीशन आपरेशन थियेटर्स अस्पताल में उपलब्ध है।
- ❑ सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति पत्नियों के लिए, कें.औ.सु.ब. तथा पोर्ट स्कूल एवं कॉलेज में कार्य करने वाले स्टाफ उनके आश्रितों के लिए भी चिकित्सा सुविधा विस्तार किया गया।
- ❑ कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्पेशलाईज्ड कार्पोरेट अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी इलाज दिया जाता है।
- ❑ कर्मचारियों, श्रमिकों, और उनके बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिनामुशिडिवाडा में एक और डॉक एरिया के पास एक शाखा औषधालय हैं।

निष्पादन विवरण :

की गई लैबोरेटरी जाँच की संख्या	1.68 लाख
इलाज किये गये वाह्य रोगियों की संख्या	1.74 लाख
भुगतान पर इलाज मामलों की संख्या	62
भुगतान मामलों से प्राप्त आमदनी (केबिन प्रभार)	0.50 लाख

औषधालयों में कार्यचालन :

मुख्य अस्पताल / डिस्पेंसरी	इलाज किये गये मरीजों की संख्या
1. जी जे एच मुख्य अस्पताल	1,74,574
2. पोर्ट एरिया डिस्पेंसरी	20,149
3. चिनामुशिडिवाडा डिस्पेंसरी	5,025
कुल	1,99,748

क्लिनिकों का कार्यचालन :

विवरण	2022-23	2021-22
प्रतिरक्षण किये गये मामलों की संख्या	18	46
पोलियो वैक्सीनेशन की संख्या	06	37
हेपाटिटिस-बी वैक्सीनों की संख्या	06	17
बी सी जी	05	08
डी पी टी	---	15
एम एम आर	01	07
मीजल्स	---	---

व्यवसायिक स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक :

वर्ष 2022-23 को क्लिनिक में उपस्थित अधिकारी / कर्मचारियों की सं.1446 है ।

आंतरिक रोगी सेवायें :

विवरण	2022-23	2021-22
भर्ती किये गये रोगियों की संख्या	1,139	2,625
किये गये आपरेशन्स की सं. (बड़े/छोटे)	3,192	3,099
किये गये प्रसवों की संख्या	---	---

परिवार कल्याण :

विवरण	2022-23	2021-22
किए गए ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन्स की संख्या	0	---
किए गए वेसक्टोमी ऑपरेशन्स की संख्या	---	---

चिकित्सा परीक्षा :

वर्ष 2022-23 के दौरान नये भर्ती / चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति / आवधिक दृष्टि परीक्षण आदि के लिए परीक्षा किये गये मामलों की सं.02 है ।

प्रथमोपचार केन्द्र :

वर्ष 2021-22 के दौरान 2,582 प्रथमोपचार मामलों का इलाज किया गया जबकि वर्ष 2022-23 में 2,354 था ।

सफाई :

क्वे बर्थ से 3 कि.मी. की परिधि में तथा आवासीय कोलनियों में भी मच्छर नाशक उपाय नियमित और प्रणालीबद्ध रूप से किये गये। नियमित रूप से ऐंटी-रोडेंट उपाय किए गए हैं।

3.2 शिक्षा :

सालिग्रामपुरम पोर्ट आवास कॉलनीयों में एक (1x से x तक कक्षाएं हैं) हाई स्कूल चल रहा है। हाई स्कूल में छात्रों की संख्या 93 था। स्कूल में 10 टीचिंग स्टाफ एवं 06 नॉन टीचिंग स्टाफ थे।

विवरण निम्नांकित है :

विवरण	शिक्षण स्टाफ	गैर-शिक्षण स्टाफ	विद्यार्थियों की सं.
सालिग्रामपुरम			
हाई स्कूल गोदावरी	10	4	93
वीपीए कार्यालय में स्टाफ	06	1	---
कुल	16	5	93

इसके अतिरिक्त 6 शैक्षणिक कर्मचारी और 2 गैर शैक्षणिक कर्मचारी पोर्ट के कार्यालयों में काम कर रहे हैं ।

3.3 आवास :

दि. 31-03-2023 को पोर्ट एवं सी एच डी के कार्मिकों को आंबटित क्वार्टरों की सं.456 है । आगे, आंबटित क्वार्टरों का विवरण अनुलग्नक-36 में दिया गया है ।

3.4 खेल-कूद :

वर्ष के दौरान आयोजित की जानेवाली विभिन्न टूर्नामेंटों में विशाखपट्टणम पोर्ट स्पोर्ट कौंसिल (वीपीएसी) टीमों ने भाग लिया ।

वर्ष 2022-23 के दौरान वीपीएसी टीमों भारोत्तोलन, बॉडी बिल्डिंग, शतरंज, केरम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, लॉन टेनिस, शटिल बॉटमिंग्टन, टेबल टेनिस, वॉली बॉल और बीच वॉली बॉल चैंपियनशिप में भाग लिया और विजेता, उप विजेता, व्यक्तिगत स्थान पदक हासिल किया ।

3.5 अन्य कल्याणकारी गतिविधियाँ :

पोर्ट ने रु. 25 लाख बजट के साथ कल्याण निधि की व्यवस्था की, इस से निम्न लिखित कल्याण कार्य किए गए हैं :

- ❑ पोर्ट ने कर्मचारी / कर्मचारियों तथा उनके बच्चों को उच्चस्तरीय जैसे स्नातक और स्नातकोत्तर, पोलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिसिन शिक्षा प्राप्त कर रहे और व्यवसायिक कोर्स जैसे आईसीडब्ल्यूआई, कंपनी सचिव आदि का अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।
- ❑ इंटरमीडियट तक पब्लिक परीक्षा में पहले तीन रैंक हासिल करने पर और इंटरमीडियट के बाद स्तर में पहले दो रैंक प्राप्त करने वाले पोर्ट कर्मचारी के बच्चों को मेरिट छात्रवृत्ति ।
- ❑ श्रामिक शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले कर्मचारी और श्रमिकों के लिए 3 महीने की अवधि के लिए, प्रशिक्षण अवधि को ड्यूटी पर मानते हुए, टीए और डीए और अन्य स्वीकार्य भत्ते देने के अलावा, औद्योगिक अध्ययन दौरे में भाग लेने के लिए प्रति प्रतिभागी को 9 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश और रु. 2500/- की वसूली योग्य अगिग्रम प्रदान किया जा रहा है ।
- ❑ सामान्य बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को प्रति दिन रु. 50/- की वित्तीय सहायता और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को रु. 75/- प्रति दिन की वित्तीय सहायता के लिए प्रावधान किया गया है, बशर्ते कि अधिकतम रु. 2,500/- के आधार पर होगा जो, कल्याण निधि से बिना वेतन के छुट्टी के बिनों की संख्या के आधार पर प्रदान की गई है । यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी के मामले में विशेष भोजन के लिए रु. 400/- की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जा रहा है ।
- ❑ कैंटीन को रसोई गैस, बर्तन उपकरण, बिजली के उपकरण आदि सहित संरचना ढांचे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, मुफ्त में बिजली और पानी की आपूर्ति की जाती है । विभिन्न कार्य स्थलों पर लंच-कम-रेस्ट रूम का उपलब्ध कराए गए हैं ।

- ❑ वर्ष 2022 के दौरान 23 परिवार विवाद मामले प्राप्त किये गये हैं और बेहतर जीवन के लिए उनका काउंसिलिंग किया गया।
- ❑ वर्तमान में विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों को अपने / लड़का एवं लड़की की शादी के लिए / रु. 10,000/- प्रति दिन पर श्री सीतारामा कल्याण मंडपम आबंटित किया जाता है।
- ❑ पोर्ट के कर्मचारी और उनके बच्चों के लिए जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद और चेन्नौ द्वारा आयोजित के हिंदी परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। पोर्ट कर्मचारियों और पोर्ट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी नकद पुरस्कार प्रदान किए गए, जिन्होंने हिन्दी परीक्षा पास होते हैं।
- ❑ बाहरी अस्पतालों में रिफर किए गए मृत कर्मचारियों / परिवार के सदस्यों के शवों के परिवहन की लागत की प्रतिपूर्ति दी जाती है।
- ❑ देहांत हुई सेवारथ कर्मचारियों को पोर्ट द्वारा प्रदान किए गए गृह निर्माण अग्रिम का भारी शेष रकम की बाधा से मुक्त होने के लिए विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट ने गृह निर्माण अग्रिम परिवार सुरक्षा पारस्परिक निधि योजना नामक एक योजना का विकसित किया।
- ❑ पोर्ट ने कर्मचारियों की आवश्यकता होने पर कृत्रिम अवयव की व्यवस्था करती है।
- ❑ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित बिलों को प्रस्तुत करने पर रु. 1,000/- तक चश्मे की लागत प्रतिपूर्ति दी जाती है।
- ❑ दिवंगत कर्मचारी के दहन संस्कार के लिए उनके परिवार को अनुकंपा निधि से प्रति परिवार को रु. 10,000/- रकम के हिसाब से कुल 15 परिवारों को दिया गया।
- ❑ खेल-कूद आयोजित करने के लिए कल्याण निधि रु. 10,000/- रकम का बजट प्रावधान किया गया था और सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए इसका उपयोग किया गया था।
- ❑ पोर्ट कर्मचारी और उनके परिवार सदस्यों को लेज़र सर्जरी कराने के लिए 50: या 15,000/- जो कम होता पुर्नभुगतान करने की व्यवस्था की गई।
- ❑ प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है जिसमें 200 से अधिक महिला कर्मचारियों ने समारोह में भाग लिया, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, वरिष्ठ महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है, जिसके लिए रु. 3,00,000/- राजस्व निधि से स्वीकृत किया गया था।

कल्याण निधि से दी गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-37 में दिया गया है।

सुरक्षा उपाय (वित्त वर्ष 2022-23):

- ❑ आईएमडीजी कोड, प्रासंगिक विनियमों और जांच सूचियों का विधिवत पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार खतरनाक/जोखिम कार्गो संभलाई की निगरानी की जा रही है, जो पोर्ट संचालन पर उन्नत सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से विकसित की गई हैं।

- ❑ पोर्ट सुरक्षा समिति की बैठकें उपाध्यक्ष/वीपीए (पोर्ट सुरक्षा समिति के अध्यक्ष) की उपस्थिति में डॉक कर्मचारी (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1990 के विनियम 114(3) के अनुसार समय-समय पर आयोजित की जा रही हैं। विभागीय स्तर के सुरक्षा मुद्दों को हल करने के लिए अतिरिक्त सहायक निदेशक (सुरक्षा) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित हैं, सभी विभागाध्यक्ष सहित संघ के प्रतिनिधियों और पोर्ट सुरक्षा समिति के सदस्य हैं।
- ❑ कार्यस्थलों के स्तर में सुरक्षा मामलों पर शॉप फ्लोर सुरक्षा समिति बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- ❑ डॉक एवं औद्योगिक परिचालनों में कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन का मॉनिटरिंग इंस्पेक्टर डॉक सेफ्टी, इंस्पेक्टर ऑफ फेक्टरीज जैसे प्रवर्तित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- ❑ कर्मियों में निपुणता का विकास हेतु 'कार्य पर सुरक्षा जागरूकता' का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- ❑ दिनांक 4 से 10 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। पोर्ट कर्मचारियों, पोर्ट के उपभोक्ता, स्टीवडोर्स को शामिल करते हुए विभिन्न सुरक्षा प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं।
- ❑ कार्य स्थलों में सुरक्षा पद्धतियों पर कर्मचारों को जागृत करने और प्रेरणा देने के लिए विशेष रूप से एक स्ट्रीट प्ले तैयार किया गया और कार्य स्थलों पर प्रदर्शित किया गया। सुरक्षा प्रशासन में कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सुरक्षा प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।
- ❑ वर्ष 2021-22 के दौरान दुर्घटना एवं दुर्घटनाओं में घायल कर्मकार आदि का विवरण अनुलग्नक 39 में दिया गया है

दुर्घटना प्रबंधन योजना

- ❑ एक व्यापक दुर्घटना/संकट प्रबंधन योजना विकसित की गई है, मानक प्रचालन पद्धतियों के साथ दुर्घटना/संकट प्रबंधन योजना और जोखिम मूल्यांकन अध्ययन शामिल हैं।
- ❑ वीपीए के पास ऑन साईट / ऑफ साईट से संकटों को निपटने के लिए दो समूह हैं अर्थात् (प) संकट प्रबंधन समूह जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी विभागाध्यक्ष शामिल हैं और (पप) घटना रिपोर्टिंग टीम (आईआरटी) जिसमें हार्बर मास्टर, फायर आफिसर, कार्यकारी अभियंता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, उप यातायात प्रबंधक और उप कमांडेंट एवं कैं.सु.औ.बल होते हैं।
- ❑ एनओएसडीपीसी के तहत वीपीए के पास अलग ऑयल स्पिल का संभाव्यता योजना है।
- ❑ वीपीए के पास पोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित फायर ब्रिगेड हैं। वीपीटी के पास प्राकृतिक विपत्तियों से निपटने के लिए विकसित कार्यवाही योजना है। इस सिस्टम को आवधिक रूप से लेखापरीक्षा किया जा रहा है।
- ❑ वीपीए ने आवधिक रूप से सभी परिदृश्यों के लिए मॉक ड्रिल और वही वृद्धि करने के लिए समीक्षा की जा रही है।

सुरक्षा

- ❑ विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण 02-02-2013 से समुद्री सुरक्षा के स्तर-1 में है। आई एस पी एस कार्यकलापों की समीक्षा हेतु जिला समाहर्ता एवं मेजिस्ट्रेट के साथ इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, केंद्र एवं राज्य इंटरलिजेंस, फिशरीज, सीमाशुल्क के सदस्य सहित सुरक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
- ❑ पोर्ट ने वीपीए में आये हुए जहाजों पर सुरक्षित और कुशल नौचालन के लिए वीटीएस (जहाज यातायात प्रबंधन प्रणाली) को स्थापित किया और प्रचालन जुटाया गया।
- ❑ वीपीए द्वारा बम खोज उपस्कर प्राप्त किया गया और डीफ्यूजिंग स्क्वेड तैयार करने के लिए कार्रवाई की गयी है।
- ❑ वीपीए द्वारा आंतरिक एवं बाह्य बंदरगाह को संपूर्ण रूप से कवर करने के लिए क्लोज्ड सरक्यूट टेलिविजन (सीसीटीवी) जैसी आधुनिक गेड्जेट्स लगाया गया। कें.औ.सु.बल द्वारा प्रवेश / निकासी गेटों पर चौबीस घंटे प्रचालन का निगरानी है।
- ❑ सभी 06 गेट (जीसीबी, डीएम, ईक्यू, डब्ल्यूक्यूएस, डब्ल्यूक्यू-5, डब्ल्यूक्यू-7 और एनडब्ल्यू सेंटर) पर आरएफआईडी आधारित गेट मैनेजमेंट सिस्टम।
- ❑ एंकरेज पर चौबीस घंटे निगरानी करने के लिए के. औ. सु. बल कार्मिकों के साथ एक हाईस्पीड पेट्रोल बोट फरवरी, 2010 से किराये पर लिया गया है।
- ❑ रेडियोएक्टिव सामग्री का स्क्रीनिंग और संदूषण के लिए रेडियो एक्टिव डिटेक्शन उपस्कर प्राप्त किया गया और पूर्व क्वे -7 गेट पर स्थापित किया गया।
- ❑ आई एस पी एस कोड के अनुसार डी जी शिपिंग ने वर्ष 2014 के लिए आई एस पी एस नवीकरण सत्यापन लेखापरीक्षा का आयोजन किया और वि पो ए को अनुपालन स्टेटमेंट प्रमाण पत्र (एसओसी) दिया, जो दिनांक 19-05-2024 तक वैध है।
- ❑ आई एस पी एस कोड के अनुसार डी जी शिपिंग द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा किया गया।
- ❑ मोबाईल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर की स्थापना कार्य समाप्त हुआ है।

पर्यावरण प्रबंधन (वित्त वर्ष 2022-23)

- ❑ पर्यावरण एसए, इंडिया प्रा. लि., और मुंबई द्वारा तीन स्थानों पर एंबियंट एयर क्वालिटी का लगातार मानीटरिंग करने के लिए अऊट सोर्सिंग एजेंसी अर्थात एयूडीसी, विशाखपट्टणम किया जाता है।
- ❑ दोनों फील्ड और कार्यालय के दैनिक कार्यों के लिए मुख्य अभियंता नेतृत्व में एक अधीक्षक अभियंता, 1 कार्यकारी अभियंता, 1 सहायक अभियंता, 1 कनिष्ठ अभियंता के साथ अलग पर्यावरण कक्ष है।

- ❑ वीपीए एवं पीपीपी टर्मिनल्स और कमांड नियंत्रण केंद्र पर ईएमएस का कार्यान्वयन पर मॉनीटरिंग करने के लिए वीपीए ने 24 x 7 कार्य करने के लिए 25 सदस्यों का आंतरिक टास्क फोर्स टीम को गठित किया और सी.सी. केमेराओं की माध्यम से सभी प्रचालन क्षेत्रों से पर्यावरण मॉनिटरिंग के लिए कमांड नियंत्रण केंद्र है ।
- ❑ पर्यावरण मॉनीटरिंग समिति (एपीपीसीबी, वरिष्ठ नागरिक, वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ, एनजीओस, पोर्ट उपभोक्ता, जीवीएमसी के अधिकारी, नेवी, सेईल एवं पाठशालाओं के प्रतिनिधियों) हर 2 महीने में एक बार मिलते हैं ।
- ❑ वायु एवं जल अधिनियमों के अंतर्गत प्रचालन के लिए एपीपीसीबी का सहमति प्राप्त किया गया और दिनांक 31-12-2026 तक वैध है ।
- ❑ आई एस ओ 14001 के लिए बाह्य एजेंसियों द्वारा (आई आर क्यू एस) वार्षिक लेखापरीक्षा ।
- ❑ 4,75,000 एम² वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए सभी स्टैक यार्डों को रु. 50.00 करोड़ की लागत पर यांत्रिक धूल दमन प्रणाली प्रदान की गई थी और यह प्रभावी और चौबीसों घंटे लगातार पानी का छिड़काव किया जाता है ।
- ❑ कार्गो भंडारण के पास वाटर टैंकर द्वारा तथा यांत्रिक धूलि दमन पद्धति द्वारा सड़कों पर पानी को छिड़कने का कार्यक्रम चौबीस घंटे लगातार किया जाता है ।
- ❑ वाहनों के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली धूलि को दूर करने के लिए पानी के टैंकरों द्वारा लगातार चौबीस घंटे सड़कों को गीला किया जाता है। प्रति दिन टैंकरों द्वारा जल 275 ट्रिप्स लगभग (4.0 एमएलडी) का पानी छिड़काव किया जाता है और यांत्रिक धूली दमन पद्धति द्वारा भंडारण क्षेत्रों में 3.0 एमएलडी पानी का छिड़काव किया जाता है।
- ❑ ट्रकों को टारपालिन्स से ढकाते हैं।
- ❑ घाटों पर कार्गो का लदान / उतराई के समय उत्पन्न होने वाली धूली का दमन करने दो ट्रक माऊंटेड फॉग केनन नियोजित किया और दो ट्राली माऊंटेड फॉग केनन को नियोजित किया गया ।
- ❑ यांत्रिक स्वीपिंग मशीनों के साथ नियमित रूप से सड़कों को साफ करते हैं और गैर-स्थायी कर्मकारों के साथ सड़कों को साफ अनुरक्षण करते हैं।
- ❑ भंडारण की ऊंचाई केवल छः मीटरों तक सीमित किया गया ।
- ❑ धूली दमन प्रणाली, हाई-राईज़ एनक्लोज़र्स, स्क्रीन आदि सहित आवश्यक पर्यावरण उपाय लिया गया ।
- ❑ सड़क द्वारा कार्गो चालन में महत्वपूर्ण धूली प्रदूषण कमी का नियंत्रण ।
- ❑ प्रचालन एवं अनुरक्षण शामिल करते हुए शहर में मिलने वाली पोर्ट सड़कों के पास अर्थात बी रैंप और इस्सार जंक्शन तक शहर के अंतरापृष्ठ सड़कों को साफ रखने यांत्रिक ट्रक टायर सफाई सुविधा ।

- ❑ विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण, गोल्डेन जूब्ली की कुल अस्पताल सवीवेज को संभलाई के लिए एफआरपी आधारित पैकेज 25 केएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अपूर्ति, स्थापना और परीक्षण और प्रारंभ, 5 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रचालन और अनुरक्षण के साथ अक्टूबर, 2019 में चालू किया गया है और ओ एंड एम प्रगति पर है ।
- ❑ विशाखपट्टणम पोर्ट कच्चा सीवेज / ट्रीटेड 10 एमएलडी पानी को 3 वर्षों की अवधि (दिनांक 02-08-2024 तक) के लिए सैंप्लिंग, एनालिसिस और टेस्टिंग करने मेसर्स एस.वी.एनविरो लेब्स एंड कन्सल्टेंट्स (प्रा.)लि., को सौंपा गया, यह प्रगति पर है ।
- ❑ शहर के अंतरापृष्ठ में सीहार्स जंक्शन से कान्वेंट जंक्शन तक रु. 10 करोड़ की लागत पर 7.5 मीटर ऊँचाई वाली हाई राईज़ दीवार का निर्माण किया गया ।

वी पी एं के कुछ निर्धारित क्षेत्रों में व्यापक वायु गुणवत्ता का मॉनिटरिंग

- ❑ मेसर्स एयूडीसी, विशाखपट्टणम द्वारा पोर्ट सीमाएं तथा परिचालन क्षेत्रों में, 3 लगातार व्यापक वायु गुणवत्ता का मॉनिटरिंग (सीएएक्यूएम) स्टेशनों की व्यवस्था की गई ।

जल प्रदूषण निवारक उपाय :

- ❑ हार्बर बेसिन में बिल्ज या बल्लास्ट वाटर छोड़ने से रोकने के लिए जहाजों पर नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य किया ।
- ❑ मेसर्स ए यू डी सी द्वारा 9 स्थानों में तिमाही के आधार पर सैको – केमिकल पैरामीटर्स के लिए बंदरगाह जल का विश्लेषण ।
- ❑ मेसर्स एस.वी. एनविरो लेब्स एंड कन्सल्टेंट्स द्वारा भौतिक दृ रसायनिक और जैविक मापदंडों के लिए समुद्र तल के नमूनों को अर्ध वार्षिक के आधार पर बेड सैंपिल्स प्राप्त करना ।
- ❑ तेल संभलाई प्रचालन के दौरान गिरने वाले तेल को हटाने के लिए फ्लोटिंग ऑयल बूम का प्रावधान किया गया ।
- ❑ फ्लोटिंग क्राफ्ट द्वारा मलवा और बहता कूड़ा कचड़ा इकट्ठा करना ।
- ❑ सी डब्ल्यू पी आर एस द्वारा निर्धारित समुद्र के एक स्थल में निकर्षित मिट्टी का निपटारा ।
- ❑ उद्योगों को सख्त अनुदेश दिया गया कि व्यर्थ जल को पोर्ट जल में छोड़ने से पहले कूड़ा निकाल दे ।
- ❑ शहर से पोर्ट जल में आनेवाले सीवेज और सुल्लेज को संसाधित करने के लिए एक 10 एम एल डी सवीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत है । नारियल का खोपरा, प्लास्टिक बैग्स और अन्य ठोस बेकार चीजें आदि को नगर निगम डंपिंग यार्ड में भेजा जाता है ।
- ❑ प्लावीयानों से आनेवाले तेलीय गंदगी से जल प्रदूषण को रोकने के लिए गंदे जल को अलग रिसीप्शन टैंक में इकट्ठा किया जाता है ।

- ❑ सभी कार्मिकों को पानी में तेलीय पदार्थ नहीं फेंकने के लिए अनुदेश दिया गया है ।
- ❑ जल में किसी प्रकार के दुर्घटनात्मक छिड़काव से बचने के लिए ऑयल बेरल्स को रखने के लिए ट्रे की व्यवस्था की गयी है ।
- ❑ ऑयल ट्रान्सफर करते समय सावधानी बरती गयी है (जैसे कि सेव ऑयल ट्रे को ड्रिपिंग प्वाइंट्स के पास रखना) ।
- ❑ ऑयल ट्रान्सफर के लिए प्रयोग करने वाले होसेस बिगडने से बचने के लिए दबाव का आवधिक परीक्षण करना ताकि दाब के कारण फटने से रोका जा सके ।

ध्वनि प्रदूषण निवारक उपाय :

- ❑ भारी कार्गो वाहकों के आने जाने के लिए सड़कों को चौड़ा करना और कार्पेटिंग करना ।
- ❑ ध्वनि स्तर को मापा गया तथा मॉनिटर किया गया ।
- ❑ टाउनशिप से जाने वाले कन्वेयर को आच्छादित किया गया ।

भूमि प्रदूषण निवारक उपाय :

- ❑ अनुरक्षण कार्य करते समय जमीन पर तेल गिरने से रोकने के लिए ड्रिप ट्रेस और सेव-ऑयल ट्रेस का प्रयोग किया गया ।
- ❑ बेकार तथा रद्ध सामग्री को समय समय पर निपटारा किया गया ।

तरल अवशिष्ट का निपटारा :

- ❑ एकत्रित तरल अवशिष्ट का निपटारा करने से पहले उसे सोडियम हाईड्रो क्लोराईड मिश्रण और ब्लीचिंग पौडर द्वारा संसाधित किया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, कैंटीन्स में एकत्रित अवशिष्ट को पद्धति पूर्ण तरीके से पानी से अलग करके केवल पानी को नाले में जाने दिया गया है ।

खतरनाक अवशिष्ट का निपटारा :

- ❑ रेडियोलॉजी अनुभाग के अवशिष्ट को सुरक्षित निपटारे के लिए पृथक कंटेनर में इकट्ठा किया गया ।
- ❑ खतरनाक अवशिष्ट जौसे कि तेलीय रूई को लुहार की दुकान में उर्जा संरक्षण के लिए पुनरुपयोग किया जाता है।
- ❑ उपयोग किया गया तेल जैसे खतरनाक कचरे का निपाटान एपीईएमसीएल वेबसाईट के माध्यम से किया जाता है और बैटरियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम एवं विनियमों के अनुसार बयबैक के आधार पर खरीदा जाता है।
- ❑ बैटरी एसिड्स सेडिमेंट्स को 6 से 8 के बीच पीएच वेल्यु प्राप्त करने के लिए घोल बनाकर निपटारा करते हैं ।

ठोस अवशिष्ट का निपटारा :

- ❑ पोर्ट एरिया और इसके आसपास के क्षेत्र के ठोस अवशिष्ट को बायोडीग्रेडबुल और नॉन-बायोडीग्रेडबुल तथा खतरनाक अवशिष्ट वर्ग के रूप में अलग किया जाता है और अलग कलर कोटेड डस्टबिन्स में एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार से एकत्रित किये गये कूड़ा कर्कट को स्थानीय नगर निगम द्वारा निपटारा किया जाता है।
- ❑ ठोस अवशिष्ट जैसे कोरोडेड स्टील प्लेट्स, रबड के टुकड़े, छांटे गये अतिरिक्तों/उपकरणों आदि का निपटारा नियमित रूप से किया जाता है।

बायो-मेडिकल अवशिष्ट का निपटारा :

- ❑ अस्पतालों और औषधालयों में एकत्रित बायो केमिकल अवशिष्ट का निपटारा अलग कलर कोटेड डस्टबिन्स में किया जाता है और यह डस्टबिन्स सरकारी प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा विशेष रूप से बनाये गये वाहनों के द्वारा एकत्रित किया जाता है और विशाखपट्टणम नगर निगम प्राधिकारी द्वारा नगर के बाहरी प्रदेश में व्यवस्थित की गयी आग भस्मक में भस्म होने के लिए डाल दिया जाता है।
- ❑ सभी इंजेक्शन्स और सिरंजी नीडिल्स को फिर से प्रयुक्त करने से बचने के लिए मानक के अनुसार एलक्ट्रीकल नीडिल टर्मिनेटर्स द्वारा टर्मिनेट करके फेंक दिया जाता है।

वी पी ए में प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन का अनुपालन के लिए प्रगति पर रहे और प्रस्तावित अध्ययन / कार्य :

- ❑ आंतरिक बंदरगाह में 6 घाटों का यांत्रीकरण प्रक्रियाधीन है और ईसी और सीआरजेड मंजूरी प्राप्त करने के लिए सलाहकार चोलामंडलम, एमएस रिस्क सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के माध्यम ईआईए अध्ययन प्रगति पर है।
- ❑ ढके भंडारण शेड का निर्माण कार्य प्रगति पर है और एक शेड का कार्य जून, 2023 महीने में पूरा गया और अन्य 3 शेड सितंबर, 2023 में प्रारंभ हो जाएंगे।

वी पी ए द्वारा योजनाबद्ध ग्रीन बेल्ट :

- ❑ स्टॉक यार्डों के चारों ओर ग्रीन बेल्ट का विकास किया गया। लगातार वृद्धि के लिए पिछले 2 दशकों से वी पी टी द्वारा पौधारोपण और पोर्ट क्षेत्र के चारों ओर अतिरिक्त ग्रीन बेल्ट कार्यक्रम किया जाता है।
- ❑ वीपीए ने प्सतत पर्यावरण प्रबंधन के तहत विशाखापत्तनम के तटीय आश्रय बेल्ट क्षेत्रों में स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ाने के लिए 80 हेक्टेयर में रु.1.32 करोड़ की लागत से 2 लाख पौधारोपण किया गया।
- ❑ वीपीए को रु.1.08 करोड़ की लागत से डीएफओ, विशाखापत्तनम के माध्यम से पौधारोपण कार्यों के लिए मंजूरी दी गई।

- ❑ वीपीए ने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए रु. 2.00 लाख की लागत से 1500 जूट बैग वितरित किए ।
- ❑ पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2020–21 में 72,000 पौधे, 2021–22 में 10,000 पौधे और 2022–23 में 25,000 पौधे वीपीए द्वारा रु.1.20 करोड़ की लागत से पौधारोपण किया गया ।

व्यर्थ पानी का रीसाईकिलिंग और पुनरुपयोग :

- ❑ बंदरगाह के जल में शहर के गंदा पानी प्रवेश होने से पहले उसे इकट्ठा करके साफ करने हेतु एक 10 एमएलडी एसटीपी प्रचालन में है और इससे बंदरगाह जल की गुणवत्ता का रखरखाव किया जाता है ।
- ❑ इस प्रकार शुद्ध किया गया जल धूली दमन के लिए उपयोग किया जाता है अतः स्वच्छ जल संसाधन सुरक्षित रहता है ।

ग्रीन एनर्जी :

- ❑ विशाखपट्टणम पोर्ट ने रु. 52.00 करोड़ की लागत पर 10 एम डब्ल्यू सोलार पावर प्लांट स्थापित करने के साथ ग्रीन इनीशियेटिव्स के अंतर्गत सोलार पावर जेनरेशन का पालन में मार्गदर्शन किया ।
- ❑ सोलार पावर का उत्पादन हेतु छत पर मिलने वाले जगहों का प्रभावि रूप में उपयोग किया । पोर्ट ने रु. 70 लाख की लागत पर गोल्डन जूबली अस्पताल में रूफ टॉप पर 190 कंडब्ल्यू सोलार पावर प्लांट की स्थापना की और रु. 49.50 लाख की लागत पर प्रचालन भवन के रूफ टॉप पर 90 कंडब्ल्यू सोलार पावर प्लांट की स्थापना की ।
- ❑ रु. 5,09,940/- की लागत पर पोर्ट के कुछ क्षेत्रों में रोशनी के लिए ट्राईल के आधार पर सोलार एनर्जी का उपयोग किया जाता है ।
- ❑ विभिन्न कैंटीन तथा पोर्ट अतिथि गृह में रु. 9,02,412/- निवेश करते हुए सोलार पावर वाटर हीटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है ।

ग्रीन हाऊस गैसेस की गति के खिलाफ ग्रीन तकनीकी की क्रांति :

- ❑ डीजल इंजनों के स्थान पर विद्युत रेल इंजनों का विकास के लिए प्रस्ताव करते हुए फॉसिल फ्यूल खपत को यथासंभव कम करना उसके द्वारा क्लीन फ्यूल तकनीकी का विकास में सहयोग देना ।

प्रदूषण के खिलाफ रोक के रूप में ग्रीन बेल्ट का विकास :

- ❑ संसदीय स्थाई समिति के सिफारिशों के अनुसार विश्व स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त ग्रीन बेल्ट विकास कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी ।
- ❑ वीपीए ने 2023–24 में पोर्ट क्षेत्र के चिह्नित स्थानों पर 5,000 पौधों को और 05, जून, 2023 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर “ एवेन्यू प्लांट्स” 30,000 पौधे लगाने का प्रस्ताव रखा ।

स्वच्छ भारत अभियान (वित्त वर्ष 2022–23):

- ❑ सड़कों का नियम रूप से साफ करना और डॉक क्षेत्र की सफाई के लिए यांत्रिकृत सफाई मशीनों का उपयोग किया जाता है ।
- ❑ रु. 4.62 लाख की लागत पर दक्षिण सेक्टर और उत्तर सेक्टर के सभी साईनेज एवं बोर्ड को यूनिफॉम कलर कोड के साथ (पोर्ट का विलक्षण – हरा और सफेद) लिया गया ।
- ❑ सभी सेक्टरों में रु. 160.85 लाख की लागत पर सड़क साईन का पेइंटिंग, फुटपात के अंत जीब्रा क्रसिंग आदि लिया गया ।
- ❑ गेड्डास से प्लोटिंग पदार्थों को निकालना, नालियाँ आदि से डिसिलटिंग को नियमित रूप से हटाना ।

निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) :

वीपीए में अध्यक्ष / वीपीए की अध्यक्षता में सचिव, एक कार्मिक न्यासी, मुख्य अभियंता, वि.स. एवं मु.ले.अ. और सीमी शुल्क विभाग से एक अधिकारी सदस्य के रूप में एक उप समिति कार्य कर रहे हैं।

समिति ने सी.एस.आर. प्रस्तावों को आवधिक रूप से समीक्षा करती है और वीपीए मंडल द्वारा सिफारिश गतिविधियों की मॉनिटरिंग करती है और पोर्ट, शिपिंग एवं जल परिवहन मंत्रालय से निम्नांकित सीएसआर मार्गदर्शन पालन करती है :

स्वास्थ्य :

- ❑ वीपीए ने स्वरूपनगर, पश्चिम बंगाल क्षेत्र के लिए अग्रिम जीवन समर्थन और बुनियादी जीवन समर्थन एम्बुलेंस की रु.10.33 लाख की लागत पर अग्रिम की सिफारिश की।
- ❑ वीपीए ने आंध्र प्रदेश में स्नेहा संध्या एज केयर फाउंडेशन, विशाखापत्तनम द्वारा स्थापित किए जाने वाले पहले जनरिक और पलियेटिव देखभाल केंद्र के निर्माण के लिए रु.10.00 लाख की सिफारिश की ।
- ❑ वीपीए ने रु.15.00 लाख की लागत से वन-टाउन क्षेत्र, ओल्ड पोस्ट ऑफिस, क्वीन मैरी प्राइमरी स्कूल, कोटावीधी, विशाखापत्तनम में मुफ्त शाम चिकित्सा क्लिनिक चलाने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, विशाखापत्तनम के एक प्रस्ताव की सिफारिश की। इस संदर्भ में चिकित्सा विभाग द्वारा निरीक्षण के बाद रु. 1.50 लाख जारी कर दिए गए हैं और प्रस्ताव कार्योत्तर मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेज दिया गया है।
- ❑ वीपीए ने रु.15.00 लाख लागत से वन-टाउन क्षेत्र, ओल्ड पोस्ट ऑफिस, क्वीन मैरी प्राइमरी स्कूल, कोटावीधी, विशाखापत्तनम में मुफ्त शाम चिकित्सा क्लिनिक चलाने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, विशाखापत्तनम के एक प्रस्ताव की सिफारिश की। इस संदर्भ में चिकित्सा विभाग द्वारा निरीक्षण के बाद रु.1.50 लाख जारी कर दिए गए हैं और प्रस्ताव कार्योत्तरी मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेज दिया गया है।

शिक्षा :

- ❑ वीपीए ने विशाखापत्तनम जिले में सेना भर्ती रैली 2022-23 के लिए विस्तारित समर्थन किया। सिविल प्रशासन और सेना भर्ती अधिकारियों ने संयुक्त रूप से रु. 3.00 लाख की लागत की अग्निपथ योजना के तहत जेसीओ (ओआर) और अन्य रैंक की भर्ती के लिए अगस्त, 2022 में इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम, विशाखापत्तनम में भर्ती रैली आयोजित किया गया। इस संदर्भ में, एक प्रस्ताव को कार्योत्तर मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेजा जाना है।
- ❑ वीपीए ने अंबेडकर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, येंडाडा, विशाखापत्तनम में रु.10.00 लाख लागत की जेम पोर्टल की माध्यम से कंप्यूटर की खरीदने के लिए सिफारिश की।
- ❑ वीपीए ने रु.5.50 लाख लागत से आंध्र विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास, महारानीपेटा, विशाखापत्तनम में 100 स्टील बिस्तर की सिफारिश की। उक्त राशि जारी कर दी गई है और प्रस्ताव कार्योत्तरी मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेजा जाएगा।
- ❑ वीपीए ने रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल, विशाखापत्तनम के विकास के लिए रु. 2.00 लाख की सिफारिश की और रु.1.00 लाख जारी किए गए हैं और शेष राशि जल्द ही जारी की जाएगी। इस संदर्भ में, एक प्रस्ताव को कार्योत्तर मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेजा जाना है।

कल्याण :

- ❑ वीपीए ने मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए लेबेनशिफ़ स्पेशल स्कूल, एमवीपी कॉलोनी, विशाखापत्तनम में रु. 21.00 लाख की लागत से एक वैन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की सिफारिश की।
- ❑ वीपीए ने रु.4.00 लाख की लागत से पैरिचरी फाउंडेशन, भुवनेश्वर को सौर एलईडी ट्यूब लाइट के वितरण के प्रस्ताव की सिफारिश की।

पर्यावरण :

वीपीए ने फोर्ट कैथोलिक गर्ल्स हाई स्कूल, विशाखापत्तनम को रु. 25,000/- प्रति वर्ष बिजली बिलों के भुगतान, शौचालय के अनुरक्षण और नोटबुक उपलब्ध कराने के लिए सिफारिश की।

अन्य घटनाएं

1. ड्राई डॉकिंग

विवरण	पोर्ट ड्राई डॉक		
	2022-23	2021-22	2020-21
ड्राई डॉक नियोजित करने की दिनों की संख्या	227	394	396
पोर्ट क्राफ्टों की संख्या	02	03	05
बाहरी क्राफ्टों की संख्या	10	01	06
ड्राई डॉक से कुल आमदनी (रुपया लाखों में)	414.00	58.96	148.22

2. कार्यशालाएं

विवरण	पोर्ट कार्यशाला		ड्राई डॉक		ओ.आर.एस.	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
प्राप्त कार्यों की संख्या	362	269	681	130	110	701
पूरा किये गये कार्यों की संख्या	362	268	670	130	105	701

3. बंकर्स

(टनों में)

विवरण	2022-23	2021-22	2020-21	2019-18	2018-19	2017-18	2016-17
आपूर्ति किये गये बंकर्स	1,34,000	82,800	1,17,605	69,361	76,893	76,903	66,574

4. जलापूर्ति (वित्त वर्ष 2022-23)

(लाख किलो लीटरों में)

जल के स्रोत	निम्न को आपूर्ति		पोर्ट की खपत	कुल
	जहाज	अन्य		
विशाखपट्टणम नगर निगम	—	1.75	5.54	7.29
वि.पो.ट्र. के अपने साधन				
संतमेढ्रा रिजर्वायर	1.26	0.95	0.25	2.46
लोवा गार्डन्स	0.33	0.10	0.05	0.48
सालग्रामपुरम आवासीय कालोनी के.औ.सु.बल				
कालोनी, खेल एवं सांस्कृतिक कांप्लेक्स में खुले कुएं	—	—	3.39	3.39
कुल	1.59	2.80	9.23	13.62

5. विद्युतशक्ति की खपत

उपभोक्ता	वर्ष में खपत की गयी विद्युत (लाख युनिट)				
	2023-22	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
पोर्ट (सरकारी विभाग और पोर्ट से संबंधित प्राइवेट फर्म शामिल हैं)	96.02	69.09	73.28	82.44	89.90
पोर्ट के आवासीय भवन	27.65	29.62	30.91	31.00	25.16
कुल	123.67	98.71	104.19	113.44	115.06

6. राजभाषा कार्यान्वयन :

- ❑ वर्ष 1976 में प्रारंभ की गई हिंदी शिक्षण योजना वर्ष भर संतोषजनक ढंग से जारी रही। चूंकि वीपीए और सीएचडी के सभी सचिवीय कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षाएं यानी प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा पूरी हो चुकी हैं।
- ❑ वर्ष के दौरान हिन्दी पारंगत के साथ हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण परीक्षाएँ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
- ❑ वर्ष 2022-23 के दौरान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा हिंदी अधिकारी, वीपीए को हिंदी परीक्षा प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत, प्रबोध और हिंदी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षाओं के मुख्य अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। विशाखापत्तनम के विभिन्न संगठनों में प्रशिक्षित 720 अधिकारी और कर्मचारी उपरोक्त परीक्षाओं में उपस्थित हुए।
- ❑ सितंबर 1 से 14 सितम्बर 2022 तक षहिन्दी पखवाड़ा बड़े पैमाने पर मनाया गया था। विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं और सर्वश्रेष्ठ तीन विभागों के विजेताओं, प्रेरक अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए।
- ❑ पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति के बैठक में पोत परिवहन मंत्री जी की करकमलों से 'ग' क्षेत्र के अंतर्गत वीपीए को वर्ष 2018-19 के लिए द्वितीय पुरस्कार (राजभाषा शील्ड) प्राप्त किया गया। विशाखपट्टणम पत्तन प्राधिकरण को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा राष्ट्रीय इस्पात निगम के अध्यक्ष और गृह मंत्रालय के उप निदेशक, क्षेत्रीय में राजभाषा कार्यान्वयन, बेंगलूर द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए उत्तम अनुपालन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार प्राप्त किया गया।
- ❑ कर्मचारियों में हिंदी पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए हिंदी साप्ताहिक, जर्नल और पत्रिकाएं खरीदी जा रही हैं। वीपीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों पर हिंदी किताबें खरीदी गईं।
- ❑ वीपीए ने 2022-23 के लिए एक दिवसीय राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और 45 कर्मचारियों को राजभाषा नीति, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों में प्रशिक्षित किया गया।

- ❑ राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए, धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज़ यानी परमिट, लाइसेंस, निविदा प्रपत्रों के नियम और शर्तें, सामान्य आदेश, परिपत्र आदि द्विभाषी में जारी किए गए थे और विभागाध्यक्षों की बैठक में अध्यक्ष द्वारा उनकी समीक्षा की गई थी।
- ❑ एक सतत प्रक्रिया के रूप में कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के कार्यालय कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर पर ऑनलाइन हिंदी सेवा प्रदान की गई।
- ❑ राजभाषा का उपयोग करने के लिए सभी अनुभागों के नेमी फार्मेट एवं फार्मों को द्विभाषा में व्यवस्था की गई और पोर्ट प्राधिकरण में हिन्दी की स्थिति जानने के लिए निरीक्षण की जाती है।
- ❑ दैनिक कार्यों में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हिंदी सेल के कर्मचारियों ने वीपीए के सभी विभागों का निरीक्षण किया और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शंकाओं का समाधान किया। नियमित कार्यों में हिन्दी कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले कर्मचारियों को आकर्षक पुरस्कार दिये गये।
- ❑ प्रगति का आकलन करने के लिए विभागाध्यक्षों की बैठक में मासिक आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की जा रही है।
- ❑ राष्ट्रीय समुद्री दिवस, गोदी सुरक्षा दिवस, अग्निशमन दिवस, आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के संबंध में हिंदी में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- ❑ वीपीए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों के बीच राजभाषा कार्यान्वयन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) के साथ समन्वय कर रहा है।
- ❑ वीपीए की वेबसाइट हिंदी में भी है।
- ❑ हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है। मंत्रालय के पत्र द्विभाषा के रूप में भेजे जा रहे हैं। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय को द्विभाषा के रूप में प्रस्तुत की जाती है।
- ❑ वीपीए हिंदी में व्यावहारिक ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए प्रति दिन हिंदी में एक शब्द सीखने के लिए उनके समान अंग्रेजी शब्दों के साथ प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्य स्थानों पर वर्ड बोर्ड प्रदान कर रहा है।
- ❑ विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया उसमें अध्यक्ष ही समिति के अध्यक्ष है, सचिव राजभाषा अधिकारी होंगे और सभी विभागाध्यक्ष सदस्य हैं। वर्ष के दौरान इस समिति का कार्य संतोषजनक है।
- ❑ वर्ष के दौरान हिंदी में पत्राचार/टिप्पण एवं प्रारूपण के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

7. अन्य पिछड़े जाती एवं शारीरिक रूप से अपंग

दिनांक 31-03-2023 को ओ बी सी तथा शारीरिक रूप से अपंग वर्गों के अंतर्गत कार्मिकों की संख्या अनुलग्नक 35 में दी गई है ।

8. आर टी आई अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

संगठन के कार्यचालन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण में आर टी आई अधिनियम 2005 कार्यान्वयित किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ट्रस्ट ने 12 सीएपीआईओ, 10 सीपीआईओ और एक अपील प्राधिकरण को नामित किया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल 83 आरटीआई अनुरोध और 26 पहला अपील प्राप्त हुए हैं, जिसमें 6 अनुरोध और आरटीआई अधिनियम, 2005 के धारा 6(3) के तहत अन्य संगठनों को स्थानांतरित नहीं किया गया है ।

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण के सभी विनियम और आरटीआई अधिनियम, 2005 के धारा 4(1)(बी) के अंतर्गत सूचना वीपीटी वेबसाइट अर्थात् www.vizagport.com पर प्रकाशित हो चुका था। आरटीआई अधिनियम के तहत वीपीटी की तिमाही रिटर्न भी वीपीटी वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।

9. लोक / स्टॉफ शिकायत सुधारने कार्य

प्रशासनिक सुधार विभाग और लोक शिकायत, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध किये गये कंप्यूटरैज्ड ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा लोक शिकायत ठीक किए जाते हैं ।



पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) और वीपीए में राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

10. वर्ष 2022–23 के दौरान पोर्ट में प्रतिष्ठित आगंतुक/प्रतिनिधियों का दौरा

आगंतुकों / प्रतिनिधियों का विवरण	दौरे की तिथि
आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास मंडल और इन्वेस्ट इंडिया टीम ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत सात वर्ष की निवेश संभावनाओं को पूरा होने के अवसर पर विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण का दौरा।	06.04.2022
भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकय्या नायडु ने वीपीए का दौरा।	08.04.2022
केंद्रीय सलाहकार मंडल (सीएसीएलबी) के अध्यक्ष श्री सुरभि भूम राव ने वीपीए का दौरा।	28.04.2022
माननीय केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने वीपीए का दौरा।	08.05.2022
भारत सरकार के पत्तन, पोतपरिवहन, जलमार्ग और आयुष के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट कलावानी ऑडिटोरिय में गरीब कल्याण सम्मलेन में भाग लिया।	30.05.2022 एवं 31.05.2022
सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री उदय उमेश ललित और उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा ने अन्य अधिकारियों के साथ विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण का दौरा किया।	02.06.2022
व्यक्तिगत, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने वीपीए का दौरा किया। श्री सुशील कुमार मोदी, संसद (राज्यसभा) ने उक्त समिति का नेतृत्व में दौरा।	21.06.2022 से 23.06.2022
श्री एंड्रयू फ्लेमिंग, डीएचसी, ब्रिटिश उप उच्चायोग ने अन्य अधिकारियों के साथ वीपीए का दौरा।	01.07.2022
डॉ. वी . श्रीनिवास गौड, माननीय मंत्री, निषेध एवं उत्पाद शुल्क, खेल एवं युवा सेवाएं, पर्यटन एवं संस्कृति और पुरातत्व, तेलंगाना सरकार ने वीपीए का दौरा।	27.07.2022
विदेश मंत्रालय (एमईए)(आर्थिक संबंध) के प्रतिनिधि यानी, श्री श्याम चंद्र, आईएफएस, अवर सचिव और श्री गौतम पांडे, आईएफएस, भारत के महावाणिज्य दूत, सिटवे ने वीपीए का दौरा।	28.07.2022
अमेरिका रक्षा अताशे कार्यालय के सदस्य श्री मारेन लॉरेंस ने नई दिल्ली और हैदराबाद से अमेरिका दूतावास की टीम के साथ वीपीए का दौरा।	30.07.2022

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकय्या नायडु ने तीन दिनों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वीपीए का दौरा ।	06.09.2022
भारत और नेदरलैंड के बीच शिपिंग एमओयू के दायरे में गवर्नमेंट 2 गवर्नमेंट (जी2जी) हयोग का पता लगाने के लिए नेदरलैंड के प्रतिनिधियों की एक टीम ने वीपीए का दौरा ।	07.09.2022
भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने 10,742 करोड़ रुपये की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करने के लिए विशाखपट्टणम का दौरा ।	12.11.2022
माननीय सचिव श्री सुधांशु पंत, (पीएसडब्ल्यू), एमओपीएस एवं डब्ल्यू ने वीपीए का दौरा ।	24.02.2023 से 26.02.2023 तक
नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली की 17 सदस्यीय टीम ने अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में वीपीए का दौरा ।	13.03.2023

वार्षिक लेखा 2022–23

वार्षिक लेखा

31 मार्च 2023 को तुलनपत्र की अनुसूची		31 मार्च 2023 को समाप्त राजस्व लेखा की अनुसूची	
अनुसूची 1.1	आरक्षण एवं अधिशेष	अनुसूची आर 1	कार्गो संभलाई और भंडारण प्रभार
अनुसूची 1.2	ऋण निधि	अनुसूची आर 2	पोर्ट एवं डाक प्रभार
अनुसूची 1.3	ग्रांट की प्राप्ति	अनुसूची आर 3	रेल्वे आमदनी
अनुसूची 1.4	आस्थगित कर	अनुसूची आर 4	संपदा किराया
अनुसूची 2.1	नियत पूँजी परिसंपत्तियाँ	अनुसूची आर 5	कार्गो संभलाई और भंडारण
अनुसूची 2.2	निवेश	अनुसूची आर 6	पोर्ट एवं डाक सुविधाएं
अनुसूची 2.3	चालू परिसंपत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	अनुसूची आर 7	रेल्वे कार्यचालन
अनुसूची 2.4	चालू देयतायों एवं प्रावधान	अनुसूची आर 8	किराये योग्य भूमि और भवन
अनुसूची 2.5	विविध व्यय	अनुसूची आर 9	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन
		अनुसूची आर 10	वित्त और विविध आय
		अनुसूची आर 11	वित्त और विविध व्यय

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	अनु	31 मार्च 2023 को			31 मार्च 2022 को		
निधियों का स्रोत : आरक्षण और अधिशेष : क. पूँजी आरक्षण ख. राजस्व आरक्षण क) सामान्य आरक्षण निधि ख) कर्मचारी कल्याण निधि ग) कर्मचारी परिवार सुरक्षा योजना घ) उपस्कर संरक्षा निधि ङ) देयताओं का आरक्षण निधि ग. सांविधिक आरक्षण क) पूँजी परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षण ख) ऋण एवं आकस्मिकताओं का पुर्नभुगतान, विकास के लिए आरक्षण	1.1		10,19,50,87,230		10,19,48,02,230		
		6,88,64,68,090		4,69,17,88,602			
		0		0			
		9,56,75,576		9,06,49,338			
		0		0			
		0		0			
		6,98,21,43,666		4,78,24,37,940			
		9,07,15,50,000		8,26,68,90,991			
		9,02,86,48,212		8,22,39,89,203			
		18,10,01,98,212		16,49,08,80,194			
अनुदान प्राप्तियाँ ऋण निधियाँ : क. सुरक्षा ऋण ख. सरकारी ऋण ग. असुरक्षित ऋण	1.3			35,27,74,29,108		31,46,81,20,364	
	1.2			54,07,13,174		42,17,99,310	
			0		0		
			0		0		
			0		0		
आस्थागित कर दायिताएं : निधियों के कुल संसाधन				0		0	
				0		0	
				35,81,81,42,282		31,88,99,19,674	

(रूपयों में)

(रूपयों में)

तुलन पत्र

(रूपयों में)

अनु	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	
iv. नकद और बैंक शेष क) हस्त नगद शेष ख) शेड्यूल्ड बैंक के साथ बैंक शेष ग) अन्य बैंकों के साथ बैंक शेष	16,54,407 15,12,66,04,960 0	20,89,372 10,54,95,76,846 0	10,55,16,66,218 16,25,88,23,790
ख. ऋण और अग्रिम क) सस्विडरी/पोर्ट/न्यास के लिए अग्रिम और ऋण ख) प्राप्त करनेवाले मूल्य के लिए नगद अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम ग) उपदान निधि घ) भविष्य निधि घ) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर आदि के साथ शेष च) जमा	12,80,00,000 73,27,44,299 1,40,73,221 0 11,53,84,20,425 12,09,86,374	12,80,00,000 64,26,52,169 75,71,034 59,81,093 10,00,84,16,726 12,18,93,266	27,17,33,38,078
घाटा: चालू देयताएं एवं प्रावधान : क. चालू दायिताएं : i. भविष्य निधि, पेंशन एवं उपदान निधियाँ क) भविष्य निधि ख) पेंशन निधि ग) उपदान निधि ii. विविध लेनदार क) स्टोर्स के लिए लेनदार ख) गैर दावा वस्तुओं की असमायोजित बिक्री से आय ग) अधिशेष सामग्री का गैर समायोजित बिक्री से आय	11,597 25,61,22,772 0 29,91,42,785 0 0	0 25,68,77,461 0 29,38,15,419 0 0	25,68,77,460 29,38,15,419 29,38,15,419
24	12,53,42,24,319 32,96,08,23,356	10,91,45,14,288	

तुलन पत्र

(रूपयों में)

अनु	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	
iii. विविध लेनदार और जमा शेष क) रेल्वे को देय विलंब / वैगन भाड़ा प्रभार ख) साविधिक भुगतान ग) पूँजी व्यय के प्रति दायिताएं घ) अन्य ड़) व्यापारी, ठेकेदार और अन्य से जमा iv. अग्रिम भुगतान तथा असमाप्त रियायतें अभी भी दिये जानेवाले हिस्से के लिए मूल्य v. अन्य दायिताएं vi. ब्याज प्रौढभूत किया गया परंतु ऋण पर देय नहीं ख. प्रावधान : क) कर के लिए प्रावधान शुद्ध चालू परिसंपत्तियां आस्थगित कर परिसंपत्तियां : निधियों की कुल प्रयुक्ति	32,72,89,831 2,96,16,00,337 2,12,72,455 1,48,03,18,155 2,88,50,54,270 7,67,55,35,048 8,39,13,11,134 2,75,34,05,358 35,01,04,838 19,72,56,33,532 7,44,96,63,129	29,38,89,197 1,83,99,74,275 2,12,72,455 1,33,27,64,477 2,53,03,92,618 6,01,82,93,022 7,21,41,92,286 3,51,01,71,915 36,89,31,488 17,66,22,81,591 5,73,52,04,629	23,39,74,86,220 3,77,58,51,858 21,60,99,003 31,88,99,19,674

ह / -
वि.स.एवं मु.ले.अ. प्रभारी

ह / -
अध्यक्ष

आरक्षण और अधिशेष

(रूपयों में)

	पूँजी आरक्षण	राजस्व आरक्षण			सांविधिक आरक्षण	
		सामान्य आरक्षण निधि	कर्मचारी परिवार सुरक्षा योजना	कर्मचारी कल्याणकारी योजना	पूँजी परिसंपत्ति प्रतिस्थापना आरक्षण	विकास, ऋण तथा आकस्मिकताओं की अदायगी के लिए आरक्षण
01-04-2022 को आदि शेष जोड़ :	10,19,48,02,230	4,69,17,88,602	9,06,49,338	0	8,26,68,90,991	8,22,39,89,203
1. (क) राजस्व लेखा से योगदान	0	0	68,27,345	0	80,46,59,009	80,46,59,009
(ख) अतिरिक्त मूल्यदास	0	0	0	0	0	0
2. राजस्व लेखा से अंतरण	2,85,000	2,19,74,79,488	0	0	0	0
3. (क) अन्य आरक्षणों से अंतरण	0	0	0	0	0	0
(ख) सामान्य आरक्षण निधि		0	3,00,000	25,00,000	0	0
4. अन्य अंतरण	0	0	0	0	0	0
	10,19,50,87,230	6,88,92,68,090	9,77,76,683	25,00,000	9,07,15,50,000	9,02,86,48,212
घाटा :						
1. आरक्षणों से अंतरण	0	0	0	0	0	0
क) शुद्ध घाटा	0	0	0	0	0	0
ख) पूँजी आरक्षण से अंतरण	0	0	0	0	0	0
ग) ऋणों की पुर्न अदायगी	0	0	0	0	0	0
घ) सांविधिक आरक्षणों में अंतरण	0	0	0	0	0	0
2. अन्य अंतरण						
ए) परिवार सुरक्षा योजना और कल्याण निधि को स्थानांतरण	0	28,00,000	0		0	0
3. वर्ष के दौरान व्यय	0	0	21,01,107	25,00,000	0	0
31-03-2023 तक अंत शेष	10,19,50,87,230	6,88,64,68,090	9,56,75,576	0	9,07,15,50,000	9,02,86,48,212

ह/-
वि.स.एवं मु.ले.अ. प्रभारी

ऋण निधियों

	सुरक्षित ऋण	
	ऋण और अग्रिम	भारत सरकार से व्यवस्थिति निधियां जिका ऋण
01-04-2022 तक शेष	0	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	0	0
वर्ष के दौरान भुगतान	0	0
31-03-2023 तक शेष	0	0

ग्रांट की प्राप्ति

	ग्रांट की प्राप्ति	
क्रूज़ टर्मिनल		
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त अनुदान	19,25,00,000	
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त अनुदान	10,66,00,000	
वित्तीय वर्ष 2018-22 के दौरान प्राप्त ब्याज	3,13,95,406	
सरकार को खर्च किए गए अनुदान भुगतान पर ब्याज मत्स्य बंदरगाह	2,94,00,000	30,10,95,406
1) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त अनुदान	22,92,99,300	
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित ब्याज	1,03,18,468	23,96,17,768
31-03-2023 तक शेष		54,07,13,174

आस्थगित कर

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आस्थगित कर दायिताएं - आदिशेष		
मूल्यह्रास के कारण समय में भिन्नता	35,97,90,231	39,44,90,761
घाटा/जोड़ रु अपफ्रंट ऋण चुकाना डीटीएल	55,60,59,999	58,08,41,670
घाटा : आई.टी. अधिनियम 1961 की धारा 43 (बी) के तहत नियोक्ता के रूप में चुकाई जानेवाली रकम के कारण समय में भिन्नता	1,13,19,49,233	85,43,19,037
आस्थगित कर दायिताएं / (परिसंपत्तियां)	-21,60,99,003	12,10,13,394
मूल्यह्रास के कारण समय में भिन्नता	39,00,29,930	35,97,90,231
घाटा/जोड़ रु अपफ्रंट ऋण चुकाना डीटीएल	53,12,78,328	55,60,59,999
घाटा : आई.टी. अधिनियम 1961 की धारा 43 (बी) डीटीए के तहत नियोक्ता के रूप में चुकाई जानेवाली रकम के कारण समय में भिन्नता	1,34,69,70,778	1,13,19,49,233
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ - अंत शेष	-42,56,62,520	-21,60,99,003
पी एंड एल खाते पर लगाया गया शुद्ध आस्थगित कर	-20,95,63,517	-33,71,12,397

ह/-

वि.स.एवं मु.ले.अ. प्रभारी

नियत पूँजी परिसंपत्तियाँ

(रुपयों में)

	परिसंपत्तियों की श्रेणी	कुल ब्लॉक			मूल्यद्वारा				शुद्ध ब्लॉक	
		1 अप्रैल 2022 से	जोड़	विलोपन	31 मार्च 2023 से	1 अप्रैल 2022 से	वर्ष के दौरान मूल्यद्वारा	मूल्यद्वारा समायोजन	31/03/2023 को मूल्यद्वारा	1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 से
1	जमीन	34,84,37,415	0	0	34,84,37,415	0	0	0	0	34,84,37,415
	पट्टे पर जमीन	73,881	0	0	73,881	0	0	0	0	73,881
2	पूँजी ड्रेजिंग	5,57,94,44,662	54,75,380	0	5,58,49,20,042	75,59,19,770	5,40,70,676	0	80,99,90,446	4,77,49,29,596
3	म्यान शेड और अन्य संरचनाएँ	1,04,57,35,638	16,27,16,027	17,31,51,039	1,03,53,00,626	46,28,65,970	2,44,76,321	0	48,73,42,291	54,79,58,335
4	वापर्स, सड़क सीमाएँ	2,61,71,83,206	25,64,39,978	80,00,000	2,86,56,23,184	79,40,56,232	7,86,28,952	0	87,26,85,184	1,99,29,38,000
5	प्लंबीयान	2,11,57,60,777	0	0	2,11,57,60,777	1,58,53,75,263	7,27,46,465	0	1,65,81,21,728	45,76,39,049
6	रेल्वे और रोलिंग स्टॉक	2,94,74,11,923	91,67,73,412	71,04,89,006	3,15,36,96,329	1,05,14,95,543	15,67,46,886	13,42,65,530	1,07,39,76,899	2,07,97,19,430
7	डॉक, समुद्र दीवार, पीएस और नौकहन सहायता	9,67,19,57,484	1,55,60,83,795	0	11,22,80,41,279	1,52,85,34,626	15,25,71,769	0	1,68,11,06,395	9,54,69,34,884
8	क्रैन और वाहन	44,89,34,351	3,71,96,999	0	48,61,31,350	41,43,57,119	2,06,20,145	0	43,49,77,264	5,11,54,086
9	खाट एंड मिशनरी	1,85,88,55,446	25,14,28,201	23,41,02,844	1,87,61,80,803	1,06,01,73,384	7,43,79,545	6,25,57,329	1,07,19,95,600	80,41,85,203
10	पानी, विद्युत, टेलीकम एवं अग्नि शमन के लिए स्थापना	1,69,47,34,111	10,24,86,097	2,48,388	1,79,69,71,820	1,28,86,05,755	7,58,95,657	0	1,36,45,01,412	43,24,70,408
	कुल	28,32,85,28,894	3,28,85,99,889	1,12,59,91,277	30,49,11,37,506	8,94,13,83,662	71,01,36,416	19,68,22,859	9,45,46,97,219	21,03,64,40,287
11	पूँजी कार्यों में प्राप्ति	3,22,67,08,650	2,69,84,05,763	2,65,47,23,652	3,27,03,90,760					3,27,03,90,760
	कुल स्थिर परिसंपत्तियाँ	31,55,52,37,544	5,98,70,05,652	3,78,07,14,929	33,76,15,28,266					24,30,68,31,047

₹/-

वि.स.एवं मु.ले.अ. प्रभारी

निवेश

(रूपयों में)

	31 मार्च 2023 से		31 मार्च 2022 तक	
	लागत मूल्य	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	अंकित मूल्य
गैर व्यापार योग्य निवेश				
क. सामान्य आरक्षण				
चालू निवेश				
दीर्घकालिक निवेश :				
1. सरकारी या न्यासी प्रतिभूतियां एनटी				
2. शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स (एन.टी.)				
सेतु समुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड	18,60,00,000	18,60,00,000	18,60,00,000	18,60,00,000
सेतु समुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड घटाव के लिए प्रावधान	30,00,00,000	30,00,00,000	30,00,00,000	30,00,00,000
इंडियन पोर्ट रेल कार्पोरेशन	-30,00,00,000	-30,00,00,000	-30,00,00,000	-30,00,00,000
एनएचआई/सागर माला विकास	10,80,00,000	10,80,00,000	10,80,00,000	10,80,00,000
कुल (क)	29,40,00,000	29,40,00,000	29,40,00,000	29,40,00,000
ख. सांविधिक आरक्षण				
चालू निवेश				
दीर्घकालिक निवेश :				
1. सरकारी या न्यासी प्रतिभूतियां				
सीजी 2034 / 7.50% (एन.टी.)	2,01,70,333	2,00,00,000	2,01,70,333	2,00,00,000
सीजी 2035 / 7.40% (एन.टी.)	1,95,33,111	2,00,00,000	1,95,33,111	2,00,00,000
कुल (1)	3,97,03,444	4,00,00,000	3,97,03,444	4,00,00,000
2. शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स				
डीसीआई शेयर्स (@रु.10/-प्रति शेयर 5451710 शेयर्स अंकित	2,78,03,72,100	5,45,17,100	2,78,03,72,100	5,45,17,100
डी सी आई कर छूट बॉन्ड्स - 2013 (एन.टी.)	0	0	10,00,00,000	10,00,00,000
विशाखपट्टणम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लि.,	54,02,59,850	54,02,59,850	54,02,59,850	54,02,59,850
कुल (2)	3,32,06,31,950	59,47,76,950	3,42,06,31,950	69,47,76,950
कुल (बी =1+2)	3,36,03,35,394	63,47,76,950	3,46,03,35,394	73,47,76,950
कुल (ए+बी)	3,65,43,35,394	92,87,76,950	3,75,43,35,394	1,02,87,76,950

निवेश

(रूपयों में)

	31 मार्च 2023 से		31 मार्च 2022 तक	
	लागत मूल्य	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	अंकित मूल्य
सी. अन्य निधियाँ				
एलआईसी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ग्रुप अर्जित छुट्टी योजना	1,44,34,95,907	1,15,48,46,973	1,36,41,86,908	1,15,48,46,973
बजाज एलियन्ज के अंतर्गत ग्रुप अर्जित छुट्टी योजना	5,08,96,049	4,27,36,924	3,78,02,551	4,27,36,924
बजाज एलियन्ज के अंतर्गत परिवार सुरक्षा योजना	9,82,10,631	7,91,97,513	9,88,07,319	7,91,97,513
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (लाईफ) के अंतर्गत ग्रुप अर्जित छुट्टी योजना	5,31,84,040	4,99,89,482	2,89,82,759	4,99,89,482
कुल (ग)	1,64,57,86,626	1,32,67,70,892	1,52,97,79,537	1,32,67,70,892
कुल निवेश रु (क+ख+ग)	5,30,01,22,020	2,25,55,47,842	5,28,41,14,931	2,35,55,47,842

एन.टी. - गैर व्यापार योग्य

टी - व्यापार योग्य 31-03-2023 से प्रति शेयर का मूल्य रु. 283.00 है।

ह/-

वि.स.एवं मु.ले.अ. प्रभारी

चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(रूपयों में)

	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2023 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
चालू परिसंपत्तियां				
i. निवेशों पर संचित ब्याज		23,36,79,550		37,11,11,678
ii. संपत्ती सूची				
सर्वीस स्टॉक एवं स्पेयर्स				
2 वर्ष से कम की सामान सूची	12,02,41,493		10,46,06,622	
2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम की सामान सूची	3,74,616		6,03,221	
3 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम की सामान सूची	3,82,524		14,81,912	
10 वर्ष से अधिक परंतु 15 वर्ष से कम की सामान सूची	74,100		46,038	
15 वर्ष से अधिक की सामान सूची	0		20	
	12,10,72,733		10,67,37,813	
घाटा: नॉन मूविंग संपत्ति सूची पर मूल्यह्रास	68,054	12,10,04,679	85,033	10,66,52,780
iii. विविध देनदार				
क) शोध्य समझे जानेवाला अशोध्य ऋण :				
क. कार्गो संबंधी देय	31,62,27,422		30,48,87,224	
ख. जहाज संबंधी देय	23,81,543		23,81,543	
ग. संपदा देय	4,24,90,04,916		4,55,26,25,130	
घ. रेल्वे देय	25,11,84,877		26,45,54,824	
च. मत्स्य बंदरगाह देय	8,09,78,816		6,10,83,046	
छ. अन्य विविध देय	4,38,77,867		4,38,61,347	
		4,94,36,55,441		5,22,93,93,114
ख) संदिग्ध या अशोध्य समझे जानेवाले ऋण :				
क. कार्गो संबंधी देय	2,29,27,786		2,29,27,786	
ख. जहाज संबंधी देय	2,377		2,377	
ग. संपदा देय	42,59,566		42,59,566	
घ. रेल्वे देय	4,08,79,049		4,08,79,049	
च. मत्स्य बंदरगाह देय	50,26,643	7,30,95,421	50,26,643	7,30,95,421
		5,01,67,50,862		5,30,24,88,535
घाटा : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		7,30,95,421		7,30,95,421
		4,94,36,55,441		5,22,93,93,114

चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(रूपयों में)

	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
iv. रोकड और बैंक शेष				
क. हस्तगत रोकड		16,54,407		20,89,372
ख. बैंकों में शेष :				
ग. चालु / बचत बैंक खातों में :				
आंध्रा बैंक - पोर्ट शाखा	59,74,947		7,97,63,984	
केनरा बैंक	5,453		6,248	
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई)	0		9	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - सूर्यबाग शाखा	1,00,642		87,08,782	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - मुख्य शाखा (ऐस्को खाता)	17,19,333		16,73,684	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पोर्ट शाखा	4,39,25,088		77,83,73,948	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - आरटीजीएस एसबी खाता 133641	0		24,391	
एसबीआई अग्रदाय	29,807		0	
आईडीबीआई- पीसीएस(0) - 15010300	4,48,26,702		1,53,48,059	
एचडीएफसी- पीसीएस खाता (0) -5003	44,40,898		1,10,97,217	
एसबीआई - आरएफआईडी	25,214		93,98,493	
आईसीआईसीआई-पीसीएस खाता-(1)-600	1,73,27,777		11,84,997	
विविध बैंक	15,49,615		2,86,33,910	
		11,99,25,476		93,42,13,722
घ. जमा खाते में (टीडीआर खाता एवं सीएलटीडी खाता) :				
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (आंध्रा बैंक)	81,00,00,000		36,00,00,987	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0		3,95,99,99,987	
केनरा बैंक	1,15,00,00,000		87,50,00,000	
एलआईसी ऑफ इंडिया	7,18,41,79,384		2,99,08,62,163	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पोर्ट शाखा	4,91,25,00,000		62,25,00,000	
पंजाब नेशनल बैंक विशाखपट्टणम मुख्यालय	85,00,00,100		0	
कार्पोरेशन बैंक - मुख्य शाखा	0		70,69,99,987	
इंडियन बैंक	10,00,00,000		10,00,00,000	
		15,00,66,79,484		9,61,53,63,124
		15,12,82,59,367		10,55,16,66,218
कुल चालू परिसंपत्तियां		20,42,65,99,037		16,25,88,23,790

चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(रूपयों में)

	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
ऋण एवं अग्रिम *				
1. सबसिडरी / पोर्ट / न्यासियों को ऋण एवं अग्रिम				
इंटरकार्पोरेट ऋण	12,40,00,000		1,00,00,000	
विशाखपट्टणम पोर्ट सड़क कंपनी लि. को अधीनस्थ ऋण	40,00,000		11,80,00,000	
		12,80,00,000		12,80,00,000
2. नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम				
ठेके कार्यों के लिए अग्रिम	40,35,93,271		28,22,29,152	
भंडार के खरीद के लिए अग्रिम	7,76,20,764		6,93,44,120	
कंप्यूटर अग्रिम	8,09,432		20,40,347	
गृह निर्माण अग्रिम	4,96,429		38,14,712	
मोटर कार / साईकिल अग्रिम	2,58,496		10,95,434	
यात्रा / छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	56,00,795		60,03,300	
उपदान निधि	1,40,73,221		75,71,034	
भविष्य निधि	0		59,81,093	
अन्य	24,49,69,511		27,87,29,503	
		74,74,21,919		65,68,08,694
घाटा : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		6,04,399		6,04,399
		74,68,17,520		65,62,04,295
3. सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर आदि के पास शेष	30,550		30,550	
संचार निगम विभाग के पास स्वैच्छिक जमा	11,53,83,89,875		10,00,83,86,176	
आयकर - टीडीएस, अग्रिम कर एवं सेवा कर		11,53,84,20,425		10,00,84,16,726
4. जमा				
एपीट्रान्स्को के साथ जमा	6,74,92,714		6,83,99,606	
जीवीएमसी के साथ जमा	5,34,93,660		5,34,93,660	
		12,09,86,374		12,18,93,266
* ऋण एवं अग्रिम उपयोगी और असुरक्षित समझा गया				
कुल ऋण एवं अग्रिम		12,53,42,24,319		10,91,45,14,287

ह/-

वि.स.एवं मु.ले.अ. प्रभारी

चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(रूपयों में)

	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
i. भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं उपदान निधियां				
क) भविष्य निधि	11,597		0	
ख) पेंशन निधि	25,61,22,772		25,68,77,461	
		25,61,34,369		25,68,77,461
ii. विविध लेनदार				
क) भंडार के लिए लेनदार	29,91,42,785		29,38,15,419	
ख) अदाया वस्तुओं की असमायोजित बिक्री से लाभ	0		0	
		29,91,42,785		29,38,15,419
iii. फुटकर लेनदार एवं जमा शेष				
क) रेल्वे को देय विलंब शुल्क / वैगन भाड़ा प्रभार	32,72,89,831		29,38,89,197	
ख) सांविधिक भुगमान	2,96,16,00,337		1,83,99,74,275	
ग) पूँजी व्यय के लिए दायिताएं	2,12,72,455		2,12,72,455	
घ) अन्य	1,48,03,18,155		1,33,27,64,477	
च) व्यापारी, ठेकेदार और अन्य से जमा	2,88,50,54,270		2,53,03,92,618	
		7,67,55,35,048		6,01,82,93,022
iv. अग्रिम भुगतान एवं असमापन छूट				
उस भाग के लिए अभी भी मूल्य दिया जाना है				
क) पहले चुकायी गयी आय	28,46,01,132		26,59,47,726	
ख) परिशोध्य किये जानेवाले अपफ्रंट प्रीमियम	8,10,67,10,002		6,94,82,44,560	
		8,39,13,11,134		7,21,41,92,286
v. अन्य देयतायें		2,75,34,05,358		3,51,01,71,915
vi. प्राप्त ब्याज लेकिन ऋणों पर देय नहीं		35,01,04,838		36,89,31,489
कुल चालू देयतायें		19,72,56,33,532		17,66,22,81,591
ख. प्रावधान :				
i) कर के लिए प्रावधान	7,44,96,63,129		5,73,52,04,629	
ii) अन्य प्रावधान	0		0	
कुल प्रावधान		7,44,96,63,129		5,73,52,04,629
कुल चालू देयतायें एवं प्रावधान		27,17,52,96,661		23,39,74,86,220

ह/-

विस.एवं मुले.अ. प्रभारी

लाभ एवं हानि

(रूपयों में)

विवरण	अनुसूची	अवधि के अंत तक	
		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
आय :			
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार	आर.1	6,47,56,58,087	6,23,81,21,870
पोर्ट एवं डॉक सुविधा	आर.2	6,83,65,53,976	5,21,61,41,756
रेल्वे आमदनी	आर.3	1,55,95,44,206	1,46,77,19,720
संपत्ति किराया	आर.4	2,39,68,45,891	2,33,69,79,201
कुल परिचालन आय		17,26,86,02,160	15,25,89,62,547
व्यय :			
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार	आर.5	1,80,13,52,169	2,02,80,67,493
पोर्ट एवं डॉक सुविधा	आर.6	1,91,71,95,833	1,47,59,28,255
रेल्वे कार्यचलन	आर.7	1,13,10,14,650	1,00,33,40,585
किराये योग्य भूमि एवं भवन	आर.8	52,23,79,637	46,79,52,260
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासनिक विभाग व्यय	आर.9	2,60,83,96,476	2,42,63,29,491
कुल परिचालन व्यय		7,98,03,38,765	7,40,16,18,084
प्रचालन अधिशेष :		9,28,82,63,395	7,85,73,44,463
जोड : वित्त एवं विविध आय	आर.10	1,35,68,63,557	83,96,59,853
घाटा : वित्त एवं विविध व्यय	आर.11	5,33,31,49,462	5,06,83,58,470
कर से पहले लाभ		5,31,19,77,490	3,62,86,45,846
घाटा : टैक्सेशन के लिए प्रावधान :			
पिछले वर्ष		0	0
चालू वर्ष		1,71,44,58,501	1,21,01,19,320
अस्थगित कर		(20,95,63,517)	-33,71,12,397
कर के बाद लाभ		3,80,70,82,506	2,75,56,38,923
घाटा : पूँजी परिसंपत्ति निपटाने पर लाभ को पूँजी			
आरक्षण को स्थानांतरण		2,85,000	2,39,78,673
विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम		3,80,67,97,506	2,73,16,60,250
घाटा: विनियोजन			
विकास, ऋणों का पुर्नभुगतान एवं आकस्मिकताओं के लिए निधि		80,46,59,009	69,48,89,912
पूँजी परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापना, पुनर्नियुक्ति और			
आधुनिकीकरण के लिए निधि		80,46,59,009	69,48,89,912
कुल विनियोजन		1,60,93,18,018	1,38,97,79,824
सामान्य आरक्षण में स्थानांतरित शेष		2,19,74,79,488	1,34,18,80,426

ह/-
अध्यक्ष

ह/-
वि.स.एवं मु.ले.अ.

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अनुसूची – आर. 1		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार :		
सामान्य कार्गो पर संभलाई और भंडारण प्रभार	3,32,96,44,424	3,07,94,74,848
वेयर हाऊसों में सामग्री का भंडारण	2,84,25,966	2,67,16,674
क्रेनेज	27,25,773	33,46,003
पीओएल तेल और लुब्रिकेंट्स की संभलाई	1,14,33,48,258	1,10,02,54,115
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	10,31,22,880	3,03,89,844
बी ओ टी ठेके से रॉयल्टी	1,72,29,79,233	1,95,45,71,940
विविध प्रभार	14,54,11,553	4,33,68,445
कुल	6,47,56,58,087	6,23,81,21,870
अनुसूची – आर – 2		
पोर्ट एवं डॉक प्रभार :		
टोविंग एवं मूरिंग शुल्क	7,84,67,630	5,70,00,737
डॉक देय	1,38,77,53,123	1,09,78,32,920
पोर्ट देय	1,96,33,84,857	1,46,30,56,575
पाईलटेज शुल्क	3,32,47,86,718	2,54,01,78,715
ड्राई डॉकिंग प्रभार	2,91,70,969	1,78,62,498
नौवहन के लिए जल आपूर्ति	56,66,079	51,25,627
साल्वेज और जलगत मरम्मत	78,72,305	46,38,253
विविध प्रभार	3,94,52,295	3,04,46,431
कुल	6,83,65,53,976	5,21,61,41,756
अनुसूची – आर – 3		
रेल्वे आमदनी :		
वैगन भाड़ा एवं दुलाई प्रभार	24,93,42,429	20,71,94,118
साईडिंग प्रभार	35,05,11,420	37,95,78,570
टर्मिनल प्रभार	79,37,81,502	73,58,78,650
विविध प्रभार	16,59,08,855	14,50,68,382
कुल	1,55,95,44,206	1,46,77,19,720

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अनुसूची – आर – 4		
संपदा किराया :		
भूमि से किराया	2,23,78,51,689	2,25,66,99,706
भंडारण शेडों पर किराया	12,550	0
बाहरी कार्यालयों के लिए व्यवस्थित आवास से किराया	1,05,18,838	1,11,81,877
कलावाणी ऑडिटोरियम	1,10,61,403	45,28,125
पोर्ट ट्रस्ट क्वार्टरों से किराया	19,57,759	11,76,641
वसूली योग्य प्रभार	10,11,71,357	5,39,17,012
विविध प्रभार	3,42,72,295	94,75,840
कुल	2,39,68,45,891	2,33,69,79,201
अनुसूची – आर – 5		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार :		
शेडों और वेयरहाउसों में सामान्य कार्गो की संभलाई और भंडारण	1,51,38,62,893	1,74,19,31,580
ओएसटीटी का प्रचालन और अनुरक्षण	2,06,73,994	2,27,93,720
लाइटों और बाजों का परिचालन और अनुरक्षण	0	10,130
वार्फ क्रैन और क्रैन जहाजों का प्रचालन एवं अनुरक्षण	1,97,59,988	2,26,35,235
डॉक में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	2,94,01,855	2,62,80,224
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	17,71,90,183	13,95,31,627
मूल्यहास	4,04,63,256	7,48,84,977
कुल	1,80,13,52,169	2,02,80,67,493
अनुसूची – आर – 6		
पोर्ट एवं डॉक प्रभार :		
टोविंग एवं मूरिंग शुल्क	59,42,99,846	57,91,58,648
पाईलटेज	42,59,98,568	37,56,03,506
ड्राई डाकिंग व्यय	3,53,81,649	3,35,86,561
नौवहन के लिए जल आपूर्ति	72,07,258	74,27,739
अग्नि शमन	7,38,99,209	6,80,09,121
निकर्षण एवं समुद्री सर्वेक्षण	33,36,25,144	6,98,37,762
नौचालन सहायताओं का प्रचालन एवं अनुरक्षण	1,60,75,251	1,58,11,396
सात्वैज और जलगत मरम्मत	2,15,035	2,50,428
डॉक और हार्बर दीवारों, समुद्री संरचनाओं आदि का अनुरक्षण	1,34,37,518	1,65,55,604
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	10,87,94,644	4,03,29,749
मूल्यहास	30,82,61,711	26,93,57,741
कुल	1,91,71,95,833	1,47,59,28,255

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अनुसूची – आर – 7		
रेल्वे कार्यचालन :		
लोकोमोटिव्स, वैगन आदि का प्रचालन एवं अनुरक्षण	37,91,13,620	27,71,69,905
स्थाई वे सिग्नल और इंटर लॉकिंग सिस्टम का अनुरक्षण	19,30,44,701	20,18,78,735
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	53,38,09,926	45,03,15,143
मूल्यह्रास	2,50,46,403	7,39,76,802
कुल	1,13,10,14,650	1,00,33,40,585
अनुसूची – आर – 8		
किराये योग्य भूमि और भवन :		
संपदा अनुरक्षण	43,56,54,809	38,99,01,058
भूमि मरम्मत और उद्धार	23,03,656	20,97,644
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	0	83,370
मूल्यह्रास	8,44,21,172	7,58,70,188
कुल	52,23,79,637	46,79,52,260
अनुसूची – आर – 9		
प्रबंधन और सामान्य प्रशासन :		
प्रबंधन और सचिवालय प्रशासन	16,29,15,316	12,55,16,924
पोर्ट सुरक्षा (कें.औ.सु.ब)	53,11,95,046	48,18,04,490
कानूनी व्यय	49,56,011	1,50,67,707
श्रम और कल्याण व्यय	2,41,98,538	1,77,71,630
अनुसंधान एवं योजना एकक	7,30,81,762	10,01,61,892
चिकित्सा व्यय	47,20,74,035	39,61,97,923
भंडार पालन	6,67,38,732	5,78,28,039
लेखाकरण और लेखापरीक्षा	20,17,64,984	19,25,37,745
दूरभाष	1,07,59,280	60,31,332
इंजीनियरिंग और कर्माशाला प्रशासन अतिरिक्त खर्च	82,01,58,052	91,83,55,979
विविध व्यय	19,32,62,494	6,87,39,495
मूल्यह्रास	4,72,92,226	4,63,16,334
कुल	2,60,83,96,476	2,42,63,29,491

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अनुसूची – आर – 10		
वृत्ति और विविध आय :		
आवधिक निक्षेप एवं नकद शेष पर ब्याज	98,84,01,492	64,21,13,936
आवधिक जमा एवं नकद शेष पर ब्याज	4,41,75,858	2,19,64,599
राजस्व लेखा पर ब्याज	36,45,527	26,93,314
जमा लेखा पर ब्याज	7,38,32,136	0
विविध आय	8,61,90,510	14,31,32,610
आरएफआईडी आय	6,87,01,022	25,484
विविध प्राप्तियां	1,10,28,945	33,87,824
सिक्का समायोजन	41,624	0
पूँजी परिसंपत्तियों के निपटारे पर लाभ	2,85,000	2,39,78,673
सेंटेज प्रभार	62,010	3,06,834
निविदा दस्तावेजों की बिक्री	15,77,312	17,96,177
भंडार समायोजन (अधिकता)	1,33,02,577	2,60,402
पिछले वर्ष से संबंधित मदें	6,56,19,544	0
कुल	1,35,68,63,557	83,96,59,853
अनुसूची – आर – 11		
वृत्ति और विविध व्यय :		
बैंक प्रभार	1,05,783	1,48,362
चुकाए जानेवाले ब्याज :		
i) सरकार से ऋण	0	13,43,211
ii) अन्यो से ब्याज	15,75,820	11,10,617
सिक्का समायोजना	0	3,17,793
बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण	96,02,814	0
संपत्ति कर	71,73,67,091	61,76,48,309
आयकर अपील आदि पर व्यय	12,000	4,000

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पूँजी परिसंपत्तियों के निपटारे पर हानि	62,64,376	0
भंडारण समायोजन	593	0
बाहरी उत्पादन मूल्य भिन्नता से हानि	6,87,00,947	2,26,39,289
i) सेवानिवृत्ति उपदान	20,12,00,000	19,46,00,000
उपदान व्यय	1,16,82,693	84,17,380
ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में अनुग्रहपूर्वक अदायगी	13,31,84,153	12,76,44,039
कोविड अनुग्रहपूर्वक भुगतान	0	18,50,00,000
iii) क) पेंशन भुगतान	3,17,81,22,377	2,88,54,22,589
ख) नए पेंशन (टाईर-1) योजना के लिए अंशदान	6,92,01,139	7,49,36,416
ग) पेंशन निधि के लिए अंशदान	56,36,00,000	55,08,00,000
घ) पेंशन का कमुटेशन	25,92,43,978	18,83,90,952
कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि के लिए अंशदान	8,26,69,168	4,77,28,553
विविध व्यय	0	8,11,244
पिछले अवधि से संबंधित व्यय	3,06,16,530	16,13,95,716
कुल	5,33,31,49,462	5,06,83,58,470

ह/-
विस.एवं मु.ले.अ. प्रभारी

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची
कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क. कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान :		
1. वेतन, मजदूरी और बोनस आदि		
i. वेतन और मजदूरी	3,83,95,39,724	3,37,91,46,715
ii. बोनस	5,45,00,941	2,53,98,600
	3,89,40,40,665	3,40,45,45,315
2. भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
i. पेंशन निधि के अंशदान	56,36,00,000	55,08,00,000
ii. कम्प्यूटेशन सहित पेंशन भुगतान	3,48,77,58,008	3,13,08,94,352
iii. पूल खलासियों को ईपीएफ वीपीटी और सीएचडी का अंशदान	1,88,09,487	1,78,55,605
	4,07,01,67,495	3,69,95,49,957
3. उपदान	21,28,82,693	20,30,17,380
4. वर्कमेन और स्टॉक कल्याण व्यय		
i. छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	20,28,876	5,11,805
ii. चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	20,30,44,849	13,65,59,920
iii. आंतरिक रोगियों को पौष्टिकता	1,51,813	2,71,723
iv. भंडार (चिकित्सा)	7,83,01,822	15,89,74,699
v. भंडार (सर्जिकल)	47,13,311	60,91,020
vi. कामगार काम्पनशेषन अधिनियम के अंतर्गत भुगतान	10,06,740	0
vii. छात्रवृत्ति, पुरस्कार एवं अवार्ड	79,161	16,500
viii. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में अनुग्रहपूर्वक भुगतान	13,31,84,153	12,76,44,039
ix. कोविड 19 – अनुग्रहपूर्वक भुगतान	0	18,50,00,000
	42,25,10,725	61,50,69,706
कुल (क)	8,59,96,01,578	7,92,21,82,357
ख. प्रचालन व्यय :		
1. भंडार और अतिरिक्त और अतिरिक्त पुर्जों आदि का उपभोग	9,12,21,449	6,62,25,786
2. संयंत्र और मशीनरी (यांत्रिक) की खपत	27,38,11,270	21,83,46,809
3. भवन और सिविल संरचनाओं की मरम्मत	35,22,29,544	29,42,86,153
4. अन्य मरम्मत		
i. प्राक्कलन द्वारा पूरित विशेष मरम्मत	6,40,68,339	5,37,16,512
ii. आफिस मशीनों का किराया और सेवा प्रभार	5,63,71,649	7,56,22,824
	12,04,39,988	12,93,39,336
5. उपयुक्त भंडार		
i. सामान्य भंडार	3,28,10,465	7,65,58,042
	3,28,10,465	7,65,58,042

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची
कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
6. विद्युत, प्यूल, लूब्रिकेंट्स आदि		
i. भंडार (प्रचालन)	47,40,93,430	39,92,36,777
ii. विद्युत शक्ति	8,79,67,302	1,86,79,172
	56,20,60,732	41,79,15,949
7. नए लघु कार्य	0	0
8. अन्य परिचालन व्यय		
i. रेल्वे को क्षति और कमियों के लिए चुकाए जानेवाले भुगतान	3,34,21,722	1,82,22,425
ii. वैगन किराये प्रभार	0	0
iii. प्लोटिंग क्राफ्ट्स के लिए किराया प्रभार	2,51,69,691	3,60,57,286
iv. वाहन के लिए किराया प्रभार	7,26,39,986	6,90,18,788
v. प्राइवेट टग्स के लिए किराया प्रभार	23,34,92,382	20,09,40,801
vi. संभलाई प्रभार	36,36,60,587	75,13,80,767
vii. फुटकर व्यय परिचालन	1,39,43,120	6,33,57,275
viii. सुरक्षा प्रभार	48,93,18,206	52,01,04,203
xi. प्राइवेट सुरक्षा	1,60,69,319	2,14,85,871
x. निकर्षण प्रभार	26,83,19,916	71,17,914
xi. मूल्यह्रास	50,54,84,768	54,04,06,042
	2,02,15,19,696	2,22,80,91,371
कुल (ख)	3,45,40,93,143	3,43,07,63,446
ग. सामान्य व्यय :		
i. किराया, दर एवं कर	9,62,798	2,93,816
ii. लेखापरीक्षा शुल्क	58,91,500	55,00,000
iii. जल प्रभार	4,47,84,791	4,02,81,462
iv. संचार व्यय	2,76,710	1,96,807
v. बीमा	10,44,73,227	6,51,87,933
vi. यात्रा व्यय	47,35,245	12,55,816
vii. फर्निचर एवं कार्यालय उपस्कर	6,283	1,10,000
viii. विविध व्यय	3,81,88,717	39,31,631
ix. विज्ञापन एवं प्रचार	69,76,884	29,62,291
x. न्यासियों के शुल्क	0	36,000
xi. मनोरंजन	1,05,33,733	50,55,514
xii. पुस्तक एवं पीरियाडिकल्स	1,30,285	4,54,870
xiii. विधि एवं व्यवसायिक प्रभार	7,89,63,775	5,33,64,004
xiv. मुद्रण एवं प्रकाशन	1,70,950	1,67,000

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची
कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
xv. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्ति	31,32,899	7,32,306
xvi. लाईसेंस शुल्क	3,47,245	14,40,274
xvii. टेलिफोन्स	52,68,189	46,19,378
xviii. अनुसंधान एवं विकास	2,54,88,568	5,64,84,145
xix. चंदा	0	4,750
xx. अंशदान	1,25,46,586	2,18,05,660
कुल (ग)	34,28,78,384	26,38,83,657
घ. वित्तीय व्यय :		
1. ब्याज व्यय		
i. बैंक प्रभार	1,05,783	1,48,362
ii. सरकारी ऋणों पर ब्याज	0	13,43,211
iii. अन्य ऋणों पर ब्याज	15,75,820	11,10,617
	16,81,603	26,02,190
2. संपत्ति कर	71,73,67,091	61,76,48,309
कुल (घ)	71,90,48,694	62,02,50,499
सामान्यतः पोर्ट द्वारा नहीं किये जानेवाले वस्तु के ट्रान्सेक्शन्स या अपवादी परिस्थितियों वापस नहीं होनेवाली स्थिति में किये गये कार्यकलापों से संबंधित लाभ या हानि –		
अगर सामग्री रकम में हैं तो :		
i. बड़े खाते में डाले गये अशोध्य ऋण	96,02,814	0
ii. पूँजी परिसंपत्तियों की निपटाने पर हानि	62,64,376	0
iii. भंडार समायोजन	593	0
iv. पिछली अवधि के व्यय	3,06,16,530	16,13,95,716
v. कर अपील पर व्यय	12,000	4,000
vi. कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए अंशदान निधि	8,26,69,168	4,77,28,553
vii. घाटा बाहरी उत्पाद्य मूल्यों से भिन्नता	6,87,00,947	2,26,39,289
viii. विविध व्यय	0	8,11,244
सिक्का समायोजन	0	3,17,793
कुल (च)	19,78,66,427	23,28,96,594
कुल व्यय	13,31,34,88,227	12,46,99,76,554

वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखा

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखा पर टिप्पणी

(क) लेखा नीतियां :

1. लेखाकरण के मर्केटाईल सिस्टम के अंतर्गत पुस्तकों का अनुरक्षण की गई। मूलभूत लेखा धारण को संबद्ध और सामंजस्य जाने की पालन किया जाता है। वास्तविक के आधार पर राजस्व को निर्धारित किया गया यदि कोई शुद्ध (सेवा कर) / जीएसटी एवं छूट / प्रोत्साहन आदि प्रस्तुत किया गया।
2. नियत पूँजी परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास सभी परिसंपत्तियों मूल लागत पर पूँजीकृत किए गए हैं। सरकार के वर्तमान निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष से कम की अनुमानित अवधि एवं ₹.1,00,000 /— लागत से कम की परिसंपत्तियाँ राजस्व परिसंपत्ति समझी गई और राजस्व व्यय में प्रभारित की गयी।

मूल्यह्रास को सीधी लाईन प्रणाली के तहत उपलब्ध कराया गया।

सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार 3 माह से कम के लिए प्रयुक्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और छरू माह की अवधि से कम प्रयुक्त परिसंपत्ति के लिए आधा मूल्यह्रास उपलब्ध कराया गया और 6 माह से अधिक के लिए प्रयुक्त परिसंपत्ति के लिए पूरा मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया।

निपटाने के कारण वित्तीय सारणी में नियत परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं किए गए हैं। महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियों को बड़े खाते में डाल दिया गया।

निर्माणाधीन नियत परिसंपत्तियों को प्रगति पर रहे पूँजी कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पूँजी परिसंपत्तियों के निपटाने पर लाभ एवं हानि को वित्त एवं विविध आय के अंतर्गत दिखाया गया। बिक्री पर मिलने वाले पूँजी लाभ मूल रूप से अधिग्रहीत लागत से ज्यादा होने के कारण, उसे पूँजी आरक्षण लेखा में स्थानांतरित किया जा रहा है।

3. निवेश

एक वर्ष से अधिकतम के निवेशों को दीर्घकालीन निवेशों के रूप में तथा एक वर्ष या उससे कम अवधि के निवेशों को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया।

निवेशों को लागत मूल्य की लेखा पुस्तकों में ले जाया गया। मंडल के यह रॉय को ध्यान में रखते हुए ह्रास स्थाई प्रकार का है, दीर्घ कालीन निवेश के मार्केट मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान किया गया।

4. माल सूची का मूल्यांकन

स्टॉक मदों की सूची का मूल्यांकन औसत भार प्रणाली पर किया गया।

5. आय

कार्य समाप्ति की प्रतीक्षा किये बिना, की गई सेवा से प्राप्त राजस्व को सेवा की समाप्ति की अवस्था के अनुपात में स्वीकार किया गया। पोर्ट में प्रविष्ट माल पर, लदाई न करने पर भी, अधिसूचित दरमानों के अनुसार वार्फेज प्रभार लगाये जाएंगे। तदनुसार वार्फेज आय का गणन किया गया। घाट/सुविधाओं के पट्टे पर वसूल किया गया अपफ्रंट शुल्क और जमीनों की पट्टे वसूल किया गया प्रीमियम को अग्रिम आय के रूप में गणन किया गया और बिलमोरिया रिपोर्ट के अनुसार पट्टा अवधि के दौरान चुकाया गया।

6. उधार लागत

अग्निग्रहण, परिसंपत्तियों का निर्माण के लिए सीधा आरोप्य उधार लागत को परिसंपत्ति प्रारंभ करने की तिथि तक पूँजीकृत किया गया। पूँजीकरण के बाद ऋण पर ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर राजस्व में प्रभार्य किया गया।

7. विदेशी मुद्रा कार्य संपादन

पुर्जें तथा प्रधान उपस्कर का आयात के लिए विदेशी मुद्रा कार्य संपादन सौदा करने की तिथि को रहे एक्सचेंज दर पर रिकार्ड की गई। अब तक पोर्ट को पुर्जें तथा प्रधान उपस्कर का आयात से संबंधित न कोई विदेशी मुद्रा का ऋण है न ही कोई आगे के ठेके में हस्ताक्षर किया। जब कभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तब संबंधित लेखा मानकों को दृष्टि में रखते हुए नीति का निर्माण किया जाएगा।

पोर्ट को जलयान से संबंधित प्रभार जैसे राजस्व है, जो यू एस डालरों में डिनामिनेट किया जाता है लेकिन भारतीय रूपयों में वसूल किया जाता है। यह वसूली जलयान पोर्ट में प्रवेश करने की तिथि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इसके सब्सिडरीज़ या अन्य कोई सार्वजनिक बैंक द्वारा अधिसूचित क्रय दर का उपयोग करते हुए किया जाता है।

8. आय पर कर

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, चालू कर का प्रावधान बनाया गया। ए एस 22 के अनुसार मुख्यतः मूल्हास एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 बी के अंतर्गत आनेवाले मदों के कारण टाईमिंग में भिन्नता के परिणाम रूप में आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं दायित्व हुआ जो लाभ और हानि लेखा में प्रभार्य करते हुए लेखा में पाया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को निर्धारित करते हुए आगे ले जाया गया, क्योंकि पिछले मामलों के रिकार्ड एवं भविष्य के लाभ का प्राक्कलन के आधार पर उन्हें वसूल किया जा सकता है।

9. पेंशन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण का वास्तविक मूल्यांकन के लिए एलआईसी/एसबीआई द्वारा वार्षिक आधार पर बीमांकित मूल्यांकन किया जाता है।

बी. लेखा पर टिप्पणी

1. पोत परिवहन मंत्रालय के अनुसार देखें दिनांक 19.11.2018 को पत्र संख्या एस एस –28036 / 18 / 2016–डीसीआई–भाग–VI अनुमोदन, वीपीटी मंडल ने भारत सरकार से डीसीआई लिमिटेड के 54,51,710 समान शेयरों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में रु. 278.04 करोड़ की लागत पर अधिग्रहण करने के लिए दिनांक 21.02.2019 को देखें संकल्प सं. 196 / 2018–19 और उसी को दीर्घकालिक निवेश के तहत शेयर एवं ऋणपत्र के तहत अनुसूची 2.2 में दिखाया गया है।
2. पूँजी राजस्व में वर्ष 1933 से 1964 तक प्रारंभ पूँजी के रूप में भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित निधियाँ भी शामिल है।
3. इस संबंध में रखा गया नीति और पद्धति के अनुसार स्थिर संपत्तियों की भौतिक सत्यापन की जा रही है। स्थिर संपत्ति का भौतिक सत्यापन के लिए समिति गठित किया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित विभागों को पुष्टि के लिए पत्र जारी किये गये थे। विभागों से पुष्टि प्राप्त होने पर, परिसंपत्तियाँ जो पुस्तकों में शून्य/एक पैसे के मूल्य के साथ मौजूद है और समिति द्वारा पहचान किए उन्हें परिसंपत्ति मास्टर से हटा दिया गया था। संबंधित अन्य मदों के लिए जो वर्तमान पुस्तकों में मूल्य, और एक बार सत्यापित करने और विवरण प्रस्तुत करने के लिए विभागों को पत्र जारी किए जा रहे हैं। वहीं प्राप्त होने पर, उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
4. 2021–22 के दौरान मालसूची का भौतिक सत्यापन भी किया गया है और नगण्य मूल्य विनमेय भिन्नता नोटिस किया गया है।
5. मंत्रालय की पत्र सं. पीजीएफ–15 / 76, दिनांक 22–09–1976 के अनुसार नकद की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना के लिए 3: और आरक्षण, पूँजी नियोजन पर विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिकताओं के लिए 3: आरक्षण हर वर्ष किया जाना है।

विवरण	2022–23
पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षण	रु. 80.47 करोड़
विकास और ऋणों एवं आकस्मिकताओं के लिए आरक्षण	रु. 80.47 करोड़

6. क्रूस बर्थ निर्माण के लिए रु. 29.91 करोड़ रकम का अनुदान प्राप्त किया गया और मत्स्य बंदरगाह टर्मिनल के लिए रु. 22.93 करोड़ रकम का अनुदान प्राप्त किया गया है।

कोई अनुदान प्राप्त होता है तो उस रकम को अलग खाता पुस्तकों में रखने और जब कभी विशिष्ट कार्य पूरा होने के लिए जिसके लिए अनुदान प्राप्त होता है तो देयता को रद्द कर देता है विधिवत परिसंपत्ति को परिसंपत्ति खाता में स्थानांतरित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान क्रूज़ टर्मिनल के लिए प्राप्त अनुदान पूरी तरह से उपभोग किया जाता है ।

7. विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण को आय कर अधिनियम 1961 के 10 (20) के तहत स्थानीय प्राधिकार के रूप में निर्धारण वर्ष 2002-03 तक छूट दिया गया है (वित्तीय वर्ष 2001-02) । वित्तीय अधिनियम 2002 में संशोधन के साथ निर्धारण वर्ष 2003-04 (वित्तीय वर्ष 2002-03) के बाद पोर्टों को स्थानीय प्राधिकार के रूप में मिलने वाला छूट हटाया गया। अतः वीपीटी, निर्धारण वर्ष 2003-04 के बाद से आयकर चुकाना होगा । खैर, आयकर निर्धारण से छूट का दावा करने हेतु वि पो र्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत दानशील संगठन के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया। निर्धारण वर्ष 2003-04 के बाद से पूर्वव्यापी प्रभाव से धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया, देखें आवेदन दि. 20-03-2008ए परिणाम रूप में टीडीएस प्रमाणपत्रों से संबंधित रकम को छोड़कर, निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक चुकाए गए कर वापस किया गया। आयकर विभाग से देय वापस निधि का शेष निर्धारण वर्षवार निम्नानुसार है :

निर्धारण वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
वापसी बकाया (रु. करोड़ों में)	0.19	0.07	0.08	0.04	0.00	5.61

उक्त रकम वीपीटी को वापस देने के लिए आयकर विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए आयकर विभाग ने रु.16.85 करोड़ ब्याज सहित रु. 43.99 (01-04-2013) करोड़ वापस किया और ब्याज, 2012-13 के पी एंड एल लेखा में जमा किया। आयकर विभाग द्वारा, निर्धारण वर्ष 2008-09 से संबंधित निर्धारण के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधारण पिटीशन फाईल किया गया और शेष भुगतान रु. 5.61 करोड़ सहित यह पिटीशन, पालन के अंतर्गत है।

वित्तीय अधिनियम 2008 की धारा 2 (15) में संशोधन करने के कारण निर्धारण वर्ष 2009-10 के बाद पोर्ट्स, आयकर अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत छूट के लिए अनर्हक है और 1 अप्रैल 2008 से वी.पी.ए. को अयकर चुकाने वाले संगठनों में शामिल किया। निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2022-23 तक की गई कर भुगतान/दावा किए गए टीडीएस/वीपीए लेखों में किए गए प्रवधान /कर दायित्व/फाईल किए गए रिटर्न के अनुसार दावा किया गया शुद्ध वापसी और निर्धारण की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति
1	वित्तीय वर्ष	2008-09	ए. मार्च 2010 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीए ने रु. 23.27 करोड़ कर वापस करने का दावा किया। बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (दिसंबर 2011) कर दायित्व रु.70.32 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रु.176.21 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीए को वापस देनेवाले शुद्ध रकम रु. 6.68 करोड़ है। सी. इस से असंतुष्ट होकर, यह आदेश पर कमीशनर, आई टी (सीआईटी) एपीलस विशाखपट्टणम के पास विरोध (30 जनवरी 2012) किया गया और अपील पर अंतिम निर्णय लंबित है। सी आई टी (एपीलस) ने फरवरी 2017 को सुनवाई प्रारंभ की और सुनवाई प्रगति पर है। डी. वीपीए ने आयकर अधिनियम (30-12-2016) की धारा 154 के तहत रु.0.72 करोड़ के टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया। (ई) आयकर अधिनियम धारा 143(3) के तहत (ई) सीआईटी (अपील) ने दिनांक 15.05.2023 के तहत डिन और आदेश संख्या आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/2023-24/1052849528 (1) आंशिक रूप से आदेश के लिए अपील की अनुमति दी है और वीपीए ने आईटीएटी, विशाखापत्तनम बेंच के समक्ष पिटिशन (07.07.2023) दाखिल की और सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। (एफ)सीआईटी (अपील) पर उपरोक्त (ई) के अनुसार परिणाम स्वरूप रु. 31.63 लाख और रु. 6.79 करोड़ का वापस प्राप्त किया, जिसे उप सीआईटी द्वारा दिनांक 15.6.
	निर्धारण वर्ष	2009-10	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	77.72	
	वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	67.24	
	वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	54.45	
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	23.27	

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		2023 के आदेश के तहत आंशिक रूप से अनुमति दी गई । थी । पहले दि. 30.12.2011 को रु. 6.68 करोड़ का रिफंड जारी किया गया था, अब रु.10.74 लाख का शेष रिफंड वापसी योग्य था । धारा 244ए के तहत रु.8.86 लाख का ब्याज जारी किया गया, जिससे अंतिम रिफंड रु. 19.61 लाख हो गया ।												
2	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2009-10</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2010-11</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>76.41</td></tr><tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>37.50</td></tr><tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>25.09</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>51.32</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2009-10	निर्धारण वर्ष	2010-11	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	76.41	वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	37.50	वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	25.09	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	51.32	ए. मार्च 2012 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीए ने रु. 51.32 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (नवंबर, 2012) कर दायित्व रु.58.90 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रु.190.60 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीए को वापस देने वाले शुद्ध रकम रु.37.02 करोड़ है। वीपीए ने सीआईटी-एपील्स, विशाखपट्टणम के पास विरोध किया और उन्होंने (जनवरी 2013) कर योग्य आय को पुर्न गणन करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आदेश दिया । सी. पुनः निर्धारण करते समय (27-05-14) कर निर्धारण अधिकारी ने आय को रु.130.15 करोड़ के रूप में तथा कर दायित्व को रु.40.22 करोड़ के रूप में संशोधित किया। चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करते हुए वीपीए को 26.42 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया । डी. तत्पश्चात आयकर के सहायक आयुक्त (एसीआईटी), सर्कल-1, विशाखपट्टणम ने आय को रु.135.25 करोड़ के रूप में और कर दायित्व को रु.41.79 करोड़ के रूप में संशोधित (14 मई 2015) किया और वीपीए को
वित्तीय वर्ष	2009-10													
निर्धारण वर्ष	2010-11													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	76.41													
वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	37.50													
वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	25.09													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	51.32													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		रु.22.48 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया। ई. आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त मांग (रु.14.93 करोड़) समायोजित करने के बाद शेष रकम रु.7.54 करोड़ वापस (6 अप्रैल 2016) किया। एफ. वीपीए ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में रु.0.89 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25-04-2016) की धारा 154 के तहत पिटीशन फाईल किया। जी. वीपीए ने आयकर अधिनियम (30-12-2016) की धारा 154 के तहत रु. 9.53 करोड़ के टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया। एच. सीआईटी (एपील्स) ने आदेश सीआईटी (ए), वीएसपी, नं.0266 / 12-13 / एडिशनल.सीआईटी / आर-1 / वीएसपी / 2013-14, दि.28-03-2014 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत एपील को कुछ भाग तक स्वीकार किया और वीपीए ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच (13-06-2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है। आई. सीआईटी-1, विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम की धारा 14ए के तहत रु. 5.09 करोड़ को अस्वीकार करने के लिए लेखा अधिकारी को निदेश देते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत (21-11-2013) निर्धारण का पुनरीक्षण प्रारंभ किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच (27-01-2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है।

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		जे. आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत वर्ष 2010-11 के लिए (मई 2015) का निर्धारण की अंतिम रूप देते हुए ओदश दिया जिसमें रु. 4.71 करोड़ कर वापसी पर शुद्ध ब्याज शामिल है और इसे 2015-16 की ब्याज आय के रूप में पहचाना गया है । के. आयकर विभाग ने 244ए के तहत 14-05-2015 से 31-03-2016 तक ब्याज (16 जून 2016) रु. 0.37 करोड़ वापसी योग्य में और जून 2017 को प्राप्त वापसी योग्य में दिखाया गया तथा वहीं 2017-18 की आय ब्याज के रूप में पहचाना गया है । एल. आईटी अधिनियम की धारा 263 के तहत उपरोक्त (आई) के अनुसार सीआईटी (अपील) ने दि. 15.05.2023 को, डिन और आदेश संख्या आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/2023-24/1052850064(1) तहत मूल्यांकन के संशोधन पर आंशिक रूप से आदेश के लिए अपील की अनुमति दी है और वीपीए ने आईटीएटी, विशाखापत्तनम बेंच के समक्ष पिटिशन (07.07.2023) फाईल की और सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है । एम. सीआईटी (अपील) पर उपरोक्त (एल) के अनुसार, परिणाम स्वरूप रु. 4.21 लाख रिलीफ और रु.62.14 करोड़ की वापसी योग्य था और धारा 234 डी के तहत रु. 97.52 लाख देय था और रु. 61.17 करोड़ का रिफंड वापसी योग्य ब्याज था और धारा 244ए के तहत रु. 6.07 करोड़ की वापसी योग्य राशि थी, जिससे रु. 67.24 करोड़ का अंतिम रिफंड प्राप्त हुआ, जिसे उप सीआईटी द्वारा दि. 15.06.2023 के तहत आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। पहले रु. 67.22 करोड़ का रिफंड जारी किया गया था और अब अंतिम रिफंड रु.2.60 लाख हो गया है।

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
3	वित्तीय वर्ष	2010-11
	निर्धारण वर्ष	2011-12
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	85.66
	वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	70.00
	वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	65.14
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	20.52
		ए. सितंबर 2011 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीए ने रु. 20.52 करोड़ कर वापस करने का दावा किया ।
		बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (जनवरी, 2013) कर दायित्व रु.101.95 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रु.329.93 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीए को वापस देने वाले शुद्ध रकम रु; 42.40 करोड़ है। वीपीए ने सीआईटी-एपील्स, विशाखपट्टणम के पास विरोध किया और उन्होंने (25-2-13) कर योग्य आय को पुर्न गणन करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आदेश दिया ।
		सी. तत्पश्चात, कर लगाने योग्य आय (28-02-14) को रु. 338.44 करोड़ के रूप में, कर दायित्व को रु. 104. 58 करोड़ में संशोधित किया गया। चुकाया गया कर /टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करने पर शेष कर रु. 5.09 करोड़ चुकाने के लिए वीपीए को आदेश दिया। इससे असंतुष्ट होकर वीपीए ने दि. 05-03-14 को सीआईटी (ए) के पास अपील फाईल किया।
		डी.. एसीआईटी, सिकर्मल1, विशाखपट्टणम ने धारा 154 के अंतर्गत दृ देखें आदेश दि. 14-5-2015 रु.86.48 करोड़ दायित्व सहित कर लगाने योग्य आय को रु. 279.86 करोड़ के रूप में निर्धारित किया तथा चुकाया गया कर/टीडीएस/रिफंड्स/ब्याज पर विचार करने पर निर्धारण किया कि वीपीए को पुर्नभुगतान करने वाले शुद्ध रकम रु.21.14 करोड़ है अंत में पुर्नभुगतान करने वाले रकम को रु.21.42 करोड़ के रूप में संशोधित किया ।

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		ई. आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिक्त मांग (रु. 13.99 करोड़) समायोजित करने के बाद शेष रकम रु.7.43 करोड़ (6 अप्रैल 2016) वापस किया । एफ. वीपीए ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में से रु. 1.35 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25-4-2016) की धारा 154 के अंतर्गत पिटीशन फाईल किया । जी. वीपीए ने आयकर अधिनियम (20-01-2017) की धारा 154 के अंतर्गत रु. 1.06 करोड़ टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया । एच. सीआईटी (एपील्स) ने आदेश सीआईटी (ए), वीएसपी नं.0362/12-13/एसीआईटी/सी-1/वीएसपी/2013-14, दिनांक 28-03-2014 द्वारा , आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत एपील को कुछ भाग तक स्वीकार किया और वीपीए ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच (22-12-2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है । आई. सीआईटी-1, विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम की धारा 14ए के अंतर्गत रु. 8.51 करोड़ को अस्वीकार करने के लिए लेखा अधिकारी को निदेश देते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत (21-11-2013) निर्धारण का पुनरीक्षण प्रारंभ किया और वीपीए ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है । जे. आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत वर्ष 2011-12 के लिए (मई 2015) का निर्धारण की अंतिम रूप देते हुए ओदश दिया जिसमें रु. 0.29 करोड़ कर वापसी पर शुद्ध ब्याज शामिल है और इसे 2015-16 की ब्याज आय के रूप में पहचाना गया है ।

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		के. आयकर विभाग ने 244ए के तहत 14-05-2015 से 31-03-2016 तक ब्याज (16 जून 2016) रु. 0.37 करोड़ वापसी योग्य और जून 2017 को प्राप्त वापसी योग्य में दिखाया गया तथा वहीं 2017-18 की आय ब्याज के रूप में पहचाना गया है ।												
4	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2011-12</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2012-13</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>81.37</td></tr><tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>53.00</td></tr><tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>14.12</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>67.25</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2011-12	निर्धारण वर्ष	2012-13	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	81.37	वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	53.00	वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	14.12	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	67.25	ए. सितंबर 2012 में रिटर्न फाईल करते समय वीपीए ने रु. 67.25 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, कर निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में दिनांक 23-03-2015 कर दायित्व रु.41.50 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय 134.30 करोड़ के रूप में गणन किया। चुकाया गया कर/ टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करने पर वीपीए द्वारा चुकाए जानेवाले शेष शुद्ध कर रु. 0.75 करोड़ के लिए मांग नोटिस जारी किया । सी. इससे असंतुष्ट होकर वीपीए ने (दि. 15-4-15) सीआईटी (एपील्स) के पास अपील फाईल किया । डी. एसीआईटी, सर्किल -1, विशाखपट्टणम ने उपदान के लिए किया गया रु. 30.17 करोड़ प्रावधान को इनकार करते हुए, कर लगाने योग्य आय को रु. 164.47 करोड़ के रूप में और कर दायित्व को रु. 50.82 करोड़ सहित ब्याज मांग रु. 3.92 करोड़ के रूप में संशोधित (25-6-15) किया। चुकाया गया अग्रिम कर / टीडीएस/ ब्याज/ रिफंड्स पर विचार करने पर वीपीए को आदेश दिया कि शेष कर रु. 13.99 करोड़ चुका । वीपीए ने (दि. 16-7-15) सीआईटीह (एपील्स), विशाखपट्टणम के पास अपील किया। अपील अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।
वित्तीय वर्ष	2011-12													
निर्धारण वर्ष	2012-13													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	81.37													
वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	53.00													
वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	14.12													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	67.25													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		ई. इस बीच में, आयकर विभाग ने रु. 13.99 करोड़ शेष कर मांग को समायोजित (6-4-2016) किया और निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए करने वाले रु. 21.42 करोड़ पुर्नभुगतान आदेश में से रु. 7.43 करोड़, वीपीए को रिलीज किया । एफ. उपर्युक्त (ग) के लिए, सीआईटी (एनील्स), अपीलयेट आर्डर में और निर्णय के ग्रऊंड्स (30-03-2017) ने कुछ हद तक अपील को स्वीकार किया और वीपीएटी द्वारा आईटीएटी में एक पिटीशन फाईल किया गया है। जी. उपर्युक्त (घ) के लिए, सीआईटी (एपील्स), अपीलीयेट आर्डर में और निर्णय के ग्रऊंड्स (13-03-2017) ने कुछ हद तक अपील को स्वीकार किया और वीपीए द्वारा आईटीएटी में एक पिटीशन फाईल किया गया है। एच. उपर्युक्त (च) और (छ) के लिए आईटीएटी सुनवाई प्रगति पर है । आई. सीआईटी (ए)-1 के दिनांक 30-03-2017 आदेश को लागू करते हुए देखें दिनांक 09-05-2017 के एसीआईटी पत्र के माध्यम से कुल आय संशोधित रूप से 160.34 करोड़ से बढ़कर रु. 164.47 करोड़ हो गये और 32.62 करोड़ की वापसी योग्य है जिसमें आयकर अधिनियम 244ए के अंतर्गत रु. 8.41 करोड़ की ब्याज शामिल थे। जे. वीपीए को दिनांक 05-01-2018 को वापसी योग्य रु. 32.62 करोड़ और 244ए के अंतर्गत रु. 8.41 करोड़ ब्याज के रूप में जारी किया गया था, वर्ष 2017-18 ब्याज आय के रूप में पहचाना गया था ।

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		के. निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, वापसी योग्य रु. 21.42 करोड़ रकम के साथ दिनांक 31-03-2016 को आनुषंगिक आदेश जारी किया गया था। कुल वापसी योग्य रकम में से, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए जो कि बकाया मांग के लिए रु. 13.99 करोड़ समायोजित किया गया था और वीपीए को बाकी रकम जारी किया। बाद में निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए दिनांक 09-05-2017 को आनुषंगिक आदेश जारी करते हुए, वीपीए को रु. 13.99 करोड़ का जमा नहीं दिया गया। एल. उप सीआईटी (1)-1 विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम 154 के अंतर्गत दिनांक 101-03-2019 को धारा 244 ए के अंतर्गत ब्याज सहित वापसी योग्य रकम रु. 13.99 करोड़ (कुल रकम रु. 15.53) और निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए बकाया मांग के विरुद्ध वापसी योग्य रु. 15.53 करोड़ रकम समायोजित (कुल मांग रु. 46.92 करोड़) किया गया। एम. धारा 244ए के तहत निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए रु. 1.54 करोड़ ब्याज को वर्ष 2018-19 का आय के रूप में मान्यता दी गई थी। एन. एसीआईटी, सर्कल-1(1), विशाखपट्टणम ने ई-कार्यवाही डीआईएन और पत्र सं.आईटीबीए/सीओएम/एफ/17/2021-/1030949(1), दि.24.2.2021 को आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत दि. 8.2.2021 और धारा 244 के तहत (संशोधित आदेश, दि. 15.12.2020), वापसी योग्य रु.11.58 करोड़ और ब्याज सहित रु. 3.99 करोड़ और (फरवरी, 2021), रु.0.076 करोड़ का संशोधित आदेश जारी किया। धारा 244ए के तहत वर्ष 2020-21 के लिए रु. 4.07 करोड़ ब्याज को आय के रूप में मान्यता दी गई थी।

क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति
5	वित्तीय वर्ष	2012-13	ए. सितंबर 2013 में रिटर्न फाईल करते समय वीपीए ने रु. 53.65 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रु. 69.48 करोड़ वापस देने का दावा किया। मार्च 2015 में रु. 82.69 करोड़ वापस देने के लिए संशोधित रिटर्न फाईल किया गया। बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, एसीआईटी, सर्किल-1(1), विशाखपट्टणम ने उनका प्राथमिक निर्धारण आदेश दिनांक 31-03-2016 में रु. 356.64 करोड़ को इनकार करने के बाद निर्धारण किया कि वीपीए द्वारा फाईल किया गया रिटर्न के अनुसार, रु. 53.65 करोड़ हानि को कम करने के बाद कर लगाने व्यापार योग्य कर आय रु. 302.98 करोड़ रहा और कुल कर दायित्व को रु. 97.57 करोड़ के रूप में निर्धारण किया। सी. कर निर्धारण के लिए वर्ष 2010-11 के लिए रु. 22.48 करोड़ का पुर्नभुगतान आदेश पर कार्रवाई करते समय (6 अप्रैल 2016), प्राप्त किया गया अग्रिम कर, दावा किए गए टीडीएस के लिए रु. 82.64 करोड़ समायोजित करने के बाद, शेष कर रु. 14.93 करोड़ वसूल किया गया और शेष रु. 7.54 करोड़ वापस किया गया। डी. इससे असंतुष्ट होकर, वीपीए ने (18 अप्रैल, 2016) सीआईटी (एनहज), विशाखपट्टणम के पास अपील किया। अपील सीआईटी (अपील) के साथ लंबित है और सीआईटी (अपील्स) के साथ सुनवाई प्रारंभ नहीं किया गया। ई. वीपीए ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में रु. 3.53 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25-4-2016) की धारा 154 के तहत पिटीशन फाईल
	निर्धारण वर्ष	2013-14	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	82.69	
	वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	15.00	
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00	
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	82.69	

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		किया और रु. 0.05 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया । एफ. ऊपर (डी) के खिलाफ सीआईटी (अपील) ने डीआईएन सं.आईटीबीए/एनएफएसी/एफ/एपीएल-1/2020-21/1029229691 (1) के तहत अधिनियम की धारा 250 के तहत अपील संख्या सीटी (ए), विशाखापत्तनम के लिए नोटिस जारी किया, वर्ष 2013-14 के लिए अपील सं.1/10059/2016-17 और वीपीए ने आईटी अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पारित आदेश के लिए पत्र दि.6.1.2021 के माध्यम से प्रविष्टियाँ प्रस्तुत कीं । जी. अधिनियम की धारा 250 के तहत उपरोक्त (डी) के विरुद्ध दि. 15.05.2023 के आदेश के तहत सीआईटी (अपील) ने डीआईएन नं.आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/2023-24/1052850617(1) आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी है। वीपीए ने आईटीएटी, विशाखापत्तनम बेंच के समक्ष पिटिशन (07.07.2023) दाखिल की और सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है । एच. सीआईटी (अपील) ने उपरोक्त (जी) के विरुद्ध, जिसे उप द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। सीआईटी ने परिणामी आदेश दिनांक 15.06.2023 के तहत रु. 251.03 करोड़ की रिलीफ और रु. 81.52 करोड़ का रिफंड वापसी योग्य था और धारा 244ए के तहत रु. 47.44 करोड़ का वापसी योग्य ब्याज था, जिससे कुल रिफंड रु. 128.97 करोड़ हो गया, जिसे उप सीआईटी द्वारा दि. 15.06.2023 के तहत आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी ।

क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति
6	वित्तीय वर्ष	2013-14	ए. मार्च 2016 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीए ने रु. 35.40 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रु. 56.33 करोड़ कर वापस देने का दावा किया । बी. संवीक्षा करने एवं कई प्रश्न पूछे जाने के बाद एसीआईटी, सर्कल-1 (1), विशाखपट्टणम ने दिनांक 31-12-2016 को उनके प्रारंभिक निर्धारण आदेश में, रु; 169.49 करोड़ अस्वीकार करने के बाद, वीपीटी द्वारा फाईल किया गया रिटर्न के अनुसार रु. 35.40 करोड़ हानि घटाते हुए व्यापारी योग्य कर आय को रु. 134.09 करोड़ के रूप में निर्धारण किया और निर्धारित कर योग्य कुल दायित्व रु. 41.43 करोड़ रहा । सी. प्राप्त किया गया अग्रिम कर एवं दावा किया गया टीडीएस रु. 56.08 करोड़ समायोजन करने के बाद, 244ए के अंतर्गत ब्याज सहित रु. 14.64 करोड़ को स्वीकार किया और आयकर विभाग द्वारा वापस किये जाने वाले कुल रकम रु; 17.06 करोड़ रहा । डी. आयकर अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत आयकर विभाग ने (04-02-2017) रु. 17.06 करोड़ रकम वापस किया, जिसमें रु; 2.42 करोड़ ब्याज भी शामिल है और वही वर्ष 2016-17 के आय ब्याज के रूप में पहचाना गया । ई. उपर्युक्त (बी) में रु. 169.49 करोड़ 1 अस्वीकार करने पर असंतुष्ट होकर वीपीए ने सीआईटी (एपील्स), विशाखपट्टणम के साथ (08-02-2017) एक ई-पिटीशन फाईल किया। सीआईटी (अपील्स) के साथ अपील लंबित है और सुनवाई प्रारंभ नहीं हुआ । एफ. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (08-02-2017) वीपीए ने रु. 0.25 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने हेतु पिटीशन फाईल किया ।
	निर्धारण वर्ष	2014-15	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	56.33	
	वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	7.29	
	वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00	
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	56.33	

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		जी. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (02-03-2017) रु. 0.25 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने हेतु तथा धारा 244ए के तहत ब्याज देने हेतु वीपीए ने पिटीशन फाईल किया, रिफंड प्राप्त करने की तिथि फरवरी, 2017 तक ब्याज चुकाने के बावजूद केवल रु. 2.42 करोड़ के लिए दिनांक 31-12-2016 तक स्वीकार किया । एच. दिनांक 31-12-2016 को धारा 143 (3) को पास किया गया आदेश पर /10% की दर पर सरचार्ज लगाने के लिए आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम धारा 154/155 के तहत नोटिस जारी किया । आई. उपर्युक्त (एच) में रु. 6.73 करोड़ की मांग को निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए वापस जारी करते हुए समायोजित किया गया और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए शेष रकम रु. 1.90 करोड़ को वापस कर दी गई थी । जे. ऊपर (ई) के खिलाफ अधिनियम की धारा 250 के तहत सीआईटी (अपील) ने डीआईएन दिनांक 29.12.2020 के सं.आईटीबीए/एनएफएसी/एफ/एपीएल-1/2021/-/2021/102329391 (1) के तहत अपील संख्या सीटी (ए), विशाखापत्तनम के लिए नोटिस जारी किया, वर्ष 2014-15 के लिए अपील सं. 1/10477/2016-17 और वीपीटी ने आईटी अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पारित आदेश के लिए पत्र दि.11.1.2021 के माध्यम से प्रविष्टियाँ प्रस्तुत कीं । के. आयकर अधिनियम की धारा 220(2) के तहत वीपीए को दि. 25.12.2018 को डीआईएन 2018201437046539324टी के माध्यम से रु. 38,61,688/- की मांग जारी की गई थी । निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए रु. 43.14 करोड़ का रिफंड जारी करते समय आयकर विभाग द्वारा रु.38,61,688/- की मांग को समायोजित किया गया था।

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		एल. अधिनियम की धारा 250 के तहत उपरोक्त (जे) के विरुद्ध दि.15.05.2023 को सीआईटी (अपील) ने डीआईएन नं. आईटीबीए./एनएफएसी/एस/250/2023-24/1052850996(1) के आदेश के तहत आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी है . वीपीए ने आईटीएटी, विशाखापत्तनम बेंच के समक्ष पिटिशन (07.07.2023) दाखिल की और सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है । एम. सीआईटी (अपील) पर उपरोक्त (एल) के विरुद्ध, परिणाम स्वरूप रु. 142.26 करोड़ की रिलीफ दी और रु. 61.29 करोड़ रिफंड वापस किया गया और धारा 244ए के तहत रु. 26.12 करोड़ का ब्याज वापस किया गया, जिससे कुल रु. 87.41 करोड़ रिफंड हो गया, जिसे उप सीआईटी ने दि. 15.06.2023 के आदेश के तहत आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। दि. 31.12.2016 को रु. 17.06 करोड़ का रिफंड जारी किया गया था और वापसी योग्य अंतिम राशि रु. 70.35 करोड़ थी।												
7	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2014-15</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2015-16</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>48.11</td></tr><tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>25.18</td></tr><tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>0.00</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>48.11</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2014-15	निर्धारण वर्ष	2015-16	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	48.11	वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	25.18	वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	48.11	मार्च 2017 में रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु. 48.11 करोड़ कर वापस देने का दावा किया । संवीक्षा करने एवं कई प्रश्न पूछे जाने के बाद एसीआईटी, सर्कल-1(1), विशाखपट्टणम ने दिनांक 31-12-2017 को उनके प्रारंभिक निर्धारण आदेश में रु. 37.70 करोड़ अस्वीकार करने के बाद, वीपीए द्वारा फाईल किया गया रिटर्न के अनुसार रु. 123.34 करोड़ व्यापार कर योग्य आय के रूप में निर्धारण किया और निर्धारित कर योग्य कुल दायित्व रु. 41.92 करोड़ रहा । रु. 5.00 करोड़ समायोजित करने के बाद अग्रिम कर प्राप्त किया गया और 244ए के अंतर्गत ब्याज सहित रु. 42.70 करोड़ टीडीएस क्रेडिट की अनुमति दी तथा आयकर विभाग द्वारा कुल वापसी योग्य रु. 6.73 करोड़ रहा ।
वित्तीय वर्ष	2014-15													
निर्धारण वर्ष	2015-16													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	48.11													
वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	25.18													
वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	48.11													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		ए. वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण आदेश जारी करते समय गैर लेवी के / 10% सरचार्ज के लिए आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए रु. 4.82 मांग को समायोजित करते हुए (19-01-2018) रु. 6.73 करोड़ की रकम वापस किया गया और आयकर अधिनियम 244ए के तहत जिसमें शुद्ध वापसी रु. 1.90 ब्याज सहित वापसी योग्य रु. 0.95 करोड़ लगाया गया था । बी. उपर्युक्त (ख) में रु. 37.70 करोड़ अस्वीकार करने पर असंतुष्ट होकर वीपीटी ने सीआईटी (एपील्स), विशाखपट्टणम के साथ (02-02-2018) को ई-पिटीशन फाईल किया। सीआईटी (एपील्स) के साथ अपील लंबित है और सुनवाई प्रारंभ नहीं हुआ । सी. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (02-02-2018) को वीपीए ने रु. 0.41 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट अनुदान करने हेतु पिटीशन फाईल किया। डी. उपरोक्त (बी) पर वर्ष 2015-16 (9.1.2020) के लिए सीआईटी (अपील) से पहले निर्धारण वर्ष 2015-16 आईटीए सं.10251/2017-18 में फाईल की गई के लिए लिखित प्रविष्टियाँ प्रस्तुत किया । दिनांक 22-09-2020 के सीआईटी (अपील) आईटीए सं. 10251/2017-18/सीआईटी(ए) 1/वीएसपी/2019-20 के तहत आंशिक रूप से अपील की अनुमति दिया है । ई. निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी, एसीआईटी, सर्कल-1(1) ने दि. 27-11-2020 को एक अनुवर्ती आदेश जारी की और रु.3.88 करोड़ की रिलीफ का अनुदान दी तथा रु.1.54 करोड़ ब्याज सहित रु.2.32 करोड़ की वापसी जारी की ।

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		एफ. धारा 244ए के तहत वर्ष 2015-16 के लिए रु. 1.54 करोड़ ब्याज को 2020-21 के आय के रूप में मान्यता दी गई थी । जी. उक्त (ई) पर निर्धारित वर्ष 2015-16 के लिए वापसी रु. 2.32 करोड़ को निर्धारित वर्ष 2017-18 के लिए मांग के विरुद्ध समायोजित किया गया था। एच. वीपीटी ने निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए सीआईटी (अपील) के अपीलीय आदेश और निर्णय (21.9.2020) के आधार पर आईटीएटी के साथ अपील फाईल किया गया।												
8	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2015-16</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2016-17</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>47.01</td></tr><tr><td>वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>0.00</td></tr><tr><td>वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>0.00</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>47.01</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2015-16	निर्धारण वर्ष	2016-17	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	47.01	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	0.00	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	47.01	ए. मार्च 2018 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु. 11.41 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रु. 47.01 करोड़ कर वापस देने का दावा किया। बी. संवीक्षा और ऑन लाईन की माध्यम से कई बार पूछने के बाद, दिनांक 25-12-2018 को धारा 143 (3) के तहत एसीआईटी, सर्कल-1(1), विशाखपट्टणम ने अपने प्रारंभिक मूल्यांकन में रु. 351.95 करोड़ का अनुमति न देने का आदेश और व्यापार योग्य आय रु. 237.78 करोड़ के रूप में और रु. 93.93 करोड़ की आयकर देयता पर पहुँचा। सी. अग्रिम कर प्राप्त के संदर्भ में रु. 5.00 करोड़ समायोजित करने के बाद और रु. 42.01 का टीडीएस जमा का अनुमोदित करने तथा अधिनियम धारा 156 के तहत दिनांक 25-12-2018 के आयकर विभाग को वीपीए द्वारा कुल मांग रु. 46.92 करोड़ चुकाना है । डी. वीपीए ने (बी) में अपमानित रु. 351.95 करोड़ के लिए सीआईटी (अपील) के समक्ष पिटीशन फाईल करने को कहा गया ।
वित्तीय वर्ष	2015-16													
निर्धारण वर्ष	2016-17													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	47.01													
वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	0.00													
वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	47.01													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		ई. वीपीए ने दिनांक 23-01-2019 को सीआईटी (अपील) के समक्ष ई-फाईल का अपील किया। सीआईटी (अपील) के पास अपील लंबित है। सीआईटी अपील पर सुनवाई प्रारंभ नहीं हुई है। एफ. लेखापरीक्षा अधिकारी ने ई-कार्यवाही को दंडात्मक कार्यवाही जारी की और आयकर अधिनियम 156 के तहत रु. 46.92 करोड़ भुगतान के लिए दिनांक 25-12-2018 को डिमांड नोटिस जारी किया। जी. आयकर अधिनियम 156 के तहत डिमांड नोटिस विरुद्ध रु. 46.92 करोड़ की विवादित मांग के वसूली पर रोक लगाने के लिए अपील करने के लिए, वीपीए को रु. 46.92 करोड़ निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए विवादित मांग 20: होने के लिए रु. 9.38 करोड़ भुगतान करना होगा। एच. निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, वापसी योग्य रु. 21.42 करोड़ रकम के साथ दिनांक 31-03-2016 को अनुवर्ती आदेश पारित किया। कुल वापसी योग्य रकम में से निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए बकाया मांग के लिए रु. 13.99 करोड़ का समायोजन किया गया और वीपीए को बाकी रकम जारी किया गया। बाद में, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए दिनांक 09-05-2017 को अनुवर्ती आदेश पारित किया गया, वीपीए को रु. 13.99 करोड़ जमा नहीं दिया गया। आई. वीपीए ने आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए मांग वसूली की रोकने के लिए दिनांक 24-01-2019 को डीसीआईटी, सर्कल-1 (1), विशाखपट्टणम के समक्ष स्टे पिटिशन दी, और लेखापरीक्षा अधिकारी से अधिनियम की धारा 244ए के तहत रु. 13.99 करोड़ जमा सहित ब्याज के लिए निर्धारण वर्ष 2012-13 वापसी के विरुद्ध 20% मांग को समायोजित करने का अनुरोध किया।

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		जे. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत उप सीआईटी, सर्कल-1(1), विशाखपट्टणम ने रु. 13.99 करोड़ वापसी योग्य रकम धारा 244 ए के तहत ब्याज के साथ रु. 1.54 करोड़ (कुल रकम 15.53 करोड़) को और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए बकाया मांग के विरुद्ध रु. 15.53 करोड़ वापसी योग्य रकम (कुल मांग रु. 46.92 करोड़) को समायोजित करने को दिनांक 01-03-2019 के आदेश देखें । के. आयकर -1 के मुख्य आयुक्त, विशाखपट्टणम ने निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए विवादित मांग के वसूली का रोक के लिए आवेदन पर आदेश, रु. 10.00 करोड़ की भुगतान दिनांक 22-03-2019 के पहले या करने के लिए दिनांक 18-03-2019 को सूचित आदेश और लेखापरीक्षा अधिकारी को निदेश दिया कि कुछ नियम एवं शर्तों पर सीआईटी (ए) द्वारा 1 अपील निपटाने तक विवादित मांग का शेष वसूली को अस्थगित रखने या दिनांक 31-12-2019 जो पहले हो। एल. वीपीए ने रु. 46.92 करोड़ का विवादित मांग के विरुद्ध दिनांक 20-03-2019 को रु. 10.00 करोड़ रकम भुगतान किया गया। मांग के विरुद्ध रु. 25.53 करोड़ (उक्त (एच) में रु. 15.53 और रु. 10.00 करोड़) और शेष रु. 21.39 करोड़ भुगतान किया जाना है । एम. वीपीए द्वारा विवादित डिमांड के रु. 21.39 करोड़ की शेष देय भुगतान के लिए दिनांक 31-01-2020 को वीपीए ने आयकर विभाग द्वारा ई-पद्धति में नोटिस जारी किया गया था और वीपीए ने दिनांक 06-02-2020 को पिटिशन फाईल किया कि विभाग द्वारा निपटाने के लिए वीपीए के कारण अभी तक लंबित वापसी के लिए मूल्यांकन अधिकारी को अनुरोध किया तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए विवादित डिमांड शेष से अधिक है ।

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		एन. उपरोक्त (डी) पर वर्ष 2016-17 (9.1.2020) के लिए सीआईटी (अपील) से पहले निर्धारण वर्ष 2016-17 आईटीए सं.10269/2018-19 में फाईल की गई के लिए लिखित प्रविष्टियाँ प्रस्तुत किया । दिनांक 22-09-2020 के सीआईटी (अपील) आईटीए सं. 10251/2017-18/सीआईटी(ए) 1/वीएसपी/2019-20 के तहत आंशिक रूप से अपील की अनुमति दिया है। ओ. वीपीए ने एसीआईटी (19.11.2020) के साथ एक पिटिशन फाईल की जिसमें सीआईटी (ए)-1 द्वारा निर्धारित वर्ष 2016-17 के लिए पारित आदेश को जारी करने के लिए अनुवर्ती आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था । पी. वीपीए ने निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए सीआईटी (अपील) के अपीलीय आदेश और निर्णय (21.9.2020) के आधार पर आईटीएटी के साथ अपील फाईल किया गया । क्यू. 143(3) दि. 31.12.2017 को निर्धारण वर्ष 2016-17 मूल्यांकन के लिए आदेश पर, सीआईटी(ए) दि.21.09.2020 में आईटीए सं.10269/2018-19/सीआईटी(ए)-1/वीएसपी/2020-21 और उसके बाद दि. 17.12.2020 का शुद्धिपत्र और आय पर दि.25.12.2018 को मूल्यांकन आदेश के अनुसार सीआईटी (ए) -1 द्वारा रु. 237.77 करोड़ की दी गई कुल रिलीफ अनुदान रु.130.83 करोड़ है और संशोधित मूल्यांकन आय के बाद रिलीफ रु.106.93 करोड़ है। देय कर रु.37.00 करोड़ है। करों को समायोजित करने के बाद रु.72.54 करोड़ के भुगतान किए गए, रु. 35.53 करोड़ कर वापसी योग्य राशि थी और धारा 244ए के तहत ब्याज रु.5.70 करोड़ था और आयकर विभाग द्वारा कुल रु.41.24 करोड़ वापस किया गया था। और वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज और कर वापसी को पुस्तकों में मान्यता दी गई है ।

क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति
9	वित्तीय वर्ष	2016-17	ए. मार्च 2019 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीए ने रु. 56.13 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. प्राथमिक मूल्यांकन शुरू हो गया है और धारा 143 (2) के तहत जारी ई-कार्यवाही नोटिस देखें दिनांक 14-08-2018, 27-09-2018 और 27-09-2019 और धारा 142 (1) के तहत नोटिस दिनांक 19-09-2019 और धारा 143 (3) के तहत जो नोटिस दिनांक 29-11-2019, 18-12-2019, 21-12-2019 जारी शोर्कॉस नोटिस । सी. ऑनलाईन मोड़ की माध्यम से जाँच और पूछने के बाद धारा 143(3) दिनांक 28-12-2019 के तहत एसीआईडी, सर्कल-1(1), विशाखपट्टणम के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश में, रु. 169.83 करोड़ की अनुमति नहीं दिया और रु. 169.83 करोड़ को व्यापार कर योग्य आय पर तथा कुल मिलाकर रु. 59.65 करोड़ की देयता आयकर पर पहुंचे । डी. टीडीएस जमा को समायोजित करने के बाद रु. 56.12 करोड़ का अनुमति दिया और वीपीए द्वारा कुल रु. 3.52 करोड़ देय का मांग दिया । ई. आयकर अधिनियम धारा 156 के तहत वीपीटी को रु. 3.52 करोड़ भुगतान के लिए दिनांक 28-12-2019 को डिमांड नोटिस जारी किया गया था और वीपीए ने दिनांक 07-01-2020 के अपने पिटीशन के विरुद्ध मूल्यांकन अधिकारी को अनुरोध किया कि सीआईटी (अपील) के समक्ष वीपीटी अपील फाईल कर रहा है तथा कहा कि वर्ष 2016-17 के लिए आयकर अधिनियम धारा 154 के तहत वीपीए द्वारा रु. 3.52 करोड़ की विवादित मांग 20% होने के रूप में रु. 0.70 करोड़ रकम वीपीए द्वारा वापसी प्राप्त करने के विरुद्ध वीपीटी ने पिटीशन फाईल किया गया था ।
	निर्धारण वर्ष	2017-18	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	56.13	
	वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	13.09	
	वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00	
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	56.13	

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		एफ. रु. 3.52 करोड़ की अनुमोदित नहीं देने पर पहुंचा (डी) में वीपीए का कहना है कि सीआईटी(अपील) के समक्ष पिटिशन फाईल किया । जी. वीपीए ने दिनांक 10-01-2020 को सीआईटी (अपील) के समक्ष ई-फाईल अपील किया था। सीआईटी (अपील) के साथ अपील लंबित है। सीआईटी (अपील) पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। एच. वीपीए द्वारा रु. 3.52 करोड़ की भुगतान के लिए डिमांड आयकर विभाग द्वारा ई-पद्धति में वीपीए ने दिनांक 31-01-2020 को नोटिस जारी किया गया और वीपीए ने रु. 3.52 करोड़ की विवादित डिमांड की नियमित मूल्यांकन कर 20% रकम रु. 0.70 करोड़ चुकाया गया था। आई. उक्त (एफ) के अनुसार, अधिनियम की धारा 250 के तहत वर्ष 2017-18 के लिए सीआईटी (अपील) ने डीआईएन सं.आईटीबीए/एनएफएसी/एफ/एपीएल-1/2020-21/102973 4733(1) दि.13.1.2021 के अपील संख्या सीटी (ए), विशाखापत्तनम सं. 1/10413/2019-20 के लिए नोटिस जारी किया और वीपीए ने आईटी अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पारित आदेश के लिए पत्र दि.19.1.2021 के माध्यम से प्रविष्टियाँ प्रस्तुत कीं। सीआईटी (अपील) प्रगति पर है। जे. एसीआईटी, सर्कल 1(1) विशाखापट्टणम ने आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत नोटिस (12.3.2021) को जारी किया जिसमें कहा गया कि निर्धारित वर्ष 2017-18 के लिए दि. 28.12.2019 को पारित धारा 143 (3) आदेश में संशोधन की आवश्यकता है। के. वीपीए ने दि. 16.3.2021 के उत्तर की माध्यम से सीआईटी (अपील) और आईटीएटी के पहले फाईल

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		किये गये अपीलों को निपटाने तक अधिनियम की धारा 154 के तहत प्रस्तावित संशोधन को स्थगित करने का अनुरोध किया । एल. निर्धारित वर्ष 2015-16 के लिए रु. 2.32 करोड़ की वापसी को निर्धारित वर्ष 2017-18 की मांग के विरुद्ध समायोजित किया गया था । एम. उक्त (आई) और (जे) पर, निर्धारण अधिकारी ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के दि. 28.12.2019 के आदेश गलत पारित कर दी गई और निर्धारित वर्ष 2017-18 के लिए अधिनियम की धारा 154 पठित 143 (3) के तहत रु. 51,97,27,909/- घाटा सामने लाते हुए एक आदेश पारित किया गया । कुल आय रु. 2,21,80,53,397/- विचार करते हुए और रु. 26,73,90,440/- की देय मांग पर पहुँची । वीपीटी कर सलाहकारों को उनकी सलाह/अपील फाईल करने के लिए मांग नोटिस भेजा गया था। धारा 154 पठित 143 (3) के तहत नोटिस पर सीआईटी (अपील) के साथ अपील दि. 21.10.2021 को फाईल की गई थी।												
10	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2017-18</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2018-19</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>56.46</td></tr><tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>57.77</td></tr><tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>27.29</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>26.17</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2017-18	निर्धारण वर्ष	2018-19	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	56.46	वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	57.77	वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	27.29	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	26.17	ए. वीपीए ने मार्च 2020 में संशोधित रिटर्न फाईल करते रु. 29.17 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. प्राथमिक मूल्यांकन शुरू हो गया है और धारा 143 (2) के तहत ई-कार्यवाही दिनांक 22-09-2019 और 29-09-2019 के तहत नोटिस जारी किया गया है । सी. धारा 142 (1) के तहत नोटिस के अंतर्गत ई-प्रोसीडिंग्स प्रगति पर है । डी. वीपीए के घाटा/ मूल्यह्रास को समायोजित करने से पहले आय की वापसी के अनुसार सकल कुल आय रु. 172,28,55,086/- है ।
वित्तीय वर्ष	2017-18													
निर्धारण वर्ष	2018-19													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	56.46													
वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	57.77													
वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	27.29													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	26.17													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		ई. धारा 143 (3) के तहत ई.कार्यवाही आदेश दि. 24.9.2021 की अस्वीकृति रु. 175,20,10,588 /— के साथ सकल कुल आय के रु. 347,48,65,674 /— को निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरा किया गया था । आयकर अधिनियम के धारा 801ए के तहत दावे की कटौती के बाद रु. 27,81,92,328 /— और रु. 319,66,73,350 /— की कुल आय पर पहुँचे । एफ. उक्त (ई) में अस्वीकृत करते हुए और वीपीए द्वारा रु. 175,20,10,588 /— की देय मांग है। वीपीए ने सीआईटी (अपील) के साथ अपील करना चाहती है और दि. 21. 10.2021 को सीआईटी के साथ अपील फाईल किया गया । जी. आयकर अधिनियम की धारा 250 के तहत सीआईटी (ए) ने दि. 24.9.2021 को एक आदेश पारित किया और आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी और रु.77.46 करोड़ मांग की भुगतान के लिए आयकर अधिनियम की धारा 156 के तहत एक नोटिस जारी किया । एच. निर्धारण वर्ष 2018—19 के लिए रु. 77.46 करोड़ मांग की खिन्न होकर, वीपीए ने दि. 09.02.2023 को आईटीएटी के साथ अपील दाखिल की ।												
11	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2018—19</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2019—20</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>65.35</td></tr><tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>36.26</td></tr><tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>23.49</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>41.85</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2018—19	निर्धारण वर्ष	2019—20	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	65.35	वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	36.26	वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	23.49	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	41.85	ए. वीपीए ने मार्च 2020 में संशोधित रिटर्न फाईल करते रु. 41.85 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. सीपीसी ने दि. 20.03.2020 को आय पर वर्ष 2019—20 के लिए निर्धारण आय की रिटर्न संसाधित करते समय रु.101.29 करोड़ की सकल कुल और टीडीएस समायोजित करने के बाद रु. 65.35 करोड़ का भुगतान किया गया। अधिनियम की धारा 244ए के तहत रु.1. 67 करोड़ के ब्याज सहित रु. 41.85 करोड़ का कुल रिफंड रु. 43.52 करोड़ हो गया। जब रु.43.52 करोड़ का रिफंड जारी करते समय और रु.38.61 लाख की
वित्तीय वर्ष	2018—19													
निर्धारण वर्ष	2019—20													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	65.35													
वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	36.26													
वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	23.49													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	41.85													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		राशि निर्धारण वर्ष 2014-15 की मांग के लिए समायोजित की गई। वर्ष 2022-23 के लिए मान्यता प्राप्त पुस्तकों में रु. 43.14 करोड़ आईटी रिफंड है जिसमें 244ए के तहत रु.1.67 करोड़ में ब्याज शामिल है। सी. प्राथमिक मूल्यांकन अभी तक शुरू नहीं हुआ ।												
12	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2019-20</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2020-21</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>88.96</td></tr><tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>36.26</td></tr><tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>74.00</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>14.95</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2019-20	निर्धारण वर्ष	2020-21	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	88.96	वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	36.26	वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	74.00	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	14.95	ए. वीपीए ने मार्च 2021 में कुल आय के रु. 211.39 करोड़ का संशोधित रिटर्न फाईल करते हुए और रु. 14.95 करोड़ कर वापस करने का दावा किया। बी. प्राथमिक मूल्यांकन अभी तक शुरू नहीं हुआ और धारा 143 (2) के तहत दि. 29.06.2021 को नोटिस जारी किया गया है और वीपीए ने दि. 12.07.2021 को जवाब दाखिल किया है। सी. धारा 142(1) के तहत दि. 21.11.2021 को ई-कार्यवाही नोटिस जारी किया गया है और वीपीए ने दि. 16.12.2021 को जवाब दाखिल किया गया था। डी. धारा 142(1) के तहत फिर से दि. 16.03.2022 को ई-कार्यवाही नोटिस जारी किया गया था और वीपीए ने दि. 21.03.2022 को जवाब दाखिल किया गया था। ई. अंततः दि. 15.03.2022 को धारा 143(3) के तहत नोटिस जारी किया गया और दि. 25.03.2022 को मूल्यांकन आदेश की मसौदा जारी किया गया तथा रु. 109.00 करोड़ की अनुमति नहीं दी गई और व्यापार कर योग्य आय रु. 321.39 करोड़ पहुंच गई तथा जवाब की नियत तिथि दि. 28.03.2022 निर्धारित की गई। वीपीए ने दि. 10.04.2022 तक स्थगित करने का अनुरोध किया। मूल्यांकन अधिकारी से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।
वित्तीय वर्ष	2019-20													
निर्धारण वर्ष	2020-21													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	88.96													
वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	36.26													
वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	74.00													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	14.95													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		एफ. दि. 26.9.2022 को लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मूल्यांकन आदेश जारी किया गया था और रु.321.39 करोड़ का आय का कुल मूल्यांकन की गई, हालांकि गणना शीट में व्यवसाय से आय के लिए रु.371.00 करोड़ का अंतर दिखाए गए और जिसमें कुल अस्वीकृति रु.109.99 करोड़ थी। इस प्रकार आय रु.371.00 करोड़ विचार की गई और रु. 54.33 करोड़ की मांग जारी की गई। जी. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा रु.109.99 करोड़ की मूल्यांकन में की गई अस्वीकृतियों से खिन्न हुआ, वीपीए ने रु.54.33 करोड़ के बजाय रु.21.48 करोड़ की सही मांग पर दि.18.10.2022 को सीआईटी (ए) के साथ अपील दाखिल की । एच. उक्त (एफ) के अनुसार मूल्यांकन की गई कुल आय पर, वीपीए ने लेखापरीक्षा अधिकारी को सुधार के लिए आवेदन किया और लेखापरीक्षा अधिकारी ने तहत दि. 30.3.2023 के आईटी अधिनियम धारा 143(3) के 154 आर.डब्ल्यू.एस. के तहत कटौती के बाद कुल आय रु. 321.39 करोड़ दिखाई गई है और रु. करोड़ की मांग की सुधार आदेश जारी की गउई ।												
13	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2020-21</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2021-22</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>97.95</td></tr><tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>0.00</td></tr><tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>0.00</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>97.95</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2020-21	निर्धारण वर्ष	2021-22	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	97.95	वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	0.00	वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	97.95	ए. वीपीए ने मार्च 2022 में संशोधित रिटर्न फाईल करते रु. 97.95 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. वीपीए ने अपनी आय का रिटर्न रु. (176.27) करोड़ दाखिल किया और रु.661.46 करोड़ की अस्वीकृति की गई और रु.485.18 करोड़ की निर्धारित आय हुई। सी. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा रु. 188.16 करोड़ का कुल आयकर देयताओं पर पहुंची, पूर्व भुगतान करों को समायोजित करने के बाद रु.97.92 करोड़ को 90.23 करोड़ रुपये की मांग की गई।
वित्तीय वर्ष	2020-21													
निर्धारण वर्ष	2021-22													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	97.95													
वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	0.00													
वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	97.95													

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		डी. रु.90.23 करोड़ की मांग से खिन्न होकर, वीपीए ने दि. 25.01.2023 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दाखिल की । ई. आयकर अधिनियम की धारा 250 के तहत सीआईटी (अपील) ने डीआईएनआईटीबीए/एनएफएसी/एफ/एपीएल-1/2023-24/1054303510 (1) दि. 12.07.2023 में नोटिस के माध्यम से 27.07.2023 तक लिखित प्रस्तुतियाँ और दि. 10.08.2023 तक उत्तर देने को कहा है ।												
14	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2021-22</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2022-23</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>127.52</td></tr><tr><td>वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>121.01</td></tr><tr><td>वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>17.98</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>109.55</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2021-22	निर्धारण वर्ष	2022-23	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	127.52	वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	121.01	वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	17.98	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	109.55	ए. वीपीए ने दिसंबर 2022 में संशोधित रिटर्न दाखिल करते समय रु. 109.55 करोड़ के कर रिफंड का दावा किया । बी. मूल्यांकन अभी तक शुरू नहीं हुआ है ।
वित्तीय वर्ष	2021-22													
निर्धारण वर्ष	2022-23													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	127.52													
वीपीए लेखों में किया गया कर प्रावधान	121.01													
वीपीए द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	17.98													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीए द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	109.55													
15	वित्तीय वर्ष 2022-23 (मूल्यांकन वर्ष 2023-24) के लिए, रु. 129.21 करोड़ की अग्रिम कर चुकाया गया और फार्म 26ए के अनुसार रु. 89.64 करोड़ की टीडीएस में जमा किया गया । आयकर संबंधित प्रावधान रु. 171.44 करोड़ है । समय सीमा के अनुसार वापसी कर को फाईल किया जाएगा ।													

8. निम्न मदों में आकस्मिक दायित्व शामिल है : (रूपये करोड़ों में)

क) पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ दावा के लिए अदालतों में लंबित कानूनी मुकदमें 656.44

बी) एनआईटीआई आयोजन के मार्गदर्शन के अनुसार आकस्मिक देयता
खाते पर 75% रकम का भुगतान न करने के कारण मेसर्स एवीआर इंफ्रा 16.23
प्राइवेट लिमिटेड पीपीपी प्रचालक द्वारा उत्पदन न होने के कारण आवश्यक
कागजात जैसे बीसी और एसक्रो खाता खोला ।

ग) वर्ष 86-87 से 98-99 तक विवादास्पद संपत्ति कर दावें 27.98

कुल : 700.65

9 उपरोक्त के अतिरिक्त, मेसर्स एसईडब्ल्यू – वैजाग कोल टर्मिनल ने रियायत करारनामे समाप्त करने के विरुद्ध रु.1685.74 करोड़ के लिए दावा फाईल किया और वीपीटी ने भी मेसर्स एसईडब्ल्यू – वैजाग कोल टर्मिनल प्रा. लि., के विरुद्ध ईक्यू-1 पूरा नहीं करने के कारण रु. 2951.24 करोड़ राजस्व का घाटा का काउंटर फाईल किया ।

10. पेंशन निधि, उपदान निधि और भविष्य निधि के लिए अलग ट्रस्ट खाते का अनुरक्षण किए गए हैं। ग्रुप छुट्टी नकदीकरण के लिए कोई अलग ट्रस्ट नहीं है लेकिन जीएलईएस के लिए अलग से निधि रखा जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान छुट्टी नकदीकरण का भुगतान राजस्व के नामे डाला गया है और 31.03.2022 को छुट्टी नकदीकरण बीमांकिक मूल्यांकन रु. 112.30 करोड़ और यह पूरी तरह से वित्त पोषित है।

11. बीमांकिक दायित्व, सृजित/अभी सृजन करने वाले प्रावधान और निधियों की स्थिति नीचे दिया गया है :

दिनांक 31.03.2023 को पेंशन, उपदान एवं जीएलईएस निधियों की स्थिति		
विवरण	पेंशन निधि ट्रस्ट	उपदान निधि ट्रस्ट
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार व्यवस्था करने वाले निधियाँ (ए)	5735.16	275.75
दिनांक 31.3.2022 के अंत तक उपलब्ध निधि	4,996.37	184.92
वर्ष 2022-23 के दौरान की गई निवेश	56.36	20.12
वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित ब्याज	340.18	13.82
वर्ष 2022-23 के दौरान निधियों से की गई भुगतान	शून्य	(36.02)
दिनांक 31.3.2023 के अंत तक की गई कुल निवेश (बी)	4,996.37	182.84
निधियों में (शार्टफॉल) / अधिकतम (बी-ए)	(342.25)	(92.91)

12. पेंशन निधि ट्रस्ट और उपदान निधि ट्रस्ट में कमी को भविष्य में उपलब्ध अधिशेष निधियों के साथ ठीक किया जाएगा।
13. मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र बिलिमोरिया रिपोर्ट) के अनुसार परीक्षण शेष सेप में उत्पादन होता है और वित्तीय ब्यौरा एक्सेल में तैयार किए जाते हैं, लाभ एवं हानी खाता और तुलनपत्र दोनों अनुसूची के साथ एसएपी में उपलब्ध नहीं है।
14. वर्ष 2022-23 के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पीएलआर का प्रावधान रु. 3.33 करोड़ का है।
15. दावे को आय के रूप में गणन किया गया, लेकिन बाद में प्रप्ति के लिए अर्नहक समझा गया, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर लेखा पुस्तकों में व्यय के रूप में दिखाया गया।
16. सभी विविध देनदारों को अच्छा समझा जाता है और बुरे ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है और इसके लिए मंत्रालय से एक समान नीति की प्रतीक्षा कर रहा है।
17. वर्तमान अवधि में उत्पन्न होने वाली पूर्व अवधि आय या व्यय एक या अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों की तैयारी में त्रुटियों या चूक के परिणाम स्वरूप वित्त, और विविध आय या व्यय के अंतर्गत शामिल है।
18. मंत्रालय के पत्र सं.25021/1/2011-पीडी-II, दिनांक 02-12-2011, के अनुसार वर्ष के दौरान रु. 4.77 करोड़ कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि सृजित किया गया है।
19. बिन काड्स के साथ स्टोर्स प्राइज़ड लेड्जर्स की मात्रा शेष का समाधान किया गया और आवश्यकतानुसार अपेक्षित समायोजन किए गए।
20. जहाँ चालू वर्ष का वर्गीकरण को पृष्टि करने के लिए आवश्यक है वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पीग्रूप किया गया है।
21. डीबीएफओटी के आधार पर ड्राई बल्क कार्गो संभलाई के लिए आंतरिक बंदरगाह की उत्तरी आर्म में वेस्ट्रन क्वे - 6 (डब्ल्यूक्यू-6) घाट को मेसर्स वेस्ट क्वे मल्टि पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था जो रियायत करारनामे (जुलाई 2010) के अनुसार 30 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। घाट का प्रचालन के लिए तीन वर्ष दस महीने के बाद, ग्राही ने मार्च 2019 में प्रचालन को निलंबित कर दिया। रियायत करारनामे को समाप्त कर दिया गया और उसी को पोर्ट ने प्रचालन कर रहा है। रियायत करारनामे के अनुसार मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद और न्यायाधीश प्राधिकारण आदेशप्राप्त होने के बाद आदेशों के अनुसार सभी आवश्यक समायोजन आदेश पारित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, वीपीए ने मंत्रालय द्वारा पीपीपी पद्धति पर वर्तमान डब्ल्यूक्यू-6 परियोजना के पुनर्निर्माण के लिए एक नया एसएफसी प्रस्ताव और एसएफसी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है। संभावित बिड्डों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए आरएफक्यू को दि. 28.01.2022 को सीपीपी पोर्टल में होस्ट किया गया था।

22. वीपीटी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट (वीपीटीईजीपीएफ ट्रस्ट) ने वर्ष 2015-17 के दौरान डीएचएफएल में सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में रु. 8.00 करोड़ राशि का निवेश किया है। वर्ष 2019 के दौरान डीएचएफएल डिफॉल्टर बन गया है और आरबीआई ने दिवाला और दिवालायिपन कोड, 2016 के अनुसार राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल में डीएचएफएल के विरुद्ध कॉर्पोरेट ऋण समाधान प्रक्रिया शुरू की है। जून, 2021 के दौरान, एनसीएलटी ने डीएचएफएल को दिवाला घोषित किया गया। इसके बाद, पीसीएचएफसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना और वितरण तंत्र के अनुसार, जिसके लिए वीपीए (वीपीटीईजीपीएफ ट्रस्ट का प्रमुख नियोक्ता होने के नाते) वीपीटीईजीपीएफ ट्रस्ट को रु. 4.13 करोड़ की मूलधन का नुकसान हुआ है, वीपीटीईजीपीएफ ट्रस्ट खातों में नुकसान को बढ़े खाते में डालने का प्रस्ताव रखा है और मंजूरी के लिए मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था। मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। जवाब में, मंत्रालय ने सूचित किया कि उक्त विषय में केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और कहा कि महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के लागू प्रावधानों के संदर्भ में वीपीए द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालय के दिशानिर्देशों और लागू नियमों के अनुसार विधिवत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करके वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएंगी।

23. बिलमोरिया रिपोर्ट के अनुसार सामान्य स्पष्टीकरण।

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22	टिप्पणी
1.	निपटाने के लिए रहे सक्रिय उपयोग से अलग किये गये नियत पूँजी परिसंपत्तियों को अलग से दिखाना होगा।	शून्य	शून्य	जब इसे अनुपयुक्त समझा जाता तब परिसंपत्तियों को निपटान किया जाता था और संबंधित वर्षों में बिक्री पद्धति राजस्व में बुक / चार्ज की जाती है।
2.	वित्तीय वर्ष (रूपया करोड़ों में) को समाप्त होने के लिए पूँजी खाते पर निष्पादित होने वाले ठेके की अनुमानित राशि और प्रावधान नहीं की गई।	157.25	14.20	वीपीए की नीति के अनुसार वास्तविक के आधार पर राजस्व को पहचानते हुए, मार्च 2019-20 के अंत तक प्राक्कलित पूँजीगत व्यय 31-03-2021 के अंत तक प्रावधान किया गया।
3.	विवादों के कारण आकस्मिक दायित्व की व्यवस्था नहीं की गयी।	106.70	108.18	
4.	वर्ष के दौरान आयात की सीआईएफ मूल्य भंडारण एवं पुर्जे, पूँजी वस्तु, पुर्जे (रूपये करोड़ों में)	1.17	0.75	

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22	टिप्पणी
5.	विदेशी मुद्रा में व्यय।	1.17	0.75	
6.	विदेशी मुद्रा में आमदनी	शून्य	शून्य	
7.	वित्तीय वर्ष के दौरान आयातित एवं देशीय भंडार एवं उपयोग किये गये पुर्जों का % सहित मूल्य	शून्य	शून्य	
8.	अनुसंधान, योजना और विकास कार्यकलापों पर खर्चा किया गया व्यय (रूपये करोड़ों में)	5.65	3.15	
9.	वर्ष के दौरान पूँजीकृत उधार लिये गये लागत	शून्य	शून्य	
10.	वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का लाभ / हानि	शून्य	शून्य	
11.	वीपीटी की कुल क्षमता। (मिलियन टन)	126.89	126.89	
12.	वर्तमान वर्ष में संभलाई गयी जलयानों की वास्तविक संख्या	1939	2040	
13.	वर्ष के दौरान संभलाई गयी वास्तविक टन्नेज	69.03	69.84	
14.	वास्तव में मंजूर किया गया श्रेणीवार कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :	सीएचडी श्रेणी I 1 102 श्रेणी II 1 94 श्रेणी III 30 1403 श्रेणी IV 513 614 कुल 545 2213	सीएचडी श्रेणी I 4 120 श्रेणी II 1 89 श्रेणी III 44 1503 श्रेणी IV 581 676 कुल 630 2388	

ह/—
 एस.शांति
 वि.स. एवं मु.ले.अ.
 विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

ह/—
 के. राम मोहन राव, भा.प्र.से.
 अध्यक्ष
 विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखपट्टणम 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

1. महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44 के साथ पठित नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक अधिनियम के कर्तव्य अधिकार एवं नियम 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत हमने विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण के 31 मार्च 2023 तक के संलग्न तुलन पत्र की तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार कराने की जिम्मेदारी पोर्ट प्रबंधन की है। लेखापरीक्षा उपलब्धि के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय विचार अभिव्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखाकरण के तरीके पर नियंत्रक एवं भारत के महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की वर्गीकरण, उक्त लेखाकरण पद्धति के साथ समानरूपता लेखाकरण मानक तथा प्रकटन प्रतिमानक आदि से संबंधित टिप्पणियाँ ही शामिल हैं। विधि के अनुपालन नियम, विनियम (औचित्य और नियमितता) तथा दक्षता सह-निष्पादन पक्ष से संबंधित वित्तीय संचालन पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, यदि हैं तो, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट / सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से रिपोर्ट की गई हैं।
3. हमने अपने लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों की अपेक्षानुसार वित्तीय विवरण आर्थिक गलत बयानी से मुक्त है या नहीं इसका उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण जांच के आधार पर रकम के समर्थन और वित्तीय विवरण के प्रकटन के साक्ष्य की जाँच आदि शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किये गये विशिष्ट प्राक्कलन, साथ ही वित्तीय विवरण एवं समस्त प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी विचार के लिए उचित आधार पर तैयार करता है।
4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :
 - i) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रयोजनार्थ सभी सूचनायें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी जानकारी और विवरण के अनुसार आवश्यक है।
 - ii) इस रिपोर्ट द्वारा बनाया गया तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्म में तैयार किया गया है।
 - iii) हमारी राय में लेखा की उचित पुस्तकें और अन्य तर्क संगत रिकार्ड विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण, विशाखपट्टणम द्वारा अनुरक्षित रखे गये हैं जो इस प्रकार की पुस्तकों की जांच से पता चला है।
 - iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

ए. लेखा का संशोधन

इस कार्यालय द्वारा जारी लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कुछ प्रभाव देने के लिए विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण(वीपीए), विशाखपट्टणम ने अपने लेखों का संशोधन किया परिणाम स्वरूप :

- ए कर से पूर्व लाभ रु. 22.88 करोड़ अर्थात रु. 508.32 करोड़ से बढ़कर रु.531.20 करोड़ हो गया।
- बी कर के बाद रु. 13.92 करोड़ अर्थात रु. 366.79 करोड़ से बढ़कर रु. 380.71 करोड़ हो गया।

ख. लेखों पर संशोधित टिप्पणी

चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

विविध देनदार (अनुसूची 2.3) : रु. 494.37 करोड़

- 31 मार्च 2023 तक विविध देनदारों में रु. 231.64 करोड़ (46.85 प्रतिशत) की राशि शामिल थी, जिनकी वसूली पांच साल से अधिक समय से लंबित थी। तथापि, वीपीए ने रु. 7.31 करोड़ को छोड़कर, जो कि 2013-14 से पहले किया गया था, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। वर्ष-दर-वर्ष आश्वासन देने के बावजूद, वीपीए ने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया है। वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2022-23 के लिए वीपीए के वार्षिक खातों पर इसी तरह की टिप्पणियाँ जारी की गईं। तथापि, वर्ष 2022-23 में भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
- 31 मार्च 2023 तक विविध देनदारों के विवरण की समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि कार्गो से संबंधित बकाया और दिनांक 31 मार्च 2021 के जेवी दस्तावेज़ सं. 100027670 के माध्यम से अन्य विविध देनदारियों के खिलाफ के तहत रु.4.39 करोड़ की राशि विविध देनदारों में समायोजित/जमा की गई थी खर्च की गई थी। तथापि, जिन ग्राहकों के विरुद्ध उक्त राशि जमा की गई थी, उनका विवरण खातों की किताबों में उपलब्ध नहीं है। विवरण के अभाव में, 31 मार्च 2023 तक कार्गो से संबंधित बकाया के वास्तविक विविध देनदारों का पता नहीं लगाया जा सका।
- 'जल और बिजली बकाया' और 'फिशिंग हार्बर' बकायों के तहत विविध देनदार सरकारी बकाया और प्राइवेट फर्म से सहित बकाया शामिल है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

सरकारी/प्राइवेट	नकारात्मक शेष	सकारात्मक शेष	कुल योग (रूपयों में)
पानी और बिजली बकाया			
सरकारी	-56,17,806	14,18,20,176	13,62,02,370
प्राइवेट	-24,10,57,335	1,08,36,13,848	84,25,56,513
कुल योग	-24,66,75,141	1,22,54,34,024	97,87,58,883

मत्सय बंदरगाह बकाया			
सरकारी	—4,54,22,346	13,11,66,477	8,57,44,131
प्राइवेट	—13,236	2,74,564	2,61,328
कुल योग	—4,54,35,582	13,14,41,041	8,60,05,459

शुजल और बिजलीश और शफिशिंग हार्बरश शीर्ष के तहत विविध देनदारों के नकारात्मक शेष को समायोजित / समाधान करने की आवश्यकता है। विविध देनदारों का नकारात्मक शेष विविध देनदारों के लेखांकन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी को दर्शाता है।

चालू देयतायें :

- I. भविष्य,पेंशन और उपदान निधियां (अनुसूची 2.4) रु रु. 25.61 करोड़
- 4 भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत वास्तविक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, रु. 6010.91 करोड़ की आवश्यकता है। तथापि, वीपीए 31 मार्च 2023 तक उक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए रु. 5575.75 करोड़ की राशि का विभाजन किया और पेंशन निधि ट्रस्ट और उपदान निधि ट्रस्ट में निवेश किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2023 को पेंशन निधि ट्रस्ट और उपदान निधि ट्रस्ट में निवेश के लिए रु. 435.16 करोड़ की कमी हुई है।
5. लेखा नोट्स के सं.11 के संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें वास्तविक देयतायें, बनाये गए /अभी भी बनाए जानेवाले प्रावधानों का ब्यौरा और निधियों की स्थिति का विस्तृत विवरण दिया गया है। लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2023 तक पेंशन निधि में किए गए निवेश के विरुद्ध विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तुत रु. 5,392.91 करोड़ की राशि के लिए पुष्टिकरण प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया। वीपीए द्वारा प्रस्तुत पुष्टिकरण प्रमाणपत्रों की समीक्षा करते समय, लेखापरीक्षा ने पाया कि किए गए निवेश के लिए पुष्टिकरण प्रमाणपत्र वार्षिक में रु. 572.31 करोड़ की राशि और एसबीआई और यूबीआई में रु. 2.59 करोड़ की शेष राशि लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। इसलिए, लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पेंशन निधि ट्रस्ट में निवेश किए गए रु. 574.90 करोड़ के निवेश की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका।

लाम और हानि लेखा :

व्यय :

वित्त और विविध व्यय (अनुसूची आर-11) : रु. 533.31 करोड़

- 6 विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2015 से 2017 के दौरान विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि (वीपीटीईजीपीएफ) ट्रस्ट से दीवान हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड (डीएचएफएल) में रु. 8.00 करोड़ की राशि का निवेश किया है। 2019 के दौरान, डीएचएफएल दिवालापन हो गया और आरबीआई ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की। उक्त को दृष्टि में रखते हुए, वीपीटीईजीपीएफ ट्रस्ट मंडल ने अब किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करने और तदनुसार पोर्टफोलियो प्रबंधक को 31 दिसंबर 2019 को निर्देश देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद, 29 सितंबर 2021 को निपटान किया गया और निपटान आगे बढ़ाने पर विचार करने के बाद, वीपीए को ₹6.40 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ। डीएचएफएल के दिवालियेपन और दिवालियापन के कारण, ₹6.40 करोड़ की राशि की वसूली की संभावना बहुत कम है। चूंकि पेंशन निधि के घाटा को अवशोषित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। वीपीए ने कर्मचारियों को उपरोक्त राशि ₹. 6.40 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पुस्तकों में निवेश में हुए घाटा के लिए आवश्यक प्रावधान नहीं किया गया है। घाटा का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप वित्त और विविध व्यय (अनुसूची 11) और चालू देयताओं (अनुसूची 2.4 में न्यून्योक्ति) हुए और वर्ष के लिए ₹6.40 करोड़ की अत्युक्ति लाभ हुए।

₹.6010.91 करोड़ = ₹. 5735.16 करोड़ पेंशन निधि के संबंध में + ₹. 275.75 करोड़ उपदान निधि के संबंध में
 ₹. 5575.75 करोड़ = ₹. 5392.91 करोड़ पेंशन निधि के संबंध में + ₹. 182.84 करोड़ उपदान निधि के संबंध में ।
 ₹. 435.16 करोड़ = ₹. 342.25 करोड़ पेंशन निधि के संबंध में + ₹. ₹.92.91 करोड़ उपदान निधि के संबंध में ।

सामान्य :

- 7 मार्च 2023 महीने के लिए विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण के बैंक समाधान विवरण की समीक्षा से पता चला कि :
 - (ए) 2019–22 के दौरान जारी किए गए ₹. 32.31 लाख के चेक बैंकों में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
 - (बी) 2019–22 के दौरान कुल मिलाकर ₹. 4.92 करोड़ की राशि रोकड़ पुस्तक के नामे की गई थी, लेकिन बैंकों द्वारा जमा नहीं की गई थी।
 - (सी) 2019–22 के दौरान बैंकों द्वारा जमा की गई कुल राशि ₹.15.23 करोड़ वीपीए द्वारा लेखों में रिकार्ड नहीं की गई थी।
 - (डी) 2019–22 के दौरान बैंकों द्वारा कुल ₹. 5.13 करोड़ राशि खर्च की गई थी, लेकिन वीपीए द्वारा लेखों में रिकार्ड नहीं की गई थी।

ग प्रबंधन पत्र

ये गलतियों को इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, उन्हें 2022–23 में सुधार / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र की माध्यम से अध्यक्ष, वीपीए के ध्यान में लाया गया ।

v) पूर्व अनुच्छेदों में व्यक्त हमारे विचारों के आधार पर हम यह अभिलेख करते हैं कि इस रिपोर्ट के द्वारा देखे गये तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है।

vi) हमारी राय में और हमारी जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणियाँ, लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखा पर टिप्पणी और बताये गये उपरोक्त विशेष मामले तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अनुलग्नक-1 में दिये गये अन्य मामलों की शर्त पर, भारत में प्रायः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों को पृष्टता में सही तथा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

क, वीपीटी, विशाखपट्टणम के 31 मार्च 2020 तक के कार्यकलापों की स्थिति की तुलनपत्र के संबंध में और

ख उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ / हानि के लाभ लेखा के संबंध में ।

vii) विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण का पिछले तीन वर्षों का लाभ के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम दिखाने वाली लेखा की समीक्षा अनुलग्नक – II में दी गई है ।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की तरफ से

(एम.एस. सुब्रह्मण्यम)

वाणिज्य लेखापरीक्षा का महा निदेशक एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड
हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 31, अक्टूबर, 2022

अनुलग्नक – I

1 आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता :

विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण (वीपीए) का आंतरिक लेखापरीक्षा 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए 13 जनवरी 2023 को कोमांदूर एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को और 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए 13 मार्च 2023 को मेसर्स राव एंड कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सौंपा गया था। संदर्भ नियमों के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा टीम ने क्रमशः 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक जलाई 2023 और 29 जुलाई 2023 के लिए मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट्स वीपीए के वि स एवं मु ले अ को प्रस्तुत किया। यद्यपि, आंतरिक लेखापरीक्षा अधिदेश में लाभ और हानि खाते के प्रारूप, तुलन पत्र, अनुसूचियों, लेखों का हिस्सा बनने वाले नोटों के सत्यापन सहित विभिन्न चेकों का प्रावधान है, कमियां अभी भी बनी हुई हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सीएजी ने 75 लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इंगित किया था, जिसमें से वीपीए प्रबंधन ने 43 लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए संशोधन प्रविष्टियां पारित की। आगे, आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की उन्नति और प्रभावशीलता की आवश्यकता को सूचित करता है।

2 आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता :

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं हैं। निर्धारित क्षेत्र जैसे विविध देनदार प्रबंधन की मजबूत/वृद्धि करने की आवश्यकता, अनुपालन करने के लिए अध्यक्ष, विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण की माध्यम से अलग से प्रबंधन पत्र में शामिल किए जाने के साथ ध्यान में लाया गया है।

एसएआर में पहले से बताए गए मामलों के अलावा कुछ प्रमुख मदें इस प्रकार हैं:

क्र सभी वीपीए उपभोक्ताओं को अपने रिवाल्विंग जमा लेखों में न्यूनतम रु.25,000 शेष रखना होगा। वीपीए के कुल 1,024 जमा खातों में से, 634 जमा खातादारों ने उक्त न्यूनतम शेष रकम से आवश्यक रकम का अनुरक्षण करते हैं और 390 उपभोक्ता जमा खातादारों से आवश्यक रकम का अनुरक्षण नहीं करते हैं। आगे, 215 उपभोक्ता जमा खातादारों पर रु.109.00 करोड़ की नकारात्मक शेष राशि परिलक्षित हो रही है। यह मॉनिटरिंग मेकानिज़्म की अपर्याप्तता को सूचित करता है।

क्र आयकर निर्धारण आदेश के विरुद्ध मूल्यांकन वर्ष 2009-10 से 2021-22 तक का विविध अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है। प्रबंधन को अपील शीघ्र निपटाने के लिए उचित प्रयास सुनिश्चित करना होगा।

(नोट: आयकर अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, वीपीए ने आयकर अधिकारियों का अग्रिम

कर श्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का भुगतान करता है (जिसके लिए वीपीए को ग्राहक द्वारा जारी फार्म 26 एस टीडीएस प्रमाणपत्र के अनुसार क्रेडिट मिलता है)। रिफंड प्राप्त करने के लिए उपरोक्त अग्रिमों से आयकर अधिकारियों से, वीपीए हर वर्ष लागू कर निर्धारण के साथ आयकर रिटर्न फाइल करता है। हालांकि, 2009-10 से 2022-23 तक आईटीआर में वीपीए द्वारा जमा की गई राशि का समायोजन न करने के कारण, चालू परिसंपत्ति के रूप में रु. 1153.84 करोड़ की राशि राशि दिखाई दे रही थी और चालू दायिता के रूप में रु. 744.97 करोड़ और वीपीए के वर्तमान अनुपात को बढ़ा रहा है)

- क्र सेप में देनदारों की ऐजिंग बढ़ने के लिए वीपीए की कोई मानक रिपोर्ट नहीं है। 2021-22 के लिए वित्त विभाग ने सेप डेटा डाऊनलोड किया है और ऐजिंग का विवरण के प्रारंभ शेष में जोड़ा है जो मैनुअल रूप से किया जाता है ।
- क्र आंतरिक लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया कि (ए) संपत्ति किराये के बकाया के लिए चालान बढ़ाने में देरी हो रही है और विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए चालान बढ़ाने में देरी हो रही है । वीपीए द्वारा बनाए गए ईआरपी में संपत्ति किराये के विलंबित भुगतान पर ब्याज की गणना के लिए स्वचालित प्रणाली उपलब्ध नहीं है । (बी) प्राप्तियों को बिल के आधार पर मंजूरी नहीं दी जाती है (सी) कुछ विक्रेता भुगतानों के लिए ईआरपी (एसएपी) में सहायक चालान और वाउचर संलग्न नहीं होते हैं ।

3 नियत परिसंपत्तियों की भौतिक जांच की पद्धति :

वीपीए की नीति और प्रक्रिया के अनुसार, पांच वर्षों में एक बार स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। वर्ष 2018 में देय स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2018-19 में किया गया और वीपीए द्वारा वर्ष 2022-23 का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

4 वस्तुसूची की भौतिक जांच की पद्धति :

वीपीए द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की माध्यम से नियमित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया जाता है। हालांकि, सितंबर 2021 से भौतिक सत्यापन इन्वेंट्री नहीं की गई है।

5 सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता :

पोर्ट प्राधिकरण ने अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए गए मुद्दों को छोड़कर नियत तिथियों के अंदर संबंधित संगठनों को सांविधिक देयों का भुगतान किया ।

(एम.एस. सुब्रहमण्यम)
महा निदेशक

अनुलग्नक – II

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकन/विचारों पर ध्यान न देते हुए लेखा की समीक्षा की गई है।

1 परिचय

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरणके वित्तीय लेखों की लेखापरीक्षा महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44 के साथ पठित नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सेवा के कर्तव्य अधिकार एवं नियम) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) अंतर्गत किया गया।

2 वित्तीय स्थिति :

वर्ष 2021-22 के वीपीए की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति प्रति वर्ष के अंत तक बड़े शीर्ष के तहत निम्नानुसार है :

(रूपया करोड़ों में)

	विवरण	2020-21	2021-22	2021-23
1 ए	दायिताएँ			
	i) पूँजी आरक्षण	1017.08	1019.48	1019.51
	ii) अन्य आरक्षण	1855.64	2127.32	2508.23
	iii) उधार	0	0	0.00
	iv) पूँजी ऋण	7.72	0	0.00
	v) प्राप्त किये गये अनुदान	21.27	42.18	54.07
	vi) चालू दायिताएँ एवं प्रावधान अन्य दायिताएँ (भविष्य निधि, पेंशन, उपदान निधि)	2021.13	2339.75	2717.53
	vii) अस्थायित कर दायित्व	12.1	0	0.00
	कुल	4934.94	5528.73	6299.34
1 ब	i) नियत परिसंपत्तियाँ (ग्रास ब्लॉक)	2702.49	2832.85	3049.11
	ii) घटाईये रु मूल्यह्रास	837.33	894.14	945.47
	iii) शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	1865.16	1938.71	2103.64
	vi) प्रगति पर पूँजी कार्य	237.54	322.67	327.04
	v) निवेश	519.47	528.41	530.01
	vi) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	2312.77	2717.33	3296.08
	vii) विविध व्यय (डीआरई)	0	0	0.00
	viii) अस्थायित कर परिसंपत्तियाँ	0	21.61	42.57
	कुल	4934.94	5528.73	6299.34

सी	कार्यचालन पूँजी ⁴	291.64	377.58	578.55
डी	शुद्ध मूल्य ⁵	2872.72	3146.81	3527.74
ई	नियोजित पूँजी ⁶	2156.80	2316.29	2682.20
एफ	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत ⁷	11.06	11.90	14.19
जी	नियोजित पूँजी (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	2394.34	2638.96	3009.24
एच	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	9.97	10.44	12.65

4 कार्यचालन पूँजी चालू परिसंपत्तियों का माईनेस चालू दायिताओं का प्रतिनिधित्व करता है।

5 शुद्ध मूल्य, पूँजी आरक्षण एवं अन्य आरक्षण सहित संचित अधिशेष घाटा संचित कमी का प्रतिनिधित्व करता है।

6 पूँजी नियोजन शुद्ध नियत परिसंपत्ति एवं कार्यचालन पूँजी का प्रतिनिधित्व करता है।

7 रेट ऑफ रिटर्न को (विनियोजन से पहले) पूँजी नियोजन के लिए शुद्ध अधिशेष का प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

सी) कार्याचालन परिणाम का सारांश :

31 मार्च 2023 को समाप्त विशाखपट्टणम पोर्ट के कार्यचालन परिणाम पिछले दो वर्ष 31 मार्च 2021 और 2022 की तुलना के साथ नीचे दिये गये हैं :

(रूपया करोड़ों में)

	विवरण	2020—21	2021—22	2022—23
II	राजस्व :			
ए.	आय			
	परिचालन आय	1445.69	1525.90	1726.86
	गैर परिचालन आय	78.16	83.97	135.69
	कुल	1523.85	1609.9	1862.55
बी.	व्यय			
	परिचालन व्यय	654.15	740.17	798.03
	गैर परिचालन व्यय	464.4	506.84	533.31
	कुल 1118.55	1247	1331.34	
सी.	विनियोजन से पहले शुद्ध अधिशेष/घाटा/कर से पूर्व लाभ	405.3	362.86	531.20
	घाटा: कर के लिए प्रावधान			
	पिछले वर्ष	0	0	0
	चालू वर्ष	0	121.01	171.45

	फ्रिंज लाभ कर	0	0	0
	आस्थगित कर	166.66	—33.71	—20.95
	कर के बाद लाभ	238.64	275.56	275.56
डी.	घाटा: स्थिर परिसंपत्तियों को निपाटाने पर लाभ और पूंजी आरक्षण में स्थानांतरण	0.07	2.4	0.0285
ई.	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम	238.57	273.17	380.68
एफ.	घाटा रू मैनेजेटरी विनियोजन/आरक्षण निधि में अंतरण (शुद्ध लाभ)	129.47	138.98	160.93
जी.	सामान्य आरक्षण निधि में स्थानांतरित अधिशेष (शुद्ध लाभ)	109.16	134.19	219.75
एच.	निम्न के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ का प्रतिशत			
I	परिचालन आय	16.51	18.06	22.04
II	शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	12.79	14.21	18.10
III	शुद्ध मूल्य	8.31	8.76	10.79

4 अनुपात विश्लेषण (परिसमापन और शोध क्षमता) :

- (क) चालू दायिताओं के लिए चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2021–22 में 116.14 से वृद्धि होकर वर्ष 2022–23 में 121.29 हुआ।
- (ख) चालू दायिताओं के लिए तत्काल परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2021–22 में 67.45 से वृद्धि होकर वर्ष 2022–23 में 73.86 हुआ।
- (ग) चालू दायिताओं के लिए तरल परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2021–22 में 45.10 से वृद्धि होकर वर्ष 2022–23 में 55.67 हुआ।
- (घ) परिचालन आय के लिए फुटकर देनदार का प्रतिशत वर्ष 2021–22 को 34.27 से घटकर वर्ष 2022–23 में 28.63 हुई।
- (च) ऋण/पूँजी आरक्षण एवं अन्य आरक्षण का अनुपात : वीपीए पर कोई उधार नहीं है।
- (छ) कुल परिसंपत्तियों के लिए चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2021–22 में 49.15 से वृद्धि होकर वर्ष 2022–23 में 52.32 हुआ।
- (ज) परिचालन आय के लिए व्यय का प्रतिशत वर्ष 2021–22 में 48.51 से घटकर वर्ष 2022–23 में 46.21 हुई।

(एम.एस.सुब्रहमण्यम)
महा निदेशक

वर्ष 2022-23 के लिए वीपीए के लेखों पर सीएजी की टिप्पणियों पर कार्रवाई नोट्स

चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम : विविध देनदार (अनुसूची 2.3) : रु. 494.37 करोड़	
1. 31 मार्च 2023 तक विविध देनदारों में रु.231.64 करोड़ (46.85 प्रतिशत) की राशि शामिल थी, जिनकी वसूली पांच साल से अधिक समय से लंबित थी। तथापि, वीपीए ने रु. 7.31 करोड़ को छोड़कर, जो कि 2013-14 से पहले किया गया था, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। वर्ष-दर-वर्ष आश्वासन देने के बावजूद, वीपीए ने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया है। वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2022-23 के लिए वीपीए के वार्षिक खातों पर इसी तरह की टिप्पणियाँ जारी की गईं। तथापि, वर्ष 2022-23 में भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	मंत्रालय ने सभी पत्तनों के लिए एक समान नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है, इस संबंध में विविध देनदारों के लिए आवश्यक प्रावधान उचित समय पर किए जाएंगे। यह भी कहना है कि, महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम की परिचय दि. 03.11.2021 से लागू के साथ, सभी पत्तनों ने मंत्रालय को भारतीय पत्तन एसोसियेशन के माध्यम से लेखा फार्मेट, नीतियों आदि पर गौर करने का अनुरोध किया है।
2. 31 मार्च 2023 तक विविध देनदारों के विवरण की समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि कार्गो से संबंधित बकाया और दिनांक 31 मार्च 2021 के जेवी दस्तावेज़ सं. 100027670 के माध्यम से अन्य विविध देनदारियों के खिलाफ के तहत रु.4.39 करोड़ की राशि विविध देनदारों में समायोजित/जमा की गई थी खर्च की गई थी। तथापि, जिन ग्राहकों के विरुद्ध उक्त राशि जमा की गई थी, उनका विवरण खातों की किताबों में उपलब्ध नहीं है। विवरण के अभाव में, 31 मार्च 2023 तक कार्गो से संबंधित बकाया के वास्तविक विविध देनदारों का पता नहीं लगाया जा सका।	2017 तक एसबीआई खाता 30387186900 में जमा की गई रु. 4,39,32,782/- की राशि को कार्गो से संबंधित बकाया के तहत विविध देनदारों को समायोजित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकर्स से विधिवत जानकारी प्राप्त करके इसका समाधान किया जाएगा और उचित ग्राहक खाते/प्रधान खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। हालाँकि, इस संबंध में प्रबंधन के हस्तक्षेप के बावजूद बैंकों ने अपने सर्वर से जानकारी प्राप्त करने और यह पता लगाने की स्थिति में नहीं थे कि ग्राहक और किस उद्देश्य से वीपीए बैंक खाते में राशि जमा की गई थी।
3. जल और बिजली बकाया और फिशिंग हार्बर बकायों के तहत विविध देनदार, सरकारी बकाया और प्राइवेट फर्मस् ।	अगले वित्तीय वर्ष में विविध देनदारों की समीक्षा की जाएगी और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
4. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत वास्तविक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, रु. 6010.91 करोड़ की आवश्यकता है। तथापि, वीपीए 31 मार्च 2023 तक उक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए रु. 5575.75 करोड़ की राशि का विभाजन किया और पेंशन निधि ट्रस्ट और उपदान निधि ट्रस्ट में निवेश किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2023 को पेंशन निधि ट्रस्ट और उपदान निधि ट्रस्ट में निवेश के लिए रु. 435.16 करोड़ की कमी हुई है।	पेंशन निधि और उपदान निधि में कमी को उचित समय पर समायोजित किया जाएगा, बशर्ते कि भिन्नता वार्षिक आधार पर और ट्रस्ट निधियों द्वारा अर्जित आय के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के अधीन होगा।

रु. 6010.91 करोड़ = रु. 5735.16 करोड़ पेंशन निधि के संबंध में + रु. 275.75 करोड़ उपदान निधि की के संबंध में
रु. 5575.75 करोड़ = रु. 5392.91 करोड़ पेंशन निधि के संबंध में + रु. 182.84 करोड़ उपदान निधि के संबंध में ।
रु. 435.16 करोड़ = रु. 342.25 करोड़ पेंशन निधि के संबंध में + रु. 92.91 करोड़ उपदान निधि के संबंध में ।

5. लेखा नोट्स के सं.11 के संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें वास्तविक देयातायें, बनाये गए/अभी भी बनाए जानेवाले प्रावधानों का ब्यौरा और निधियों की स्थिति का विस्तृत विवरण दिया गया है। लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2023 तक पेंशन निधि में किए गए निवेश के विरुद्ध विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तुत रु. 5,392.91 करोड़ की राशि के लिए पुष्टिकरण प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया। वीपीए द्वारा प्रस्तुत पुष्टिकरण प्रमाणपत्रों की समीक्षा करते समय, लेखापरीक्षा ने पाया कि किए गए निवेश के लिए पुष्टिकरण प्रमाणपत्र वार्षिक में रु. 572.31 करोड़ की राशि और एसबीआई और यूबीआई में रु.2.59 करोड़ की शेष राशि लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। इसलिए, लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पेंशन निधि ट्रस्ट में निवेश किए गए रु.574.90 करोड़ के निवेश की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका।

भारतीय जीवन बीमा निगम, एसबीआई लाइफ इनश्युरेन्स कं. लिमिटेड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से खरीदी गई वार्षिक भृति रु. 572.31 करोड़ की हैं, जिन्हें पुस्तक मूल्य के रूप में दिखाया गया है।

क्र.सं.	इनश्युरेन्स कंपनी	राशि (रुपया करोड़ों में)
1	आईसीआईसीआई डेंशियल	56.64
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	416.04
3	एसबीआई लाइफ इनश्युरेन्स कं. लिमिटेड	99.63
	कुल	572.31

हालाँकि, वार्षिकी प्रदाताओं द्वारा वार्षिकभृति का वर्तमान मूल्य अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त वार्षिकी प्रदाताओं से पुष्टिकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, लेखांकन के लिए यदि कोई हो, वहीं पर विचार किया जाएगा।

लाभ और हानि लेखा :

व्यय रु वित्त और विविध व्यय (अनुसूची आर-11) : रु. 533.31 करोड़

6. विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2015 से 2017 के दौरान विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि (वीपीटीईजीपीएफ) ट्रस्ट से दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में रु. 8.00 करोड़ की राशि का निवेश किया है। 2019 के दौरान, डीएचएफएल दिवालापन हो गया और आरबीआई ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की। उक्त को दृष्टि में रखते हुए, वीपीटीईजीपीएफ ट्रस्ट मंडल ने अब किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करने और तदनुसार पोर्टफोलियो प्रबंधक को 31 दिसंबर 2019 को निर्देश देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद, 29 सितंबर 2021 को निपटान किया गया और निपटान आगे बढ़ाने पर विचार करने के बाद, वीपीए को रु.6.40 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ। डीएचएफएल के दिवालियापन और दिवालियापन के कारण, रु.6.40 करोड़ की राशि की वसूली की संभावना बहुत कम है। चूंकि पेंशन निधि के घाटा को अवशोषित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। वीपीए ने कर्मचारियों को उपरोक्त राशि रु. 6.40 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि,

वीपीए ने रु. 6.40 करोड़ के बड़े खाते में डालने के लिए मंडल की अनुमोदन से देखें संकल्प सं. 111/2021-22 मंजूरी दे दी है और तदनुसार वीपीए ने मंत्रालय को संबोधित देखें पत्र संरु एफए/निवेश/ट्रस्ट/पीएफ दिनांक 01.02.2022, रु. 6.40 करोड़ को बड़े खाते में डालने की अनुमोदन की मांग किया। जवाब में, मंत्रालय ने कहा कि उपरोक्त विषय में केंद्र सरकार की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के लागू प्रावधानों के संदर्भ में वीपीए द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय के दिशानिर्देशों और लागू नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करके आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएंगी। इसके अलावा, इसे लेखा टिप्पणियों में भी दिखाया गया है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पुस्तकों में निवेश में हुए घाटा के लिए आवश्यक प्रावधान नहीं किया गया है। घाटा का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप वित्त और विविध व्यय (अनुसूची 11) और चालू देयताओं (अनुसूची 2.4 में न्यून्योक्ति) हुए और वर्ष के लिए रु.6.40 करोड़ की अत्युक्ति लाभ हुए ।

सामान्य :

7 मार्च 2023 महीने के लिए विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण के बैंक समाधान विवरण की समीक्षा से पता चला कि :

(ए) 2019-22 के दौरान जारी किए गए रु. 32.31 लाख के चेक बैंकों में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(बी) 2019-22 के दौरान कुल मिलाकर रु. 4.92 करोड़ की राशि रोकड़ पुस्तक के नामे की गई थी, लेकिन बैंकों द्वारा जमा नहीं की गई थी।

(सी) 2019-22 के दौरान बैंकों द्वारा जमा की गई कुल राशि रु.15.23 करोड़ वीपीए द्वारा लेखों में रिकार्ड नहीं की गई थी।

(डी) 2019-22 के दौरान बैंकों द्वारा कुल रु. 5.13 करोड़ राशि खर्च की गई थी, लेकिन वीपीए द्वारा लेखों में रिकार्ड नहीं की गई थी।

बीआरएस प्रविष्टियों पर निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आवश्यक प्रविष्टियों का हिसाब किया गया था, लेकिन अभी भी कुछ प्रविष्टियाँ बीआरएस में बेहिसाब पड़ी हुई थीं, जिनकी वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समीक्षा और समाधान किया जाएगा ।

ग प्रबंधन पत्र

1 आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता

विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण (वीपीए) का आंतरिक लेखापरीक्षा 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए 13 जनवरी 2023 को कोमांदूर एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को और 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए 13 मार्च 2023 को मेसर्स राव एंड कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सौंपा गया था। संदर्भ नियमों के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा टीम ने क्रमशः 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक जलाई 2023 और 29 जुलाई 2023 के लिए मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट्स वीपीए के वि स एवं मु ले अ को प्रस्तुत किया। यद्यपि, आंतरिक लेखापरीक्षा अधिदेश में लाभ और हानि खाते के प्रारूप, तुलन पत्र, अनुसूचियों, लेखों का हिस्सा बनने वाले नोटों के सत्यापन सहित विभिन्न चेकों का प्रावधान है,

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष मुख्य रूप से सामान्य प्रकृति के हैं जहां मंत्रालय स्तर पर एक नीति अपनाई जानी है और जो पार्टियों द्वारा अंतिम बिल प्रस्तुत करने के लिए की कमी के कारण शेष लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रगति पर कार्य के गैर-पूँजीकरण के कारण हैं। हालाँकि, यह कहना होगा कि आवश्यक आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों को पहले ही लेखा बहियों में शामिल कर लिया गया था।

कमियां अभी भी बनी हुई है वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सीएजी ने 75 लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इंगित किया था, जिसमें से वीपीए प्रबंधन ने 43 लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए संशोधन प्रविष्टियां पारित की। आगे, आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की उन्नति और प्रभावशीलता की आवश्यकता को सूचित करता है।

2 आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं हैं। निर्धारित क्षेत्र जैसे विविध देनदार प्रबंधन की मजबूत/वृद्धि करने की आवश्यकता, अनुपालन करने के लिए अध्यक्ष, विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण की माध्यम से अलग से प्रबंधन पत्र में शामिल किए जाने के साथ ध्यान में लाया गया है।

रेलवे सेवाओं और अन्य विविध सेवाओं को छोड़कर वीपीए सामान्य तौर पर केवल प्रीपेड सेवाएं ही प्रदान करता है।

एसएआर में पहले से बताए गए मामलों के अलावा कुछ प्रमुख मदें इस प्रकार हैं :

❖ सभी वीपीए उपभोक्ताओं को अपने रिवाल्विंग जमा लेखों में न्यूनतम रु.25,000 शेष रखना होगा। वीपीए के कुल 1,024 जमा खातों में से, 634 जमा खातादारों ने उक्त न्यूनतम शेष रकम से आवश्यक रकम का अनुरक्षण करते हैं और 390 उपभोक्ता जमा खातादारों से आवश्यक रकम का अनुरक्षण नहीं करते हैं। आगे, 215 उपभोक्ता जमा खातादारों पर रु.109.00 करोड़ की नकारात्मक शेष राशि परिलक्षित हो रही है। यह मॉनिटरिंग मेकानिज्म की अपर्याप्तता को सूचित करता है।

❖ आयकर निर्धारण आदेश के विरुद्ध मूल्यांकन वर्ष 2009-10 से 2021-22 तक का विविध अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है। प्रबंधन को अपील शीघ्र निपटाने के लिए उचित प्रयास सुनिश्चित करना होगा। (नोट: आयकर अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, वीपीए ने आयकर अधिकारियों का अग्रिम कर श्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का भुगतान करता है (जिसके लिए वीपीए को ग्राहक द्वारा जारी फार्म 26 एस टीडीएस प्रमाणपत्र के अनुसार क्रेडिट मिलता है)। रिफंड प्राप्त करने के लिए उपरोक्त अग्रिमों से आयकर अधिकारियों से, वीपीए हर वर्ष लागू कर निर्धारण के साथ आयकर रिटर्न फाइल करता है। हालांकि, 2009-10 से 2022-23 तक आईटीआर में वीपीए द्वारा जमा की गई राशि का समायोजन न करने के कारण, चालू परिसंपत्ति के रूप में

❖ संशोधित एसओपी और बिलिंग का लोखांकन को अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जिसे मंडल को प्रस्तुत किया जाएगा और अनुमोदन होने पर कार्यान्वयन किया जाएगा।

❖ वीपीए ने आयकर अपील के मामलों को जल्द से जल्द बंद करने के लिए सीए फर्मों को नियुक्त किया है। यह रिकॉर्ड पर तथ्य है कि राज्य के विभाजन के कारण बेंच का गठन नहीं किया गया था। यह कहना उचित नहीं है कि वीपीए द्वारा त्वरित निपटान हेतु प्रयास नहीं किये गये। यह बताना प्रासंगिक है कि, वर्तमान टेक्सेशन व्यवस्था में सभी मूल्यांकन, अपीलों को फेसलेस (ई-मूल्यांकन) किया जा रहा है। मूल्यांकन नोटिस प्राप्त होने पर, वीपीए मूल्यांकन के त्वरित निपटान के लिए उसी समय प्रतिक्रिया दे रहा है। सीआईटी/आईटीएटी में अपील को अंतिम रूप देना वीपीए के हाथ में नहीं है। यह कहना है कि अक्टूबर 2023 के दौरान आईटीएटी में लंबित अपीलों को कुछ व्यय को योग्य व्यय के रूप में स्वीकृत करके निपटाया गया था और इस संबंध में

रु. 1153.84 करोड़ की राशि राशि दिखाई दे रही थी और चालू दायिता के रूप में रु. 744.97 करोड़ और वीपीए के वर्तमान अनुपात को बढ़ा रहा है)

❖ सेप में देनदारों की ऐजिंग बढ़ने के लिए वीपीए की कोई मानक रिपोर्ट नहीं है। 2021-22 के लिए वित्त विभाग ने सेप डेटा डाऊनलोड किया है और ऐजिंग का विवरण के प्रारंभ शेष में जोड़ा है जो मैनुअल रूप से किया जाता है ।

❖ आंतरिक लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया कि (ए) संपत्ति किराये के बकाया के लिए चालान बढ़ाने में देरी हो रही है और विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए चालान बढ़ाने में देरी हो रही है। वीपीए द्वारा बनाए गए ईआरपी में संपत्ति किराये के विलंबित भुगतान पर ब्याज की गणना के लिए स्वचालित प्रणाली उपलब्ध नहीं है । (बी) प्राप्तियों को बिल के आधार पर मंजूरी नहीं दी जाती है (सी) कुछ विक्रेता भुगतानों के लिए ईआरपी (एसएपी) में सहायक चालान और वाउचर संलग्न नहीं होते हैं।

आवश्यक प्रविष्टियों का हिसाब वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किया जाएगा ।

❖ एक बार सेप हाना आईटी प्रभाग द्वारा कार्यान्वित हो जाने के बाद, इसे उपलब्ध कराया जाएगा ।

(ए) यह कहना है कि विवादित पक्षों के मामले को छोड़कर वीपीए द्वारा आवश्यक चालान उठाए जा रहे हैं ।

(बी) विलंबित भुगतानों पर ब्याज चालान जारी करना, चालान की तारीख, किए गए भुगतान और अन्य संबंधित शर्तों पर विधिवत विचार करके पार्टी खातों के उचित समाधान पर मैनुअल रूप से किया जाना चाहिए ।

(सी) भुगतान संसाधित करते समय, वित्त विभाग के नकद अनुभाग में हार्ड कॉपी की उपलब्धता के अतिरिक्त आवश्यक चालान एसएपी दस्तावेजों के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। चालान संलग्न करना केवल प्रचालन में आसानी के लिए प्रदान की गई एक अतिरिक्त सुविधा है।

3 नियत परिसंपत्तियों की भौतिक जांच की पद्धति :
वीपीए की नीति और प्रक्रिया के अनुसार, पांच वर्षों में एक बार स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। वर्ष 2018 में देय स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2018-19 में किया गया और वीपीए द्वारा वर्ष 2022-23 का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

इस संबंध में एक समिति बनाई जा रही है और समिति द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और समिति द्वारा रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रस्तुत की जाएगी।

4 वस्तुसूची की भौतिक जांच की पद्धति :
वीपीए द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की माध्यम से नियमित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया जाता है । हालांकि, सितंबर 2021 से भौतिक सत्यापन इन्वेंट्री नहीं की गई है ।

इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन का कार्य आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जा रहा है और आवश्यक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी ।

5 सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता :
पोर्ट प्राधिकरण ने अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए गए मुद्दों को छोड़कर नियत तिथियों के अंदर संबंधित संगठनों को सांविधिक देयों का भुगतान किया ।

संवैधानिक अनुपालन वीपीए द्वारा पूरा कर लिया गया है, हालांकि, जिन निष्कर्षों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, उनका निपटान आईटी विभाग द्वारा किया जाना है। हालांकि, अक्टूबर 2023 के महीने के दौरान जो अपीलें आईटीएटी में लंबित थीं, उन्हें योग्य व्यय के रूप में कुछ व्यय देकर विधिवत निपटाया गया था और इस संबंध में आवश्यक प्रविष्टियाँ वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दर्ज की जाएंगी ।



CERTIFICATE OF APPROVAL

Issued by Indian Register Quality Systems
(A Division of IRCLASS Systems and Solutions Private Limited)

This is to certify that the Quality Management Systems of

Organisation: Visakhapatnam Port Trust
Address: Visakhapatnam -530035,
Andhra Pradesh

has been assessed and found conforming to the following requirement

Standard: ISO 9001:2015
Scope: Providing Sea Port Facilities and Related Support Services
Certificate No.: IRQS/210101127
Original Certification Date : 09/08/2000
Continuation Granting Date: 07/06/2021
Current Date of Granting : 10/09/2021
Expiry Date : 02/06/2024



Shashi Nath Mishra
Head IRQS

This approval is subject to continued satisfactory maintenance of the Quality Management Systems of the organisation to the above standard which will be monitored by IRQS. The use of the Accreditation Mark indicates accreditation with respect to activities covered by the certificate with accreditation no. CQ11, Condition Overhaul
COA/IRQS/9001/QMS/Rev 00

Head Office: 52A, Adi Shankaracharya Marg, Opp.Powal Lake, Powal, Mumbai - 400 072, India.

ISO 9001

Quality Management System



CERTIFICATE OF APPROVAL

Issued by Indian Register Quality Systems
(A Division of IRCLASS Systems and Solutions Private Limited)

This is to certify that the Environmental Management Systems of

Organisation: Visakhapatnam Port Trust
Address: Visakhapatnam -530035,
Andhra Pradesh

has been assessed and found conforming to the following requirement

Standard: ISO 14001:2015
Scope: Providing Sea Port Facilities and Related Support Services
Certificate No.: IRQS/210301128
Original Certification Date : 11/07/2002
Continuation Granting Date: 07/06/2021
Current Date of Granting : 10/09/2021
Expiry Date : 02/06/2024



Shashi Nath Mishra
Head IRQS

This approval is subject to continued satisfactory maintenance of the Environmental Management Systems of the organisation to the above standard which will be monitored by IRQS. The use of the Accreditation Mark indicates accreditation with respect to activities covered by the certificate with accreditation no. CQ11, Condition Overhaul
COA/IRQS/14001/QMS/Rev 00

Head Office: 52A, Adi Shankaracharya Marg, Opp.Powal Lake, Powal, Mumbai - 400 072, India.

ISO 14001

Environmental Management System



CERTIFICATE OF APPROVAL

Issued by Indian Register Quality Systems
(A Division of IRCLASS Systems and Solutions Private Limited)

This is to certify that the Occupational Health & Safety Management Systems of

Organisation: Visakhapatnam Port Trust
Address: Visakhapatnam -530035,
Andhra Pradesh

has been assessed and found conforming to the following requirement

Standard: ISO 45001:2018
Scope: Providing Sea Port Facilities and Related Support Services
Certificate No.: IRQS/210401129
Original Certification Date : 19/06/2003
Continuation Granting Date: 07/06/2021
Current Date of Granting : 10/09/2021
Expiry Date : 02/06/2024



Shashi Nath Mishra
Head IRQS

This approval is subject to continued satisfactory maintenance of the Occupational Health and Safety Management Systems of the organisation to the above standard which will be monitored by IRQS. The use of the Accreditation Mark indicates accreditation with respect to activities covered by the certificate with accreditation no. CQ11, Condition Overhaul
COA/IRQS/45001/QMS/Rev 01

Head Office: 52A, Adi Shankaracharya Marg, Opp.Powal Lake, Powal, Mumbai - 400 072, India.

ISO 45001 - Occupational Health and Safety

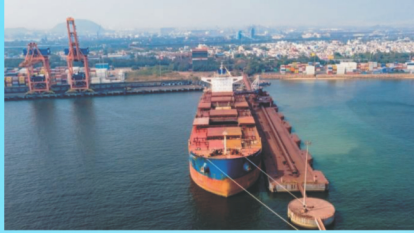
Management System

PPP Operators

1. VIZAG GENERAL CARGO BERTH
(VGCB)



2. ESSAR VIZAG TERMINAL Pvt. Ltd.
(OB-1 & OB-2)



3. VISAKHA CONTAINER TERMINAL
Pvt. Ltd. (VCTPL 1)



4. AVR INFRA Pvt. Ltd. (EQ-10)



5. VIZAG SEAPORT Pvt. Ltd. (EQ-8 &9)



6.VCTPL 2



Major Clints



POL



HPCL



Fertilizers



IPL

Iron Pellets



Arcelor Mittal NS

Alumina



NALCO



CONTAINERS

MAERSK



SAIL

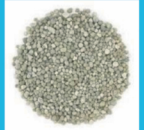


CONTAINERS

MSc



Coromandel
International



Fertilizers



विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण

Visakhapatnam - 530 035, Andhra Pradesh, India.

Tel : 91-891-2876001 | Fax : 91-891-2565023

Web : <https://vpt.shipping.gov.in> | E-mail : e-reg.vpt@gov.in